खण्ड-157, अंक-2
मंगलवार, 29 भाद्रपद, शक संवत् 1877
(20 सितम्बर, 1955 ई0)

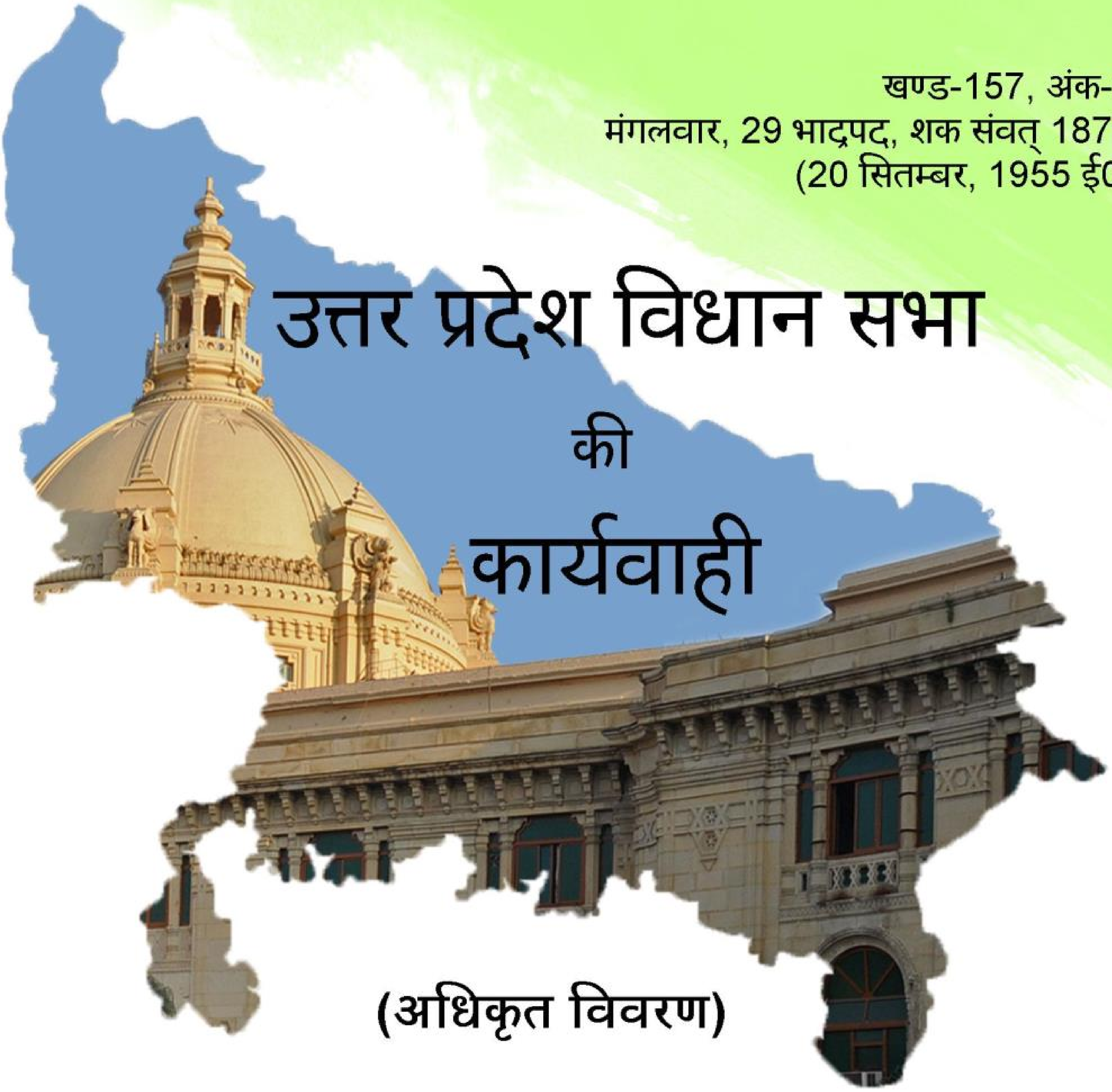

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 157 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २० सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६१)

अंसमान सिंह,श्री
अक्षवर सिंह,श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा ,श्री
अनन्तस्वरूप सिंह,श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र,श्री
अली जहीर ,श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह,श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस,श्री
आशालता व्यास ,श्रीमती
इरतजा हुसैन,श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी ,श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह ,श्री
ऐजाज रसूल ,श्री
ओंकार सिंह,श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह ,श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय,श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन , श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर , श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय , श्री
केशव पान्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम,श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पान्डेय, श्री

गुरुप्रसाद सिंह,श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह,श्री
गोबर्धन तिवारी,श्री
गौरीराम,श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव ,श्री
चतुर्भुज शर्मा ,श्री
चन्द्रभानु गुप्त,श्री
चन्द्रवती,श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास ,श्री
चिरंजीलाल जाटव ,श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी ,श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल ,श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल ,श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट ,श्री
जवाहरलाल,श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखन्डे राय ,श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह,श्री
तुलाराम,श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर ,श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना,श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीयनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पान्डेय, श्री
धनुषधारी पान्डेय, श्री
धर्मसिंह,श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम,श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद ,श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल,श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़ श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह,श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री

बशीर अहमद हकीम,श्री
बसन्तलाल शर्मा,श्री
बाबूनन्दन,श्री
बाबूराम गुप्त,श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह,श्री
बेचनराम,श्री
बेचनराम गुप्त,श्री
बेनीसिंह,श्री ,
बैजनाथ प्रसाद सिंह,श्री
बैजूराम ,श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित,श्री
भगवती दीन तिवारी,श्री
भगवती प्रसाद दुबे,श्री
भगवानदीन वाल्मीकि,श्री
भगवान सहाय,श्री
भीमसेन,श्री
भुवरजी,श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी,श्री
भोला सिंह यादव,श्री
मकसूद आलम खां,श्री
मंगला प्रसाद,श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी ,श्री
मथुरा प्रसाद पान्डेय,श्री
मदनगोपाल वैद्य,श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव,श्री
मलखान सिंह,श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां,श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह,श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल,श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव,श्री
महावीर सिंह,श्री
महीलाल,श्री
मान्धाता सिंह,श्री
मिजाजीलाल,श्री
मिहरबान सिंह,श्री
मुजफ्फर हसन श्री,
मुन्नूलाल,श्री
मुरलीधर कुरील,श्री
मुश्ताक अली खां,श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ,श्री
मुहम्मद इब्राहीम,श्री हाफ़िज़
मुहम्मद तकी हादी,श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी,श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी,श्री
मोहनलाल,श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह ,श्री
मोहन सिंह शाक्य,श्री
यमुना सिंह,श्री
यशोदादेवी ,श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद ,श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह,श्री
रतनलाल जैन ,श्री
रमेशचन्द्र शर्मा,श्री
रमेश वर्मा,श्री
राजकिशोर राव,श्री
राजकुमार शर्मा,श्री
राजनारायण,श्री
राजनारायण सिंह,श्री
राजवंशी,श्री
राजाराम ,श्री
राजाराम मिश्र,श्री
राजाराम शर्मा,श्री
राजेन्द्रदत्त श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल,श्री
राधामोहन सिंह,श्री
रामअधार तिवारी,श्री
रामअधीन सिंह यादव,श्री
रामअनन्त पान्डेय,श्री
रामअवध सिंह,श्री
रामकिंकर,श्री
रामकुमार शास्त्री ,श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह,श्री
रामचन्द्र विकल ,श्री
रामजीलाल सहायक ,श्री
रामजी सहाय,श्री
रामदास आर्य,श्री
रामदास रविदास,श्री
रामदुलारे मिश्र ,श्री
रामनरेश शुक्ल ,श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद,श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री

राम प्रसाद नौटियल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र श्री,
राम भजन ,श्री
राममूर्ति,श्री
रामरतन प्रसाद,श्री
रामराज शुक्ल ,श्री
रामलखन श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल,श्री
रामवचन यादव,श्री
रामशंकर द्विवेदी,श्री
रामसनेही भारतीय,श्री
रामसहाय शर्मा ,श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा,श्री
रामसुमेर श्री
रामस्वरूप ,श्री
रामस्वरूप गुप्त,श्री
रामस्वरूप भारतीय,श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद,श्री
रामहरख यादव,श्री
रामहेतसिंह,श्री
रामेश्वर प्रसाद,श्री
रामेश्वरलाल,श्री
लक्ष्मणराव कदम ,श्री
लक्ष्मीदेवी ,श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य ,श्री
लक्ष्मीशंकर यादव,श्री
लताफत हुसैन, श्री
लाल बहादुर सिंह,श्री
लीलाधर अष्ठाना,श्री
लुत्फअली खां, श्री,
लेखराज सिंह,श्री
वंशनारायण सिंह,श्री
वंशीदास धनगर,श्री
वंशीधर मिश्र ,श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा ,श्री
वसी नकवी,श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र,श्री
विचित्रनारायण शर्मा,श्री
विजयशंकर प्रसाद ,श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र पति यादव ,श्री
वीरेन्द्रशाह,राजा
व्रजभूषण मिश्र,श्री
व्रजरानी मिश्र,श्रीमती
व्रजवासीलाल,श्री
व्रजविहारी मिश्र,श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा ,श्री
शंकर लाल,श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी ,श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा,श्री
शिवदान सिंह,श्री
शिवनारायण,श्री
शिवपूजन राय,श्री
शिवप्रसाद,श्री
शिव मंगल सिंह,श्री
शिवमंगल सिंह कपूर,श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, ी
शिव स्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री,श्री
श्री चन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव ,श्री
श्री नाथराम,श्री
श्रीपति सहाय ,श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी,श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी,श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त,श्री
सत्यसिंह राणा ,श्री
सम्पूर्णानन्द ,डाक्टर
सहदेव सिंह,श्री
सालिगराम जायसवाल,श्री
सावित्री देवी, श्रीमती

सयाराम गंगावार,श्री
सियाराम चौधरी ,श्री
सीताराम , डाक्टर
सीताराम शुक्ल ,श्री
सुखीराम भारतीय ,श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजूराम,श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी,श्री
सुरेशप्रकाश सिंह,श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी,श्री
सूर्य्यबली पांडेय ,श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी,श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम,श्री
हमीद खां ,श्री
हरगोविन्द सिंह,श्री
हरदयाल सिंह पिपल ,श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद ,श्री
हरिशचन्द्र अष्ठाना,श्री
हरिसिंह ,श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार २० सितम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न

दोहरी घाट पम्प नहर में ली गई भूमि

*१—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरी घाट पम्प कैनाल के सिलसिले में अब तक कितना कार्य हो चुका है ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—दोहरी घाट नहर के निर्माण की प्रगति के विवरण की एक सूची माननीय सदस्य के मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १५४ पर)

*२—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन खेतिहरों की जमीन पूरी की पूरी नहर में ले ली जा रही है, उन्हें रेलवे के किनारे जमीन देने के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार से कोई पत्र-व्यवहार कर रही है ? अगर हां, तो अब तक उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्री राममूर्ति—जिन खेतिहरों की जमीन नहर के बनाने में ले ली जा रही है उन्हें जमीन के पट्टे दिलवाने के लिये सरकार प्रयत्नशील है । अभी तक राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के बीच कोई पत्र व्यवहार सरकारी स्तर पर नहीं हुआ है । नार्थ ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर तथा बनारस डिवीजन के कमिश्नर के बीच कुछ पत्र-व्यवहार हो रहा है और मामला अभी पूरी तौर पर नहीं तय हुआ है ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह बात सही है कि दोहरी घाट पम्प कैनाल पर काम की जो प्रगति है वह तखमीने के हिसाब से कम है और जो व्यय हो रहा है वह तखमीने के हिसाब से ज्यादा हो रहा है ?

श्री राममूर्ति—कोई ऐसी बात नहीं है । काम की प्रगति ठीक हो रही है और यह उम्मीद की जाती है कि जितने समय के अन्दर इसे खत्म होना चाहिये था उतने समय के अन्दर वह काम हो जायगा ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार की तरफ से जमीन के लिये जो प्रयत्न हो रहा है वह किस दशा में है और उसका अब तक क्या परिणाम निकला है ?

श्री राममूर्ति—जैसा मैंने अर्ज किया कमिश्नर बनारस और जनरल मैनेजर नार्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर के बीच में बातचीत हो रही है । इस बात की कोशिश की जा रही है कि रेलवे के पास की जो जमीनें हैं उनको ले लिया जाय । लेकिन थोड़ी दिक्कत यह हो रही है कि अक्सर उस इलाके में ज्वार और मक्के की फसलें की जाती हैं और जनरल मैनेजर रेलवे इस किस्म की फसलें पसन्द नहीं करत । उम्मीद की जाती है कि इस बातचीत का नतीजा अच्छा निकलेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि दोहरीघाट पम्प केनाल के पास खेतिहरों से कितनी जमीन ली गई है, जो खेती क लायक थी और रेलवे के पास कितनी जमीन है जो लेने के लिये बात की जा रही है ?

श्री राममूर्ति—इस वक्त मेरे पास पूरे आंकड़े नहीं हैं । अगर आप नोटिस दें तो उसे मालूम किया जा सकता है ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है जब चकबन्दी वहां पर लागू की जाय तो जितनी जमीन प्रत्येक गांव में ली जा रही है अथवा ली गई है वह सारी जमीन गांव के सभी खेतिहरों को बाट दी जायं ?

श्री राममूर्ति—यह उसूल के तौर पर बड़ी अच्छी बात है लेकिन अब तक चूंकि सरकार ने इस पर विचार नहीं किया है यदि आप इससे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब की नोटिस में ले आवे तो और भी अच्छी बात होगी

गोंडा पावर वर्क्स योजना

*३—श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या स्वशासन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा के वाटर वर्क्स की योजना बन कर सरकार के सम्मुख आ गई है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली ज़हीर)—जी नहीं, गोंडा क लिये कोई जल-कल योजना स्वाशासन इंजीनियरिंग विभाग द्वारा इसलिये नहीं बनाई जा सकी कि म्युनिसिपल मैनुअल के पृष्ठ ३७७ पर दिये हुये नियम ९ (१) के अनुसार योजना बनाने के हेतु जो १०,००० रु० की मुख्य इंजीनियर की फीस बोर्ड द्वारा देय थी उसे बोर्ड ने जमा नहीं किया ।

*४—श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (अनुपस्थित)—यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सैयद अली ज़हीर—प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा जिले में जलग्रस्त क्षेत्र से पानी निकालने की योजना

*५—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले की तहसील छाता में गर्की का नाला निकालने की योजना पर कार्य कब से शुरू होगा ?

श्री राममूर्ति—मथुरा जिले में जलग्रस्त क्षेत्र के पानी निकालन तथा सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के हेतु हलवाना, भटेन धर्मसंगा नाले बनाने एवं डीग स्केल के परिवर्द्धन करने की योजना सरकार ने स्वीकार कर ली है और कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

श्री रामहेत सिंह--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डीग स्कीम के परिवर्द्धन करने के लिए जो स्कीम सरकार ने स्वीकार की है उससे कितनी अतिरिक्त भूमि सींची जायगी ?

श्री राममूर्ति--मेरे पास इतना नोट नहीं है कि क्या स्कीम है। लेकिन मैं समझता हूं कि पानी निकालने के लिए स्कीम की स्कीम क्या है, जो पानी में हिस्सा डूबता होगा उसको बचाने के लिए।

श्री रामहेत सिंह--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जैसे कि आपने स्कीम स्वीकार की है उसका मतलब काम करने से पहले योजना स्वीकार करने से है या वहां स्थानीय जगह पर काम शुरू करने से है ?

श्री राममूर्ति--जहां तक स्कीम का ताल्लुक है उस पर कार्य शुरू हो गया है। बाकी जितने नालों का जिक्र किया उन पर सर्वे हो रहा है और सर्वे खत्म हो जाने के बाद एस्टीमेट्स वगैरह तैयार होंगे।

सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित कार्यों के लिये केंद्रीय सहायता

*६--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० के सार्वजनिक स्वास्थ्य इन्जीनियरिंग विभाग में आगामी वर्ष में जो रुपया व्यय होगा उसके लिये केन्द्रीय सरकार से कितना रुपया प्राप्त हुआ है ?

श्री सैयद अली ज़हीर--४,५०,००,००० रुपय।

*७--श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)--क्या स्वशासन मंत्री ने उसके लिये कुछ नये डिवीजनों के खोलने की व्यवस्था की है ? यदि हां, तो उसके Personnel के भर्ती करने की क्या व्यवस्था की गयी है ? इसके लिये कितने आदमियों को किन-किन पदों से तरक्की दी गयी है ?

श्री सैयद अली ज़हीर--जी हां, पांच नये डिवीजन खोले गये हैं। इन डिवीजनों में Personnel को भर्ती करने की व्यवस्था इस प्रकार की गयी है--

एक्जीक्यूटिव इंजीनियर--असिस्टेंट इंजीनियरों को नियमानुसार तरक्की देकर ये पद भरे गये हैं।

असिस्टेंट इंजीनियर--इन पदों को भरने के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन से योग्य उम्मीदवारों को छांटने के लिये कहा गया था। कमीशन ने कुछ उम्मीदवारों के नाम भेजे, जिनको नियुक्त कर लिया गया है। बाकी पदों के लिये कमीशन को योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सके। लेकिन इन रिक्त स्थानों को भरना जरूरी था, इसलिये कुछ पदों पर विभिन्न Engineering Institutions से पास हुये व्यक्तियों को, जोकि नियम के अनुसार पूरे Qualified नहीं भी थे, इस शर्त पर अस्थायी तौर पर नियुक्त कर लिया गया है कि कमीशन द्वारा Qualified उम्मीदवार मिल जाने पर उन्हें हटा दिया जायगा।

ओवरसियर, ड्राफ्टसमैन, कम्प्यूटर--Press द्वारा विज्ञापन करके इन पदों को भरा जा रहा है।

क्लर्क स्टोनोग्राफर--ये पद स्थानीय Employment Exchange से पूछ कर आवश्यक परीक्षा लेकर भरे गये हैं।

हेड क्लर्क्स--डिवीजनों में सीनियर नोटर्स व ड्राफ्टर्स को तरक्की देकर ये पद भरे गये हैं।

ऊपर लिखे पदों पर विभाग के लोगों को निम्नलिखित तौर पर तरक्की दी गयी-चार असिस्टेंट इंजीनियरिंग को इक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पदों पर तरक्की दी गयी। सात ओवरसियरों तथा दो कम्प्यूटरों को असिस्टेंट इंजीनियर बनाया गया।

नये खोले जाने वाले वाटर वर्क्स पर व्यय

*८--श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)--क्या स्वशासन मंत्री यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कहां-कहां नये वाटर वर्क्स खोले जायेंगे और उन पर क्या-क्या व्यय होगा ?

श्री सैयद अली जहीर--निम्नलिखित स्थानों पर नये वाटर वर्क्स खोले जायेंगे। उनके सामने दी हुयी रकमें उन पर व्यय होगी--

	रुपये
१--नजीबाबाद	९,१९,०००
२--बरेली	२४,१०,३८४
३--फतेहपुर	७,३५,९००
४--हमीरपुर	४,६२,०००
५--कनखल	५,७२,०००
६--नगीना	६,२०,८००
७--बुलन्दशहर	९,३७,०००
८--हापुड़	११,६२,५००
९--ऋषीकेश	८,२८,०००
१०--फर्रुखाबाद-फतेहगढ़	१६,७८,२८७
११--ललितपुर	१३,४२,५००
१२--सहारनपुर	३९,३२,०००
१३--आजमगढ़	५,१४,०००
१४--ऐटा	४,७१,३२०
१५--मैनपुरी	६,४०,०००
१६--रामनगर (नैनीताल)	४,८८,७००
१७--रथ	३,९१,४००
१८--चांदपुर	३,०६,०००
१९--अयोध्या	८,२९,५००
२०--प्रतापगढ़	३,३६,७३३
२१--चंदौसी	७,२५,०००
२२--पीलीभीत	१०,००,०००
२३--सीतापुर	१०,००,०००
२४--गोरखपुर	२०,००,०००
२५--पडरौना	२,०४,३००
२६--देवरिया	५,५५,१६५
२७--बस्ती	५,३७,२००
२८--फिरोजाबाद	१४,६०,०२८
२९--रामपुर	१६,२३,०००
३०--बलिया	६,७१,८५०
३१--रामनगर (बनारस)	३,६७,५००

हमीरपुर जिले में रुहाइल के पुल का निर्माण-कार्य

*९—श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हमीरपुर जिले में रुहाइल के पुल निर्माण में कितनी प्रगति की जा चुकी है ?

निर्माण उप मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—८ कुओं में से अब तक ४ कुंयें करीब-करीब आधे गलाये जा चुके हैं।

*१०—श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—यह पुल कितनी लागत पर और किस तिथि तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसकी लागत लगभग २.८१ लाख रुपये होगी। इसके १ १/२ वर्ष में बनकर तैयार होने की आशा की जाती है।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि रुहाइल पुल के एस्टीमेट्स सरकार ने स्वीकृत किये थे तो पुल के निर्माण की अवधि भी निश्चित कर दी थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन शुरू में जब एस्टीमेट्स तैयार होकर काम शुरू किये जाने की बात थी तो सारी सड़क की अवधि निश्चित की गयी थी, हमीरपुर कालपी सड़क की। केवल पुल की नहीं।

श्री सुरेंद्र दत्त वाजपेयी—क्या यह सत्य है कि जिस ठेकेदार को यह काम दिया गया था उसने बीच में ही काम छोड़ दिया, यदि हां तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह सही नहीं है। बल्कि सही बात यह है कि चूंकि एस्टीमेट्स रिवाइज करने पड़े इसलिये काम बन्द करना पड़ा।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बतायेगी कि ठेकेदार के न होने से काम रुका रहा और किसी नये ठेकेदार को काम दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, तो उसका क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैंने अभी निवेदन किया था कि एस्टीमेट्स बीच में रिवाइज करने पड़े इससे पुल का कार्य बन्द करना पड़ा। एस्टीमेट्स रिवाइज होने के बाद दोबारा फिर काम प्रारम्भ हो गया।

इलाहाबाद में दारागंज झूसी मार्ग पर लोहे का स्थायी पुल बनाने की मांग

*११—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि इलाहाबाद के दारागंज से झूंसी जाने वाले पेन्टून ब्रिज पर प्रत्येक वर्ष कितना व्यय होता है ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—लगभग ७८,००० रुपया प्रत्येक वर्ष व्यय होता है।

*१२—श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या सरकार उस पैन्टून ब्रिज को स्थायी लोहे का पुल बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—प्रथम भाग, जी हां। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह पुल पी०डब्ल्यू० डी० द्वारा बनवाया जाता है या ठेकेदारी पर ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, पी०डब्ल्यू डी० के द्वारा बनाया जाता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या यह सत्य है कि इस पुल को बांधने में कई आदमियों की जानें गयीं और उनकी लाशों का पता नहीं है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मेरे ज्ञान में तो कोई ऐसी बात नहीं है ।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि स्थायी पुल बनाने की योजना जो विचाराधीन है वह रेलवे पुल को चौड़ा करके बनाने की है या उसको अलग करके बनाया जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचाय---उससे अलग की है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार माननीय मोहिले जी की शिकायत को सुन कर कि कुछ जानें गयी हैं और उनके लाशों का पता नहीं है जांच कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---हां, यदि इसके सम्बन्ध में माननीय मोहिले जी कुछ सूचित करें तो इसकी अवश्य जांच करायी जायगी ।

दारागंज के रेलवे पुल पर पैदल चलने के लिये सुविधा की मांग

*१३---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार दारागंज के लोहे के पुल पर जिस पर केवल ट्रेन जाती है पैदल आदमियों को चलने की सुविधा दिलाने पर विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी नहीं ।

सूचना पंचांगों और डायरियों का वितरण

*१४---श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९५४-५५ और ५५-५६ में कितने सूचना पंचांग और कितनी डायरी प्रकाशित हुयीं और इनमें अलग-अलग कुल कितना रुपया व्यय हुआ ?

सूचना मंत्री के सभासचिव (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)---सन् १९५४-५५ में सूचना पंचांग सम्बत् २०१२ की १०,००० तथा डायरी १९५५ की ८,००० प्रतियां प्रकाशित हुईं । इन पर क्रमशः २४४१ रु० ११ आ० तथा १७,७९४ रु० व्यय हुआ । सन् १९५५-५६ में पंचांग तथा डायरी अभी प्रकाशित नहीं हुये हैं ।

*१५---श्री जोरावर वर्मा---क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इन प्रकाशनों की कितनी प्रतियां बांटी गयीं तथा कितनी बेची गयीं और इस प्रकार बेचने से सरकार को क्या आय हुयी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---सूचना पंचांग संवत् २०१२ की १११५ प्रतियां तथा डायरी १९५५ में २५३४ प्रतियां प्रचारार्थ निःशुल्क बांटी गयी और इनकी क्रमशः ८८२९ तथा ५३९६ प्रतियां बेची गयी । कुल आय क्रमशः ३२७६ रु० १४ आ० ६ पा० तथा ४५०७ रु० हुई जिसमें बिक्री से क्रमशः २५७१ रु० १५ आ० ६ पा० तथा ३७९२ रु० की तथा विज्ञापन से क्रमशः ७०५ रु० और ७१५ रु० की आय हुयी ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसमें जो कापियां प्रचारार्थ निःशुल्क बांटी गयी हैं उनका मतलब पंचांग डायरियों के प्रचार से है या सरकारी कार्यों के प्रचार से ?

श्री लक्ष्मण शंकर यादव---सरकारी कार्यों के प्रचार से ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो बाजार में प्रतियां बेची गई हैं उसको देखते हुए वह इनकी और अधिक प्रतियां छपा कर बाजार में बिकवाने की कृपा करेंगे ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---हां, मांग बढ़ेगी तो जरूर छपा कर बेचेंगे।

श्री रामहेतसिंह--क्या माननीय मंत्री महोदय, कृपा करके पंचांग और डायरियों की उपयोगिता को देखते हुये इनको ग्राम पंचायतों के प्रधान और पंचों को बिना मूल्य वितरण कराने पर विचार करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस पर बड़ी रकम खर्च हो जायगी क्योंकि कई हजार की तादाद है गांव सभाओं की और पंचों की और अब तो ७०-७५ हजार हो जायगी। इसके लिये इतना रकम खर्च होगी कि शायद यह संभव न हो।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि यह जो डायरियां और पंचांग बिके हैं वह सरकारी स्टोर से बेचे गये हैं या किसी दूकान पर रख कर बिकवाये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--बिल्कुल व्यवसायिक ढंग से यह बेचे गये हैं। दुकानदार ले जाते हैं और उनको कमीशन भी दिया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बेचने के अतिरिक्त यह सूचना पंचांग और डायरी जो लोगों को दी गयी हैं उनमें कौन-कौन राजनैतिक पार्टियां हैं जिनको यह दी गयी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---राजनैतिक पार्टियों के विचार से यह नहीं बांटी जातीं।

बाढ़ पीड़ितों की सुविधा के लिये बरहज बाजार (देवरिया) में सरजू नदी में टग

*१६--**श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)**---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला देवरिया बरहज बाजार में एक टग सरजू नदी में रखा गया ? वह क्या काम करता है ? उस पर सालाना खर्च क्या है और वह कितने वर्ष से वहां है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---प्रथम भाग, जी हां।

द्वितीय भाग---यह बाढ़ के समय मनुष्यों तथा जानवरों को बचाने के काम आता है।

तृतीय भाग---इस पर करीब ८०० रुपये सालाना खर्चा होता है।

चौथा भाग---यह सन् १९४९ से सरजू नदी में है।

श्री बद्रीनारायण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सन् १९४९ से अब तक यह कै बार चला है ?

श्री अध्यक्ष---इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा। यह ६,७ साल में सैकड़ों दफा चला होगा।

श्री बद्रीनारायण मिश्र--६ साल से यह अब तक चला नहीं है इसीलिये मैं पूछ रहा हूं।

श्रीमन्, इस साल कै बार चला है, कितने मनुष्यों और जानवरों को बचाया है ?

श्री अध्यक्ष--आप ब्योरा पूंछ रहे हैं, इसी साल के लिये अगर आप पूंछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री बद्रीनारायण मिश्र---इसी साल का मैं पूंछता हूं। इस साल बाढ़ के वक्तमें कै बार चला ?

श्री अध्यक्ष---कितने आदमियों और जानवरों के सम्बन्ध में जो भाग प्रश्न का है उसको मैं इजाजत नहीं देता। कई बार चला इसकी बाबत यदि माननीय निर्माण मंत्री जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया उसके बाद का है इसलिये कुछ मालूम नहीं। सूचना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि बाढ़ पीड़ितों को उतारने, चढ़ाने के लिये जो टग बरहज में रखा गया है, यह काम में नहीं लाया जाता है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--ऐसी बात तो नहीं है श्रीमन्, अगर मेरे मित्र इसके सम्बन्ध में कोई नोटिस दें तो मैं और अधिक जानकारी हासिल करूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसके लिये कोई कर्मचारी नियुक्त है उसको चलाने के लिये?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---हर समय ३५ रुपये माहवार का एक चौकीदार रहता है और जब बाढ़ का काम आता है तो ७५ रुपये माहवार का एक ड्राइवर रखा जाता है।

श्री रामप्रवेश सिंह (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह टग जब से रखा गया है इसके चालने में पेट्रोल या आयल पर कितना पैसा खर्च हुआ है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसके लिये सूचना चाहिये।

जौनपुर जिला बोर्ड को सड़कों को पक्का कराने के लिये धन की आवश्यकता

*१७---श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिला बोर्ड को कच्ची सड़कों को पक्की बनवाने के लिये इस साल कितना रुपया दिया जा रहा है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---ऐसा कोई अनुदान इस साल जौनपुर जिला बोर्ड को नहीं दिया जा रहा है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जौनपुर के चेयरमैन साहब ने किसी प्रकार की कर या अनुदान की मांग सड़कों की मरम्मत के लिये की थी?

श्री अध्यक्ष---आप सब सड़कों के बारे में पूंछ रहे हैं या केवल कच्ची सड़कों के लिये?

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---कच्ची सड़कों के लिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, यह सवाल मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं है। अगर मांग की होगी तो दूसरे स्थान पर की होगी।

श्री अध्यक्ष---तो आप सूचना चाहते हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां मुझे सूचना चाहिये।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार जौनपुर में जो कच्ची सड़कें हैं उनकी हालत देखते हुये उनको पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में देने की कृपा करेगी?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसके लिये तो श्रीमन्, यह देखा जायगा कि उसकी आवश्यकता कितनी है और उस प्रश्न पर जब विचार किया जायगा तो यह विचार किया जा सकता है कि सभी स्थानों के मुकाबले में उसकी आवश्यकता अधिक है या कम है।

मड़ियाहू टाउन एरिया, जिला जौनपुर की नालियां पक्की कराने के हेतु अनुदान की आवश्यकता

*१८—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि मड़ियाहू टाउन एरिया को किसी प्रकार का ग्रान्ट नालियों को पक्की करने के लिये दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कितना और कब ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—टाउन एरिया कमेटी, मड़ियाहूं जिला जौनपुर को नालियां पक्की करने के हेतु अनुदान देने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया ने इधर किसी प्रकार के अनुदान मांगने की सिफ़ारिश सरकार से की थी ?

श्री कैलाश प्रकाश—वित्तीय वर्ष १९५५ तक कोई नहीं की थी ।

जौनपुर जिले में बाढ़ से नष्ट पुल, स्कूल तथा सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता

*१९—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला जौनपुर में सन् ५३ व ५४ की बाढ़ से जो सड़क स्कूल आदि नष्ट हो गये थे उनको सुधारने के लिये किसी प्रकार की सहायता दी गई ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं ।

श्री रामेश चन्द्र शर्मा—क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि ५३–५४ में गोमती और सई की बाढ़ से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जितनी सड़कों, पुल और स्कूलों को नुक्सान हुआ था, उनकी लिस्ट सरकार के पास है ?

श्री कैलाश प्रकाश—इसके लिये तो सूचना की जरूरत है । मेरे पास तो इस समय लिस्ट नहीं है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय, यह बतलाने की दया करेंगे कि इधर नयी बाढ़ से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की इमारतों पुल और सड़कों की जो हानि हुई है, उसके लिये कोई लिस्ट सरकार के पास आयी है ?

श्री कैलाश प्रकाश—इस वर्ष की सूचना नहीं है । माननीय सदस्य चाहेंगे तो सूचना की जरूरत होगी ।

देवरिया जिले में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र

*२०—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में तथा आने वाले वर्ष में देवरिया जिले में कहां-कहां ट्यूब-वेल लगेंगे ?

श्री राममूर्ति—देवरिया जिले में २८ नलकूप पहले बन चुके थे तथा १०० नलकूपों का बोरिंग हो चुका है । इनके अतिरिक्त चालू वर्ष तथा आगामी वर्ष में ३५ और नलकूल बनाये जायंगे, जिनका प्रस्तावित वितरण संलग्न सूची में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १५५ पर)

*२१—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया में ट्यूबवल से कितनी जमीन सींची जा रही है और उससे सरकार को कितना आय अथवा घाटा है ?

श्री राममूर्ति---देवरिया जिले में नलकूपों से सिंचित क्षेत्र रबी तथा खरीफ १,३६२ में क्रमशः ६,७२८ और ३,३३१ एकड़ था। उक्त क्षेत्र में नलकूपों का निर्माण कार्य अभी हाल ही में होने के कारण सिंचाई कार्य विस्तार पूर्णरूप से नहीं हो सका है। अतएव आय अथवा घाटे के विषय में कुछ कहना अभी संभव नहीं है।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एक नलकूप से कितने एकड़ की सिंचाई होती है ?

श्री राममूर्ति---एक नलकूप का कमांड--एरिया एक हजार, एकड़ का होता है।

यू० पी० रोड साइड लैंड कण्ट्रोल ऐक्ट, १९४५ का बलिया जिले में प्रवर्तन

*२२---**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि U. P. Road Side Land Control Act. 1945 का Section 3 जिला बलिया में किस-किस सड़क पर और कहां-कहां लागू है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---बलिया की चार सड़कों पर यह ऐक्ट की धारा ३ लागू है जिनका विवरण विज्ञप्ति संख्या २६२४ (सी), दिनांक ३० जुलाई, १९५३, में दिया हुआ है। विज्ञप्ति की एक प्रतिलिपि संलग्न है। वह सड़कें निम्न हैं---

१---बलिया बंसदिह रोड।

२---बलिया को गाजीपुर से मिलाने वाली मैटिल्ड रोड।

३---एल० बी० रोड (मऊ रसरा सेक्शन)।

४---एल० बी० रोड (बलिया रसरा सेक्शन)।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १५६-१५९ पर)

श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या सरकार उन कारणों को कृपया बतायेगी जिनके कारण १९५३ में सरकार को इस विज्ञप्ति में दिये हुये गांवों पर दफा ३ को लागू करना पड़ा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---प्रत्येक सड़क पर धारा ३ के अन्तर्गत नोटीफिकेशन किया जाता है। उसी के अनुसार इन सड़कों के लिये भी किया गया।

श्री गंगाप्रसाद सिंह---सिर्फ श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि नोटीफिकेशन जो होता है इसका कोई कारण होता है जिससे कि नोटीफिकेशन होता है, तो उस कारण को मैं जानना चाहता हूं।

निर्माण मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)---नोटीफिकेशन इसलिये करना पड़ता है कि बहुत से लोग सड़कों के किनारे पर नाजायज इन्क्रोचमेंट कर लेते हैं, उसको रोकने के वास्ते जरूरी हो जाता है कि जहां पर यह सम्भावना हो कि ऐसा इन्क्रोचमेंट होगा वहां इसदफा को लगाया जाता है ताकि लोग मकान वगैरह बनायें तो उस का नक्शा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से स्वीकृत करा लें ताकि यह खतरा न रहे कि इन्क्रोचमेंट हो सकेगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार इस ऐक्ट की उस धारा को सारे सूबे में हर सड़क पर लागू कराने पर विचार कर रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---सब सड़कों पर लागू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो सड़कें जंगल से हो कर जाती हैं या और जगह से जाती हैं जहां सम्भावना नहीं होती इन्क्रोचमेंट की, वहां इसे लागू नहीं किया जाता है। जहां इन्क्रोचमेंट होने का डर रहता है वहां इसे लागू किया जाता है।

अहरौरा बांध से निकलने वाली नहर से मिर्जापुर की चुनार तहसील में सिंचाई

*२३--श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अहरौरा बांध से जो नहर मुगलसराय बनारस के लिये निकाली गयी है उस से मिर्जापुर चुनार तहसील में कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ?

श्री राममूर्ति--मुगलसराय नहर से मिर्जापुर की चुनार तहसील में २,४४० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

श्री राजकुमार शर्मा--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो २,४४० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी, इसमें कौन-कौन से गांव शामिल हैं ?

श्री राममूर्ति--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। इसकी सूचना इस वक्त नहीं है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुगलसराय नहर से कुल कितने एरिया की सिंचाई होगी ?

श्री राममूर्ति--१६,६८० एकड़ भूमि इससे सींची जायेगी।

लखनऊ बनारसीबाग स्थायी प्रदर्शिनी का स्थानान्तरण

*२४--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ के बनारसीबाग में जो स्थायी प्रदर्शिनी सूचना विभाग की ओर से खोली गई थी वह क्यों बन्द कर दी गई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--स्थान तथा ऋतु की असुविधा के कारण प्रदर्शिनी का स्थानान्तरण मार्च, १९५५ के अन्तिम सप्ताह में अस्थायी तौर पर लखनऊ के म्युनिसिपल हाल में कर दिया गया।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बनारसी-बाग में प्रदर्शिनी का आयोजन यदि अस्थायी तौर पर करना था तो उस के लिये स्थायी ढंग के मकान, फाटक आदि पर इतना रुपया क्यों व्यय किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--स्थायी ढंग पर तो वहां नहीं खर्च किया गया। माडेल्स वगैरह बनाये गये और वह वहां मौजूद हैं और बनारसीबाग की वह विशेषता होंगे। अब स्थायी ढंग से बनाने की चेष्टा की जा रही है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सारी व्यवस्था करने में, बनारसी बाग में और सामान मंगाने में कुल कितने रुपये का व्यय हुआ ?

श्री अध्यक्ष--यह इससे उठता नहीं है। आपने मूल सवाल में प्रदर्शिनी को क्यों बन्द कर दिया, केवल यही पूछा है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि म्युनि-सिपल हाल में प्रदर्शिनी के रूप में वह सब सामान है, या वहां स हटा दिया गया ? बाहर से जो मंगाया गया था वह म्युनिसिपल हाल में जमा कर दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--माननीय सदस्य जानते हैं कि बहुत सा सामान था। जहां तक उस में आ सका है उस को ठिकाने से लगा दिया गया है कि लोग जाकर के उस को देखें। फिर भवन का निर्माण होते ही वे सब ढंग से रख दिये जायेंगे।

*२५-२७—श्री रामकुंवर पांडेय [४ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*२८-२९—श्री रामदास (जिला फैजाबाद)—[१८ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*३०—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—[२५ अगस्त, १९५५ को प्रश्न संख्या ४९ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

बस्ती जिला बोर्ड की बाढ़ ग्रस्त सड़कों तथा पाठशाला भवनों की मरम्मत के लिये सहायता

*३१—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिला बोर्ड की सड़कों व पाठशाला के भवनों को गत बाढ़ में जो क्षति पहुंची है, उस को पूरा करने के लिये सरकार ने कितनी आर्थिक सहायता बस्ती जिला बोर्ड को देना स्वीकार किया है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जिला बोर्ड, बस्ती को १९५३-५४ में बाढ़ से क्षत उसकी सड़कों व भवनों की मरम्मत के लिये सरकार ने एक लाख रुपये का अनुदान जनवरी, १९५५ में स्वीकृत किया है।

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो रुपया जिला बोर्ड बस्ती को दिया गया था वह बोर्ड ने अब तक खर्च किया या नहीं ?

श्री कैलाश प्रकाश—कितना रुपया जिला बोर्ड ने खर्च किया है इसकी सूचना इस समय उत्तर में नहीं है।

बलिया जिले में सिंचाई की सुविधा के लिये नलकूप लगाने की व्यवस्था

*३२—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया रिसिलगंज सड़क के निर्माण के कारण अब सहस्रों एकड़ भूमि गंगाजल से सींची न जा सकेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि उस क्षेत्र में नलकूपों के लगाने की व्यवस्था पर वह शीघ्रातिशीघ्र विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—बलिया बेरिया बांध के निर्माण से लगभग ६०,८०० एकड़ भूमि की रक्षा बाढ़ से हो सकेगी। इस क्षेत्र में १६ नलकूपों का निर्माण हो रहा है जिनसे लगभग २०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत भी इस क्षेत्र में कुछ और नलकूप बनाने का प्रस्ताव है।

श्री जगन्नाथ सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो १६ नलकूप बनाये जा रहे हैं वे किन-किन जगहों पर बनाये जा रहे हैं और उनमें कितने पूरे हो चुके हैं और कितनों का निर्माण अधूरी अवस्था में है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उन गांवों की फ़ेहरिस्त तो इस वक्त हमारे पास नहीं है लेकिन रेलवे लाइन और गंगा के बीच में जो दोआबा का बांगर का हिस्सा है उसी में ये नलकूप लगाये जा रहे हैं।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या यह सही है कि बांध और गंगा के बीच में जो गांव आ गये हैं उनकी दुर्दशा बाढ़ के समय में पहले से अब ज्यादा हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, बांध और गंगा के बीच में जो गांव आयेंगे उनमें गंगा बढ़ेंगी तो कष्ट तो उनको पहुंचेगा ही इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन कोशिश इस बात की अवश्य की जायगी कि इन गांवों को अगर हम ऊंचा कर सकते हों तो ऊंचा कर दें और जो बड़ा भारी बांध बन रहा है उससे इनको टाई भी कर दें ताकि बाढ़ वगैरह के समय में लोग हटना चाहें तो बांध पर हट सकें।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या यह सही है कि बांध के उत्तर की तरफ जितने गांव हैं वहां से मंत्री महोदय के पास मौखिक और लिखित शिकायतें आयी हैं कि पहले गंगा के जल से वहां की जो जमीन उर्वरा हो जाती थी उससे वे गांव वंचित कर दिये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो बांध बन रहा है उसमें गंगा का पानी भीतर आ सके इसका तो प्रबन्ध किया गया है। उसमें रेगुलेटर्स लगाये जायंगे ताकि गंगा का पानी भीतर भी आ सके और मान्यवर, जैसा कि होता है, अगर बांध हम बांधेंगे, पानी कुछ कम आयेगा तो बाढ़ से रक्षा होगी। सिंचाई की अगर कमी हो तो उसके लिये नलकूप बना रहे हैं। एक तरफ तो बांध की मांग होती है फिर यह होता है कि पानी नहीं आयेगा।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नलकूप बनाये गये थे उनमें से बाढ़ आने के कारण कितने दब गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बाढ़ से कोई भी नलकूप भगवान की कृपा से न दबा है न रेत में फंसा है।

बलिया जिले में गंगा और सरयू नदियों द्वारा भूमि कटाव रोकने की योजना

*३३—**श्री जगन्नाथ सिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गंगा और सरयू के प्रवाह से जो बलिया की भूमि प्रायः प्रतिवर्ष कट रही है उसकी रक्षा के लिये सरकार निकट भविष्य में क्या करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति—जिला बलिया में गंगा और सरयू नदियों द्वारा होने वाले भूमि के कटाव को रोकने की योजना पर सरकार ने विचार किया और कुछ छानबीन भी की। स्पर बना कर कटाव को रोकने की संभावना है या नहीं, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है।

श्री जगन्नाथ सिंह—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जिस तरह से बलिया शहर की रक्षा हुई है उसी तरह से गूलें बना कर देहात की पुलियों की रक्षा की जायगी ?

श्री राममूर्ति—उसमें खर्चा इतना ज्यादा होता है और उतना लाभ नहीं होता है।

*३४-३६—**श्री रामसुभग वर्मा**—[४ अक्तूबर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ६०-६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

नवाबगंज नोटीफाइड एरिया (गोंडा) को सहायतार्थ ऋण की आवश्यकता

*३७—**श्री गंगा प्रसाद** (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा, तहसील तरबगंज के नवाबगंज नोटीफाइड एरिया को प्रतिवर्ष सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जाती है ?

श्री कैलाश प्रकाश—नोटीफाइड एरियाओं को वार्षिक अनुदान देने के लिये कोई धनराशि नहीं है। प्रतिवर्ष कुछ धनराशि उनको आवश्यकतानुसार ऋण के रूप में देने के लिये बजट में निर्धारित की जाती है तथा जिन नोटीफाइड एरियाओं को आवश्यकता तथा ऋण लेकर काम करने की क्षमता होती है उनको नियमानुसार ऋण दिया जाता है।

नोटीफाइड एरिया नवाबगंज को पिछले ३ वर्षों में कोई ऋण नहीं दिया गया।

श्री गंगा प्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नवाबगंज नोटीफाइड एरिया की सड़कों की हालत बहुत खराब है और बार-बार सरकार से ऋण मांगने के उन्होंने प्रार्थना-पत्र भी दिये फिर भी उनको ऋण नहीं दिया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश---प्रार्थना-पत्र तो उन्होंने दिये किन्तु उनकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है इसलिये कोई ऋण उनको नहीं दिया जा सका ।

श्री गंगा प्रसाद---तो क्या सरकार फिर से उनकी आर्थिक अवस्था ठीक करने के लिये ऋण देने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश---ऋण उसी हालत में दिया जा सकता है जब ऋण चुकाने की उनकी क्षमता हो ।

बस्ती जिले में पंचायत राज मंत्रियों में हरिजन

*३८---श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)---क्या स्वशासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५४ में बस्ती जिले में पंचायतराज मन्त्रियों की कुल कितनी संख्या थी और कितने पंचायत मन्त्री परिगणित (हरिजन) जाति के थे ?

श्री कैलाश प्रकाश---सन् १९५४ में बस्ती जिले में पंचायत मंत्रियों की कुल संख्या ३६४ थी, जिनमें १८ परिगणित (हरिजन) जाति के थे ।

श्री प्रभुदयाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निर्धारित कोटा के अनुसार हरिजनों को लेने में क्या कठिनाई रही ?

श्री कैलाश प्रकाश---इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि अब जो नियुक्तियां हों वह हरिजनों की हों ।

सलेमपुर तहसील, जिला देवरिया में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र

*३९---श्री शिवबचन राव (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सलमपुर तहसील, जिला देवरिया में कितने ट्यूबवेल लगे हैं, उन ट्यूबवेलों में कितने चालू हैं और उनसे सन् ५४ में कुल कितने एकड़ अगहनी धान की फसल और रबी की फसल की सिंचाई हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जिला देवरिया की सलेमपुर तहसील में ३१ राजकीय नलकूप लगे हैं, इनमें से १४ नलकूप चालू हैं। १९५४-५५ की रबी में केवल ६ नलकूप चल रहे थे, जिनसे ८० एकड़ अगहनी धान, ३८ एकड़ ईख तथा १३८ एकड़ रबी की फसल की सिंचाई हुयी ।

अहरौला (सलेमपुर) ट्यूबवेल का सिंचाई-कर कम करने की मांग

*४०---श्री शिवबचन राव (अनुपस्थित)---क्या सरकार के पास इस आशय का प्रार्थना-पत्र आया है कि अहरौला (सलेमपुर) ट्यूबवेल से सिंचाई करने का जो कर ७० रुपया या अधिक हिसाब से लिया गया है, उसे कम करा दिया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां। एक प्रार्थना पत्र मौजा अहरौली, जो सलेमपुर ग्रूप के ट्यूबवेल संख्या ३ के कमान्ड में है, के काश्तकारों के पास से आया है, जिसकी जांच हो रही है ।

देवरिया जिले में बड़ी गंडक नदी के बांध पर व्यय तथा मुआवजा

*४१—श्री महावीर सिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला की हाटा तहसील में बड़ी गंडक के किनारे जो बांध बंध रहा है उसमें निकले हुये खेतों का वह मुआवजा देने का विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—चिलौनी बांध के लिये ४३.२५ एकड़ भूमि को 'भूमि प्राप्त अधिनियम द्वारा प्राप्त करने के लिये जिलाधीश, देवरिया को लिखा गया है। आवश्यक कार्यवाही समाप्त होने पर मुआवजा दिया जायगा।

*४२—श्री महावीर सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस बांध के निर्माण में अब तक कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री राममूर्ति—इस बांध के निर्माण में अब तक १५ लाख रुपया खर्च हुआ है।

श्री महावीर सिंह—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो मुआवजे का मामला विचाराधीन है उसका अंतिम निर्णय कब तक होगा ?

श्री राममूर्ति—अभी मैंने अर्ज किया कि इसके बारे में सिंचाई महकमे ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिख दिया है और इस बात की कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस बांध के बनाने में कितनी जमीन निकाली गयी है ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि ५०.२५ एकड़ भूमि हमने ली है जिसका मुआवजा देने की बातचीत है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मुआवजा देने में इतनी देर क्यों हुयी ?

श्री राममूर्ति—कुछ आफिसरान की कमी थी। पहले भी सदन में बताया जा चुका है कि अब हमने ५ स्पेशल आफिसर रख दिये हैं ताकि इस तरह के केसेज जल्दी तय कर दिये जायं।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन है कि जो जमीन जिसकी ली जा रही है, उसका मुआवजा जो बाजार का रेट है उसके मुताबिक दिया जाय और उनके परिवार वालों को नौकरी देने में विशेष ध्यान रखा जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह जो सवाल आपने रखा है, सुझाव हो सकता है, प्रश्न नहीं।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जमीन निकाली गयी है उसका मुआवजा किस रेट से दिया जाता है ?

श्री राममूर्ति—मुआवजा देने का कानून बना हुआ है उसी के लिहाज से दिया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि जो जमीन काश्तकारों की बांध आयी है, उसकी मालगुजारी किसानों को अब तक देनी पड़ी है ?

श्री राममूर्ति—अगर ऐसा हुआ होगा तो जब मुआवजा दिया जायगा तो जो रुपया दिया जा चुका है उसको वापस कर दिया जायगा ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार इस तरह का आदेश जिला अधिकारियों को देगी कि जो खेत बांध में पड़ गये हैं, उनकी मालगुजारी वसूल न की जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस विषय में मैं यह बतला देना चाहता हूं कि यह बात सही है कि बहुत सी जगहों में जमीन ली गयी है और क्योंकि जिसकी जमीन ली गयी है, उसका नाम अभी तक कागजों से खारिज नहीं हुआ है इसलिये उसको लगान देना पड़ा और यह बात हमारे नोटिस में भी आयी है और यह आदेश दिये जा चुके हैं कि इस प्रकार की कठिनाइयों की वजह से जो लगान किसानों को देना पड़ा है वह सिंचाई विभाग रिफंड कर दे और शीघ्र से शीघ्र लैन्ड ऐक्वीजीशन के मुताबिक एक्वायर हो सके, मुआवजा दिया जाय। इसके लिये सिंचाई विभाग को आदेश दिये जा चुके हैं और आफिसर्स रखे जा चुके हैं और मुझे आशा है कि शीघ्र ही सारा मसला हल हो जायगा।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जो जमीन इस बांध के लिये ली गयी है वह खड़ी फसल की जमीन ली गयी है। तो उसका मुआविजा किस रेट से दिया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ऐसा हो सकता है कि खड़ी हुयी फसल की जमीन ली गयी हो, लेकिन इस सम्बन्ध में यह आदेश जा चुके हैं कि जहां कहीं खड़ी फसल हो वह फसल तब तक न काटी जाय जब तक कि वह फसल वाला यह राय न दे दे कि हमारी फसल को काटो और इतना हमें मुआविजा दे दो, हम तुरन्त मुआविजा भी दे देते हैं। इसके लिये कोई लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। यह भी मैं बताऊं कि अगर फसल के लिहाज से हम अपना काम रोक देते हैं तो एक तरफ यह भी मांग होती है कि काम शिड्यूल में पूरा हो और दूसरी तरफ यह कि फसल काटो नहीं। बांध बनेगा, नहर निकलेगी तो जमीन लेनी ही होगी। नहर निकले, बांध बंधे और जमीन भी न मिले तो फिर दोनों बातें साथ-साथ नहीं चल सकतीं।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस बांध के पूरा होने से कितने गांवों की रक्षा हो सकती है. और इस वर्ष बाढ़ से कितने गांवों की रक्षा हुयी है ?

श्री राममूर्ति---गांवों की तो कोई सूचना इस वक्त नहीं है, किन्तु १,२१,६०० एकड़ भूमि की इससे रक्षा होगी।

*४३---**श्री रामस्वरूप गुप्त** (जिला कानपुर)---[१४ सितम्बर, १९५५ को प्रश्न संख्या ४४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

बस्ती जिले की विभिन्न तहसीलों में टाउन एरिया स्थापित करने की आवश्यकता

*४४---**श्री धनुषधारी पांडेय** (जिला बस्ती)---क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती के खलीलाबाद, मगहर, हरिहरपुर, बखिरा, बांसी, उसका, डुमरियागंज हर्रैया के गांवों में वे टाउन एरिया स्थापित करने को सोच रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी जो यह तहसील के हैडक्वार्टर्स हैं वहां पर टाउन एरिया बनाने के लिये कृपा करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश---जब इस तरह का कोई प्रस्ताव आयेगा तो उस पर अवश्य विचार किया जायगा।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार कृपा कर हर्रैया तहसील के अन्तर्गत बभनान, जहां पर शुगर मिल भी हैं वहां पर नोटीफाइड एरिया बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष---यह नाम फेहरिस्त में नहीं है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रस्ताव आने पर टाउन एरिया बनाया जाता है या वहां की परिस्थिति आबादी और अवस्था को देखकर सरकार टाउन एरिया बनाती है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, कहीं टाउन एरिया बनाने की अगर व्यवस्था होती है तो वहां के लोगों की तरफ से सुझाव आता है और वहां की गांव सभा से भी सलाह ली जाती है। वहां के लोकल अधिकारियों से भी पूछा जाता है और वहां की आर्थिक स्थिति को भी देखा जाता है। इन सब बातों को देखने के बाद बनाने का निश्चय किया जाता है ।

बस्ती जिले में मुखलिसपुर से छावनी सड़क को पुलों सहित पक्का करने पर विचार

*४५—**श्री धनुषधारी पांडेय**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती, तहसील खलीलाबाद के घाघरा तथा कुआनों नदी के बीच कोई पक्की सड़क नहीं है और न कोई पुल इन नदियों पर उक्त क्षेत्र को संबंधित करने के लिये हैं ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—जी नहीं, कोई पक्की सड़क नहीं है और न कोई पुल इन नदियों पर हैं ।

*४६—**श्री धनुषधारी पांडेय**—क्या सरकार उपरोक्त क्षेत्र की सड़क (पौली से बसवारी बेज तक जाने वाली) को पक्की कराने तथा उस पर पुलों को बनवाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, मुखलिसपुर से छावनी सड़क को पुलों सहित पक्का करने का प्रस्ताव द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचाराधीन है ।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इन दोनों नदियों के बीच में जो गांव पड़ते हैं उनको मिलाने के लिये कोई आवागमन का रास्ता नहीं है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—नहीं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एक कच्ची सड़क वहां मौजूद है ।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि ६ नवम्बर, ५४ को हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री, माननीय पंत जी ने मुखलिसपुर, कुआनो के तट पर कहा था और आश्वासन दिया था कि वहां पर पुल बन जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने ६-११-५४ को सेक्रेटरी पी० डब्लू० डी० के पास ऐसे आदेश भेज दिये थे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके लिये भी सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

जिला बोर्ड, गोरखपुर की सड़कों के रखरखाव के लिये सहायता

*४७—**श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड गोरखपुर की कच्ची तथा पक्की सड़कों के रखरखाव के लिये प्रदेशीय सरकार सहायता के रूप में कितना रुपया देती है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जिला बोर्ड, गोरखपुर को शासन कच्ची सड़कों के रखरखाव के लिये १५,४४० रु० का वार्षिक आवर्तक अनुदान देता है। पक्की सड़कों के रखरखाव के लिये कोई आवर्त्तक अनुदान नहीं दिया जाता ।

श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिन कच्ची सड़कों के रखरखाव के लिये रुपया दिया जाता है उनकी कुल लम्बाई क्या है ?

श्री कैलाश प्रकाश--इस समय इस बोर्ड की सड़कों की कितनी लम्बाई है, यह सूचना नहीं है ।

उन्नाव जिला के अन्तर्गत बक्सर के पास गंगा नदी पर पुल निर्माण की आवश्यकता

*४८--श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कानपुर और इलाहाबाद के बीच उन्नाव जिलान्तर्गतबक्सर के पास गंगा नदी पर पुल बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी नहीं ।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस स्थान पर पुल बनाने से लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, फतेहपुर और बांदा सब एक यातायात पंक्ति में आ जायेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां, यह सम्भव है ।

श्री देवदत्त मिश्र--इस बात को दृष्टि में रखते हुये क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से इस पुल के निर्माण में सहायता प्राप्त करने का प्रयास करेगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी नहीं ।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि अगली पंचवर्षीय योजना में इस पुल को बनाने का विचार करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--अगली पंचवर्षीय योजना का समय आये तो विचार किया जाय ।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी अपने उत्तर का स्पष्टीकरण करने की कृपा करेंगे कि "जी नहीं" से उन का क्या आशय है ?

श्री अध्यक्ष--आपने तो इतनी देर में बगैर स्पष्टीकरण मांगे ही कई पूरक प्रश्न कर लिये । अब स्पष्टीकरण की इजाजत नहीं दूंगा ।

आजमगढ़ जिला बोर्ड को विभिन्न कार्यों के लिये अनुदान तथा ऋण

*४९--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपा कर के यह बतायेगी कि सन् १९५२-५३, १९५३-५४ में आजमगढ़ जिला बोर्ड को उसने कितना अनुदान तथा ऋण दिया था ?

श्री कैलाश प्रकाश--वांछित सूची का विवरण-पत्र सदस्य महोदय की मेज पर रक्खा है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १६० पर)

*५०--श्री उमाशंकर--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि उक्त अनुदान तथा ऋण किस काम के लिये सरकार द्वारा दिया गया था ?

श्री कैलाश प्रकाश--इस प्रश्न में वांछित सूचना पूर्व प्रश्न के उत्तर में प्रस्तुत विवरण-पत्र में समन्वित है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १६० पर)

श्री उमाशंकर--क्या सरकार कृपा कर यह बतावेगी कि यह रुपया जिन कार्यों के लिये जिला बोर्ड को दिया गया था वह उन्हीं पर खर्च हुआ है, क्या सरकार ने इसकी जांच की है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जांच तो इसकी करायी नहीं, लेकिन आशा यही की जाती है ।

श्री उमाशंकर—यह रुपया जो सन् १९५२-५३ में दिया गया था वह किन-किन सड़कों पर खर्च करने के लिये दिया गया था ?

श्री कैलाश प्रकाश—जो रुपया यहां से दिया जाता है तो सड़कें निर्धारित नहीं की जाती हैं किन-किन पर खर्च किया जाय।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—यह अनुदान रेकरिंग है। या नानरेकरिंग ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह तो उसी वर्ष के लिये अनुदान था।

श्री रामेश्वर लाल—क्या जिला बोर्डों को अनुदान देते वक्त यह ध्यान रखा जाता है कि जिला बोर्डों की तरफ से मांग हो या सरकार स्वयं अपनी तरफ से देती है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जिला बोर्डों को जो आवश्यकता होती है उसी के अनुसार अनुदान निश्चित किया जाता है।

श्री व्रजविहारी मिश्र—सन् १९५३-५४ में इस जिला बोर्ड ने कितने अनुदान की मांग की थी ?

श्री कैलाश प्रकाश—कितना उन्होंने मांगा था इसके आंकड़े इस समय नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो दे दिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—सन् १९५२-५३ और १९५३-५४ में राजकीय स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिये कितना रुपया जिला बोर्डों को दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—वह ब्योरा आप माननीय उमाशंकर जी से पूछ लें। उनके पास उत्तर में है।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार बता सकती है कि १९५२-५३ में आजमगढ़ के जिला बोर्ड में कितने आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालय बनवाये गये थे ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इससे नहीं उठता। इतना ब्योरा स्थानीय संस्थाओं के बारे में मन्त्री जी से नहीं पूछा जा सकता। बात यह है कि स्थानीय संस्थाओं के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर वहां भी होते हैं तो इसलिये उनके रोज के इंतजाम के बारे में या इतने ब्योरे में इस सदन में नहीं पूछा जा सकता है। नियमों में भी इसके बारे में दिया है कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। केवल सिद्धान्तों या महत्व के सार्वजनिक हित के विषयों के बारे में जो प्रश्न हैं वही पूछे जा सकते हैं।

श्री रामेश्वर लाल—१९५३-५४ में आजमगढ़ जिला बोर्ड ने जो अनुदान मांगे वह किन-किन कामों के लिये थे ?

श्री कैलाश प्रकाश—इसका ब्योरा इस समय नहीं है। सूचना की आवश्यकता है।

श्री उमाशंकर—क्या जिला बोर्ड आजमगढ़ के लेखा-जोखा के सम्बन्ध में निरीक्षण की रिपोर्ट सरकार के पास आयी है ?

श्री कैलाश प्रकाश—इस समय निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि रिपोर्ट आयी है या नहीं।

अलीगढ़ जिले में प्रथम श्रेणी के अवैतनिक मजिस्ट्रेटों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

*५१—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—अलीगढ़ जिले में कितने आनरेरी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हैं, और कितनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और अपने पद का नाजायज फायदा उठाने की शिकायतें आई हैं? सरकार ने क्या कार्यवाही उन अर्जियों पर की?

श्री सैयद अली जहीर—कुल ५ हैं और इनमें से केवल एक के खिलाफ १९५५ में एक शिकायत आयी थी। शिकायत गुमनाम होने की वजह से उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

आजमगढ़ जिले के फूलपुर क्षेत्र में नलकूपों का निर्माण

*५२—श्रीमती आशालता व्यास (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला आजमगढ़ के फूलपुर दक्षिणी क्षेत्र में प्रति ट्यूबवेल कितने सौ फीट पाइप भूमि में लगाये गये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला आजमगढ़ फूलपुर दक्षिण क्षेत्र में लगाये गये ट्यूबवेलों में निम्नलिखित गहराई तक पाइप लगाये गये हैं:—

		फीट
(१)	बिलवई	४०७
(२)	चकधौला	३६०
(३)	सुमाडीह	३०२
(४)	अम्बारी	३२०
(५)	छज्जू पट्टी	४२०
(६)	गैससुर	३३०
(७)	सत्तरपुर	३००
(८)	इतकैया	३४८
(९)	सहराजा	३८०
(१०)	टिंगवा	२९५
(११)	माहुल	३५०

*५३—श्रीमती आशालता व्यास (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस क्षेत्र में असफल ट्यूबवेल पर कितना धन व्यय हुआ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—असफल ट्यूबवेलों पर लगभग ६०,००० रुपया व्यय हुआ है।

*५४—श्री झारखंडे राय—[१४ सितम्बर, १९५५ को प्रश्न संख्या ४५ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

राज्य के बाढ़-ग्रस्त मार्गों की मरम्मत पर व्यय

*५५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन बाढ़-पीड़ित जिलों की सड़कों की मरम्मत एवं उनको पक्की कराने के लिये सन् १९५४ में कितना-कितना रुपया दिया गया है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—आवश्यक सूचना अभी एकत्रित की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर सदस्य महोदय को दे दी जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह आवश्यक सूचना के एकत्रित करने में कितने दिन और लगेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसमें कुछ कठिनाई थी। श्रीमन्, यह २२ जिलों से सम्बन्धित सूचना थी और इस सूचना को जो जिले में हमारे अधीनस्थ कार्यालय हैं उनको इकट्ठा करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मेरा खयाल है कि बहुत जल्द वह एकत्रित हो जायगी।

मिर्जापुर जिले में गंगा पर पुल बनाने की मांग

*५६—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिला नियोजन समिति द्वारा गंगा जी पर पक्का पुल बनाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पारित करके तथा जनता द्वारा सरकार से पुल बनवा देने की प्रार्थना की गयी थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां।

*५७—श्री व्रजभूषण मिश्र—यदि हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी अब तक इस सम्बन्ध में हुई प्रगति पर कुछ प्रकाश डालेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कर्ज लेने के लिये लिखा-पढ़ी की जा रही है और जिन शर्तों पर ऋण वह देना चाहेगी या यह सरकार लेना चाहेगी वह अभी विचाराधीन है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पुल की उपयोगिता केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—पुल की आवश्यकता है ऐसा समझा जाता है, लेकिन किसको कितनी आवश्यकता है यह नहीं कहा जा सकता। इसमें प्राथमिकता किसको दी जायगी, यह अलग प्रश्न रह जाता है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि मिर्जापुर की नियोजन समिति ने पुल बनाने के लिये कोई एस्टिमेट भी बनाया है और उसे सरकार के पास भेजा है कि इतना रुपया लगेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

झांसी जिले में मऊरानीपुर नगरपालिका द्वारा नलकूप लगाने की मांग

*५८—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि मऊरानीपुर (झांसी) में जल का घोर कष्ट होने के कारण वहां के म्युनिसिपल बोर्ड ने वहां नल लगाने की कोई योजना बनाई थी और सरकार के पास मंजूरी के लिये भेजी थी ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, स्थानीय नगरपालिका ने ट्यूबवेल बनाने की एक योजना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन्जीनियरिंग विभाग द्वारा बनवाई थी और स्टेट हेल्थ बोर्ड के पास मंजूरी के लिये भेजी थी।

*५९—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त योजना कब बनी थी और वह अभी तक कार्यान्वित क्यों नहीं हुई ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह योजना १९५० में बनी थी, लेकिन इसे पूर्णरूप से इस कारण कार्यान्वित नहीं किया जा सका कि trail नलकूप को कुछ गहराई तक खोदने के पश्चात् कठोर पथरीली चट्टान आ गई, जिसको कि यंत्र भेद न सके और कार्य को कई प्रयत्नों के बाद भी स्थगित कर देना पड़ा। अभी तक कोई अधिक शक्तिशाली यंत्र नहीं मिल सका जो कि उन चट्टानों का भेदन कर सके।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी सपरार बांध से पानी सप्लाई करने की व्यवस्था करके वहां की जनता का कष्ट दूर करने का प्रयत्न करेंगे?

श्री कैलाश प्रकाश—अभी प्रयत्न किया जा रहा है कि उसी ट्यूबवेल को बनाया जाय। अगर वह नहीं बन पाता है तो इस पर भी विचार किया जायगा।

नलकूपों के लिये विद्युत की मांग

*६०—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने विद्युत् चालित नलकूप लगाने की योजना इस प्रान्त में थी?

श्री राममूर्ति—प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय में इस प्रान्त में ३१५२ राजकीय नलकूप लगाने का प्रयास है यद्यपि योजना के अन्तर्गत २००० नए कुएं ही हैं।

*६१—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन नलकूपों में कितनों को विद्युत् दी जा रही है और कितनों को अब तक नहीं दी गयी है?

श्री राममूर्ति—३१ अगस्त, १९५५ के अन्त तक १९५५ नलकूप तैयार हो गये थे, जिनमें से १६०८ विद्युत् द्वारा चालित हो गये हैं।

*६२—श्री केशव पांडेय—क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग ने सरकार से विद्युत् की कई बार मांग की है परन्तु फिर भी विद्युत नहीं दी गयी है? इसका क्या कारण है?

श्री राममूर्ति—नलकूपों का विद्युतकरण समय-समय पर तथा जितनी जल्दी सम्भव होता है किया जाता है और इस कार्य में प्रगति बिजली के आवश्यक सामान की उपलब्धता पर ही निर्भर होती है।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि १६०८ विद्युत् द्वारा चालित नलकूप के अलावा जो कूप बच रहे हैं उनको डीजेल से या पावरिंग से चलाने में कितना-कितना अलग अलग खर्चा पड़ रहा है?

श्री अध्यक्ष—यानी ३६० नलकूप जो बच रहे हैं उनके बारे में आप अलग-अलग जानना चाहते हैं। जरा सवाल स्पष्ट करिये।

श्री केशव पांडेय—३६० नलकूप जो बच रहे हैं उन पर अलग-अलग पावरिंग से या डीजल आयल से चलाने में कितना खर्चा पड़ रहा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—दोनों में खर्चा बहुत बड़ा है। जो कुवें बिजली से चलते हैं। अगर वह हाइडल की बिजली हो तो जरा सस्ते पड़ते हैं। स्वयं की बिजली से सस्ते पड़ते हैं। लेकिन बिजली के इंजिन से जो कुवें चलते हैं उन पर खर्चा बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिये दोनों के रेट में भी फर्क है जो हम पानी के दामों में चार्ज करते हैं।

नोट—तारांकित प्रश्न ६२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

हाथरस-जलेसर सड़क के निर्माण की आवश्यकता

*६३—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या निर्माण मंत्री हाथरस से जलेसर जाने वाले मार्ग को, जो ३० फुट चौड़ाई में श्रमदान से तैयार हो चुका है और जिसकी लम्बाई १६ मील है, प्रदेशीय व्यवस्था में लेने का विचार कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं।

जिला नियोजन समिति ने उस सड़क को अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सुझावों में पांचवीं प्राथमिकता दी है, और जब तक ऊपर की प्राथमिकता की सड़क को बनाने की व्यवस्था न हो जावे तब तक हाथरस-जलेसर वाली सड़क के बनवाने के प्रश्न पर विचार करना सम्भव न होगा।

कुमायूं और गढ़वाल इर्रीगेशन डिवीजन के अन्तर्गत योजनायें

*६४—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुमायूं सर्वे डिवीजन के पुनर्निर्माण के बाद कौन-कौन सी योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है और उनके निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पुनर्निर्माण के बाद कुमायूं और गढ़वाल इर्रीगेशन डिविजन १९५४-५५ में जिन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है उनकी एक सूची (क) मेज पर रखी गयी है। उक्त सूची में इन योजनाओं की आनुमानित लागत तथा उन पर जो व्यय मार्च, १९५५ तक हुआ है, भी दिया हुआ है। मार्च, १९५६ तक इन योजनाओं के पूर्ण हो जाने की आशा है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १६१-१६३ पर)

*६५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भविष्य में उक्त डिवीजन किन योजनाओं को कार्यान्वित करने वाला है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—भविष्य में जिन-जिन योजनाओं को कार्यान्वित करने का विचार है उनकी एक सूची (ख) मेज पर रक्खी हुई है। इन योजनाओं का अभी सर्वे नहीं हुआ है। सर्वे के उपरान्त जो उचित प्रतीत होंगी केवल उन्हीं पर कार्य आरम्भ किया जायगा।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १६४-१६६ पर)

*६६-६७—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—[४ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*६८-६९—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[६ अक्तूबर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ३०-३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले की कच्ची सड़कों को पक्का करने की आवश्यकता

१—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की किन-किन कच्ची सड़कों को सन् १९५५-५६ में पक्की करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

२-३—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—[४ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

झांसी-बरुआ सागर सड़क पर बेतवा नदी का मोट घाट का रिपटा बनाने पर विचार

४—श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि झांसी-बरूआ सागर रोड पर बेतवा नदी का मोट घाट का रिपटा वह कब तक बनाने का विचार रखती है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर न मिलने के संबंध में आपत्ति

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि आज के एजेंडे में आप देखेंगे कि प्र० सं० २५–२७ को आपके कार्यालय से सरकार के पास २२-५-५५ को भेज दिया गया था । ३ महीने और २८ दिन आज हो गये हैं । श्रीमन्, जो नियमावली है.....

श्री अध्यक्ष—इसके लिये यह स्थान नहीं है पूछने का । इसके लिये मेरे कमरे में आइये । इस को स्थगित क्यों किया गया इस का जवाब मेरे पास सरकार की तरफ से आया होगा । मुझसे आप पहले पूछ लें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—५५ नम्बर का जो सवाल है जिसका जवाब मिला है, जो सरकार के पास .....

श्री अध्यक्ष—यह मेरे कमरे में आकर कहिये । मेरे पास उसका एक्सप्लेनेशन होगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—इसका तो उत्तर मिला है । वह कुछ उत्तर है ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष—वह भी आप मेरे कमरे में बताइये ।

प्रश्नों के उत्तरों में उल्लिखित सूचियां आदि सभी सदस्यों को देने के लिये प्रार्थना

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मुझे कुछ निवेदन करना है । वह यह है कि जो सरकार की तरफ से सवालों के जवाब दिये जाते हैं उनमें कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिन सज्जन ने पूछा है उन्हीं को जवाब मिलता है । ऐसे सवाल जिनका उन्हीं को जवाब मिलता है अगर हर एक सदस्य को मिल जाया करे तो सप्लीमेंटरी करने में आसानी होगी और सब सस्दयों को जानकारी भी हो जायगी । इसलिये आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि सबको जवाब मिल जाया करे ।

श्री अध्यक्ष—अगर हमारा सदन छोटा होता तो यह सम्भव होता । लेकिन बात यह है कि इतनी संख्या में जवाबों को छपवाने का खर्चा इतना पड़ेगा कि बहुत अधिक होगा । इस पर पहले भी विचार इस सदन में हुआ था और उस वक्त भी यह जवाब दिया गया था कि चूंकि खर्चा ज्यादा होगा इसलिये जो तरीका चल रहा है यही तरीका ज्यादा अच्छा होगा । इस सदन में ४३१ सदस्य हैं इसलिये छपायी में बहुत ज्यादा खर्चा होगा ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मैं हर सवाल के लिये नहीं कह रहा हूं । जिस सवाल का मेज पर जवाब रख दिया जाता है, उसका जवाब सदन में पढ़ कर सुनाया नहीं जाता । जैसे सरकार कई जवाबों में कहती है कि सदस्य की मेज पर रख दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—उसके ऊपर मैं विचार कर लूंगा ।

विधान सभा से अनुपस्थिति की अनुज्ञा के लिये श्री परिपूर्णानन्द वर्मा का प्रार्थनापत्र

श्री अध्यक्ष—उत्तर प्रदेश की विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १९१ (२) के अन्तर्गत विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्री परिपूर्णानन्द वर्मा के प्रार्थना-पत्र पर विचार। उनका प्रार्थना-पत्र इस प्रकार है:—

"मैं भारत सरकार के एक प्रतिनिधि मंडल में यूरोप जा रहा हूं, अतएव विधान सभा से इस सत्र के लिये मेरी अनुपस्थिति क्षमा की जावे तथा सभा मुझे अवकाश देने की कृपा करे। मैं अधिवेशन के प्रथम दिन यानी १७ अगस्त को उपस्थित था।"

मैं समझता हूं कि इसमें उनकी अनुपस्थिति के लिये यह सदन अनुज्ञा देता है। यह सर्वसम्मति से स्वीकृत है।

१९५५–५६ के प्रथम अनुपूरक अनुदान

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष, १९५५–५६ के प्रथम अनुपूरक अनुदान उपस्थित किये जायंगे।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष १९५५–५६ के प्रथम अनुपूरक अनुदान उपस्थित करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी यह बता सकेंगे कि इस सप्लीमेंटरी बजट पर कब बहस हो सकेगी इस सदन में?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को सूचना मिल चुकी है। कल आम बहस है और २६ को शायद उसके अनुदान लिये जायेंगे।

*उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४

खंड २

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम परिभाषायें में—

(क) "परामर्श समिति" का तात्पर्य धारा ८ के अधीन संगठित परामर्श समिति से है;

(ख) "प्रदेशना" (allotment) का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अथवा उनकी ओर से किसी व्यक्ति को किसी गृह के उपभोग और अध्यासन (occupation) के अधिकार प्रदान से है किन्तु इसके अन्तर्गत पट्टे (lease) द्वारा प्रदान नहीं है;

(ग) "गृह" का तात्पर्य धारा ३ की उपधारा (१) में अभिदिष्ट गृह से है और इसके अन्तर्गत उसका कोई भाग और निम्नलिखित भी है:

(१) कोई बाग, भूमि अथवा बाहरी घर (out houses) जो इस गृह से संलग्न हों,

---

*३ मई, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

(२) राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा गृह आयुक्त द्वारा गृह में प्रयोग के लिये दिया हुआ उपस्कर (furniture);

(३) ऐसे गृह में लगी हुयी कोई फिटिंग जो उसके अधिक लाभप्रद उपभोग के लिये हो ;

(घ) "गृह-आयुक्त (Housing Commissioner), "गृह उपायुक्त" (Deputy Housing Commissioner), "सहायक गृह आयुक्त" (Assistant Housing Commissinoer) का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उक्त अधिकारियों से है ;

(ङ) "औद्योगिक श्रमिक" का तात्पर्य फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८ में परिभाषित शब्द "worker" से है ;

(च) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है,

(छ) "किराये" का तात्पर्य गृह के उपभोग और अध्यासन के लिये प्रदेशना गृहीता (allottee) अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा देय धनराशि से है, और

(ज) "राज्य सरकार" (State Government) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) की पंक्ति १ और २ में शब्द "राज्य सरकार द्वारा अथवा" निकाल दिये जायं ।

मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि एलाटमेंट तो कोई स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ही होना चाहिये और आमतौर पर होता भी है । राज्य सरकार स्वतः कोई एलाटमेंट किसी मकान का अगर करने लगे तो फिर राज्य सरकार के सामने बड़ी कठिनाई उपस्थित हो जायगी । वैसे भी.....

श्री अध्यक्ष—सदन में, मैं समझता हूं कि आवाज काफी आ रही है । जो माननीय सदस्य बाहर जाना चाहते हैं शांतिपूर्वक बाहर चले जायं ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि एलाटमेंट का काम राज्य सरकार का नहीं है बल्कि जो उस धारा में "स्थानीय प्राधिकारी" कहा गया है उसके द्वारा ही होना चाहिये । मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार द्वारा एलाटमेंट की बात निकाल दी जाय और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ही एलाटमेंट कराया जाय क्योंकि अगर राज्य सरकार एलाटमेंट करेगी तो उसके सामने बड़ी बड़ी दिक्कतें पैदा हो जायंगी और इसके अलावा मुझे एक शंका भी है जिसको माननीय मंत्री जी दूर करने की कृपा करेंगे । वह यह कि जब राज्य सरकार कोई एलाटमेंट करेगी तो फिर जो एलाटी होगा उसे निकालने का काम, हटाने का काम किसके द्वारा होगा ? आया राज्य सरकार स्वतः उन एलाटीज को जो अनधिकृत रूप से कब्जा किये हैं उनको नोटिस देगी या वह काम कोई स्थानीय प्राधिकारी करेगा । मैं समझता हूं कि जब राज्य सरकार एक बार एलाटमेंट करेगी तो उसको ही यह अधिकार होगा कि वह उसे निकाल सके । यह मेरे लिये एक शंका है जिसको माननीय मंत्री जी दूर करने की कृपा करें क्योंकि जो एलाट करने वाला है उसको राइट है किसी को निकालने का । अगर एलाट दूसरा करता है और उसको निकालता दूसरा व्यक्ति है तो संभव है कि उसमें

कोई कानूनी अड़चन पड़े। वास्तव में जो होता है उसमें तो वह अधिकारी ही सामने होता है जो एलाट करता है, राज्य सरकार कभी एलाटमेंट करने नहीं जाती। जिसको स्थानीय प्राधिकारी एलाट करेगा वह राज्य सरकार की तरफ से ही माना जायगा। जितना काम भी सरकारी कर्मचारी करते हैं वह सब राज्य सरकार की तरफ से काम किया जाता है.....

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य जरा शांति कायम रखें। आवाज बहुत होती है। माननीय सदस्य जो भाषण दे रहे हैं उनका भाषण वह सुनने की कृपा करें।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी कार्य जो सरकारी कर्मचारी करते हैं वह राज्य की तरफ से किया हुआ ही माना जाता है। यह जो एलाटमेंट स्थानीय प्राधिकारी करेगा वह राज्य सरकार की तरफ से ही माना जायगा। "राज्य द्वारा अथवा" शब्द निकाल देने से सरकार को कोई कठिनाई नहीं पड़ती है। यदि माननीय मंत्री जी स्वयं एलाटमेंट करें तो स्थानीय प्राधिकारी को उसको कार्यरूप में परिणत करने में दिक्कत होती है और इसके अलावा उसे बहुत सी बातों में दिक्कत होगी। तो इसलिये, मैं समझता हूं कि अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यह "शब्द राज्य सरकार द्वारा अथवा" निकाल दिये जायं और जैसा मैंने कहा है यह संशोधन मान लेने से वह दिक्कत दूर हो जायगी।

* श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, माननीय मौर्य जी ने इस संशोधन को प्रस्तुत कर एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। अगर आप इस अधिनियम की जो परिभाषा है अलाटमेंट की, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ने की कृपा करें तो इसमें "राज्य सरकार द्वारा अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उनकी ओर से किसी व्यक्ति को किसी गृह उपभोग और अध्यासन के अधिकार प्रदान से है।" लेकिन यह परिभाषा इसी विधेयक के खंड ९ और ११ के विरोध में जाती है। आप यह देखेंगे कि इस विधेयक में लिखा गया है खंड ९ में :

"कोई भी व्यक्ति किसी भी गृह के अपने अनधिकृत अध्यासन में समझा जायगा --

(क) यदि उसने गृह पर कब्जा उस स्थिति में किया हो, जो गृह-आयुक्त द्वारा की गयी प्रदेशना के अन्तर्गत अथवा अनुसार न हो।"

तो यह गृह-आयुक्त करेगा, अलाटमेंट एक तो खंड ९ में है और खंड ११ में साफ लिखा हुआ है :

११---गृह-आयुक्त उस रीति से गृहों की प्रदेशना करेगा जो नियत की जाय।"

यानी हाउसिंग कमिश्नर जो अलाटमेंट करेगा वही अलाटमेंट माना जायगा।

अब इस परिभाषा में हमने लिख दिया है :

"राज्य सरकार द्वारा अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा उनकी ओर से ... अलाटमेंट" हमने अपने विधेयक में यह शब्द नहीं लिखे हैं कि गृह-आयुक्त राज्य सरकार की ओर से या प्राधिकारी की ओर से अलाटमेंट करेगा जबकि हमने उसको कारपोरेशन सोल माना है। तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे माननीय मौर्य जी के ही प्रश्न पर विचार न करें बल्कि सारे प्रश्नों पर विचार करें और इस पर फिलहाल विचार स्थगित कर दिया जाय और दुबारा इसको ठीक से ड्राफ्ट करके सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय। मेरे विचार में यह अलाटमेंट की परिभाषा गलतफहमी के आधार पर रखी गयी है। एक अलाटमेंट तो वह है जो आजकल चल रहा है, वह शायद उसके लिये परिभाषा है क्योंकि आजकल कोई हाउसिंग कमिश्नर नहीं है, लेबर कमिश्नर गवर्नमेंट की ओर से अलाटमेंट कर दिया करता है या डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से कोई साहब अलाटमेंट कर दिया करते हैं। लेकिन इस विधेयक की जो मंशा है वह दोनों अलाटमेंट के बारे में है। एक तो जो आजकल होता है अगर उसको रेगुलराइज करने का इरादा सरकार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

का है तो इस विधेयक का मन्तव्य दूसरा है जिसमें केवल हाउसिंग कमिश्नर ही अलाटमेंट करेगा। तो इसलिये पुराने अलाटमेंट की परिभाषा यहां पर प्रयुक्त नहीं हो सकती, इस परिभाषा को बदलना पड़ेगा ऐसा मेरा विचार है ।

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन आया है इसको स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं। आगे धारा ७ में यह दिया हुआ है कि कमिश्नर राज्य सरकार के आदेशों के या जो वह नियम बनाये उनके अनुसार कार्य करेगा। अगर यहां यह शब्द रखे नहीं जाते हैं तो कानूनी तरीके से उसमें कठिनाई पड़ेगी ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा ७ तो इस प्रकार है:—

"७—राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन, गृह आयुक्त गृहों की प्रदेशना उनके किराये की वसूली, ऐसे गृहों में अध्यासीन व्यक्तियों की बेदखली तथा उस अधिनियम के प्रशासन से सम्बद्ध अन्य मामलों के लिये उत्तरदायी होगा ।"

तो यह तो स्पष्ट है कि उसके अधीन ही गृह-आयुक्त गृह से बेदखली करेंगे और उत्तरदायी अन्य मामलों के लिये गृह-आयुक्त होगा। तो यह तो कोई जवाब नहीं हुआ। असल में तो नारायणदत्त जी ने जो धारा ९ और ११ का हवाला दिया है उसका कोई भी समाधान या उत्तर दिया नहीं गया। जब धारा ११ में स्पष्ट लिखा गया है कि "गृह-आयुक्त उस रीति से गृहों की प्रदेशना करेगा जो नियत की जाय।" तो प्रदेशना वह करेगा जो गृह-आयुक्त है और यहां पर परिभाषा में यह लिखा हुआ है कि:

".....राज्य सरकार द्वारा अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अथवा उनकी ओर से किसी व्यक्ति को किसी गृह के उपभोग और अध्यासन के अधिकार प्रदान से है"। तो प्रदेशना की परिभाषा कुछ है और धारा ११ यह है कि प्रदेशना करने वाला केवल गृह आयुक्त होगा। तो इस तरह की जो कांट्रेडिक्ट्री चीजें होती हैं यह विधेयक की शोभा बिगाड़ती हैं और विधेयक में बड़े काम्पिलकेशंस पैदा करती हैं और कानून से सम्बन्ध रखने वाले लोगों को जब इंटरप्रिटेशन करना होगा तो बड़ी-बड़ी दिक्कतें होंगी। कोई भी विधेयक हो उसमें शुरू से आखीर तक वह इस तरह का होना चाहिये कि जिसमें कभी इंटरप्रिटेशन करने में कानूनी जानकारों को दिक्कत न हो। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसको किस प्रकार से दोनों को मिलाया जाता है। यानी धारा ७ तो बिलकुल असंगत है इससे जो दलील दी गयी है हमारी तरफ से या माननीय नारायण दत्त जी की तरफ से। प्रदेशना की जो परिभाषा है वह अवश्य ही ऐसी होनी चाहिये कि सारे ऐक्ट में उस प्रदेशना के सम्बन्ध में जो भी अड़चनें या जो भी आपत्तियां हों वह दूर हो जायं और कहीं भी उस प्रदेशना के अर्थ में कोई गड़बड़ी न हो। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर इसमें समय की आवश्यकता हो तो इसे मुल्तवी कर दिया जाय और अच्छी तरह से गौर करके फिर इसको सही ढंग से रख दिया जाय। गृह-आयुक्त ही प्रदेशना करेगा तो सीधी सी प्रदेशना की यह परिभाषा हो जानी चाहिये कि गृह-आयुक्त जो प्रदेशना करेगा वही प्रदेशना होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि चूंकि विधेयक की परिभाषा हमेशा उसकी जड़ हुआ करती है, इसलिये इसकी महत्ता को देखते हुये माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में माननीय सदस्य की मुश्किल बिलकुल नहीं आयी। एलाटमेंट के मानी यह लिखे गये हैं कि जो प्रान्तीय सरकार की तरफ से दिया जायगा, जिसको एलाट किया जायगा वही एलाटमेंट कहा जायगा और दफा ७ में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के हुक्म के मातहत हाउसिंग कमिश्नर जिम्मेदार होगा एलाटमेंट का। तो जो कुछ भी हाउसिंग कमिश्नर करेगा वह प्रान्तीय सरकार की तरफ से करेगा। इसी वजह से एलाटमेंट की जो तारीफ है वह बिलकुल सही हो जाती है

अगर हाउसिंग कमिश्नर के अख्तियारात को देखा जाय कि वह क्या हैं इसी वजह से यह रखा गया है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि यह कहा जाय कि यह स्पष्ट नहीं है। इसलिये मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—अगर स्वीकार नहीं है तो मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ङ) को निम्नलिखित रूप से रख दिया जाय.....

श्री कैलाशप्रकाश—अध्यक्ष महोदय, यह कौन-सा है ?

श्री अध्यक्ष—यह उन्होंने कल दे दिया था, इसमें छप नहीं पाया। इसकी प्रतिलिपि मैं भेज देता हूं। मैं समझता हूं कोई आपत्ति विशेष इसमें नहीं होनी चाहिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल—खंड २ के उपखंड (ङ) को निम्नलिखित रूप से रख दिया जाय—

"(ङ) औद्योगिक श्रमिक का तात्पर्य निम्नलिखित होगा—

(१) वह श्रमिक जो किसी भी औद्योगिक कारखाने में काम करता हो, अथवा

(२) वह श्रमिक जो नियोजक द्वारा काम से अलग कर दिया गया हो और उक्त विषय को लेकर किसी न्यायालय में औद्योगिक विवाद चलता हो।"

श्रीमन्, जो परिभाषा इस विधेयक में रखी गयी है, वह इस प्रकार है —

"औद्योगिक श्रमिक का तात्पर्य फैक्टरी ऐक्ट, १९४८ में पारिभाषित शब्द "वर्कर" से है।"

श्रीमन्, जहां तक कि फैक्टरी ऐक्ट का ताल्लुक है उसमें जो "श्रमिक" की परिभाषा की गयी है वह उन श्रमिकों से तात्पर्य है जो मिल के अन्दर मशीनरी पर काम करते हैं। फैक्टरी में बहुत से ऐसे भी श्रमिक होते हैं जो कि मशीनरी पर ही काम नहीं करते बल्कि बाहर भी काम किया करते हैं, जैसे क्लार्क लोग हैं या और जो ठेले वगैरा चलाते हैं, और भी बहुत से श्रमिक होते हैं जो बाहर काम करते हैं। ऐसे लोगों को इस हाउसिंग स्कीम में स्थान नहीं होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह जो हाउसिंग स्कीम है उसका फायदा जो श्रमिक मशीनरी पर काम नहीं करते हैं, और जगह करते हैं वह भी उठा सकें। यह कुछ न्यायसंगत नहीं मालूम होता कि एक ही फैक्टरी में कुछ मजदूर तो इस स्कीम का फायदा उठा सकें और कुछ मजदूर उससे फायदा न उठा सकें। यह नैचुरल जस्टिस के हिसाब से भी उचित होगा कि इसका फायदा मिल में जितने श्रमिक हैं वे सभी उठा सकें।

दूसरी चीज जो मैंने अपने संशोधन में रखी है वह यह है कि बहुत जगह ऐसा होता है कि मिल मालिक मजदूरों को तोहमत लगा कर काम से अलग कर दिया करते हैं और उनके मामले अदालतों में चला करते हैं और अदालतों में यह भी फैसला हो जाया करता है कि इसका निकाला जाना गलत है और यह फिर से काम पर ले लिया जाय। तो ऐसी अवस्था जो बीच में पैदा होगी, जब तक कि मजदूर का मामला अदालत में होगा तो इस कानून के मुताबिक जो यह बिल इस वक्त पेश है, वह श्रमिक औद्योगिक मजदूर नहीं रह पायेगा। इसलिये यह जरूरी है कि इसमें यह भी प्राविजन कर दिया जाय कि जब तक कि उस मजदूर का मुकदमा किसी अदालत में चलता है और आखिरी फैसला नहीं हो जाता है तब तक उसको औद्योगिक श्रमिक समझा जाय और उसको मकान से अलग न कर दिया जाय। यह भी हो सकता है कि बहुत से मजदूरों के कार्यकर्ता, जिन पर कि मिल मालिकों की कुदृष्टि हुआ करती है, उनको हर तरह से तंग करने की कोशिश करते हैं। कोई झूठ-मूठ मामला उन पर बनाकर और काम से अलग कर देंगे यह सोच के कि भले ही बहाल हो जायगा, लेकिन इस पर तो निकल जायगा। इस तरह से लोग कर दिया करते हैं। अगर इस चीज को कानून में नहीं रखा गया तो मिल मालिक

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

इसका नाजायज फायदा उठायेंगे। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे इस संशोधन को मान लें ताकि इसमें जो खामी रह गयी है वह दूर हो जाय और मिल मालिकों को मजदूरों को तंग करने का मौका न मिल सके। दूसरे यह कि उन मजदूरों के बारे में, जिनको इस विधेयक के अनुसार मकान के पाने का अधिकार नहीं है, उनको भी मिल जाय तो बहुत सुन्दर होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को सदन के सम्मुख उपस्थित करता हूं।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी जगन्नाथ मल्ल जी ने पेश किया है, मैं उसके आधे अंश का तो विरोध करता हूं और अगर उन्होंने उसको निकाल दिया होता तो मैं सपोर्ट भी करता। वह यह है कि फैक्टरी में जो लोग ऐसे काम करते हैं जो कि मशीनरी पर काम नहीं करते हैं वह फैक्टरी में नहीं आते हैं, अब यह परिभाषा नहीं रही। उसकी परिभाषा यह है कि अगर फैक्टरी के रजिस्टर पर उस व्यक्ति का नाम है और वह घर में माली का भी काम करता है तो वह फैक्टरी वर्कर है और कई अवार्ड में इस तरह के जजमेंट भी हुये हैं। तो इसलिये अब यह प्रश्न नहीं रह गया कि फैक्टरी वर्कर वे नहीं हैं जो घर पर काम करते हैं या वे नहीं हैं जो एक दो दिन के लिये काम करने के लिये आयें। अब तो यह है कि दस या दस से अधिक आदमी फैक्टरी के अन्दर काम करते हैं और वहां मशीनों से और भी लोग काम करते हों तो वे फैक्टरी वर्कर हो जाते हैं। इसलिये यह प्रश्न यहां नहीं उठता।

एक दूसरा प्रश्न और है जो यहां उठाया गया कि लोगों को निकाल देने के बाद उनके जो मुकदमे चलते हैं वह समय उनको मिलना चाहिये। अब तक यह परिपाटी रही है और जहां तक मेरा ख्याल है कोई भी मजदूर जब तक उसके केस का फैसला अपीलेट ट्रिब्यूनल से न हो जाय या सरकार के सेक्रेटरी उस केस को रेफर न करें, अगर वह कह दें कि हम रेफर नहीं करेंगे तब तो वह केस खत्म हो जाता है और वह मजदूर नहीं रहता है लेकिन अगर वह रेफर करते हैं तो जब केस अपीलेट ट्रिब्युनल में जाता है और उसका जजमेंट हो जाता है तब वह आदमी वर्कर नहीं रह जाता है, वह अलग समझा जाता है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बात यहां पर बड़े विस्तार के साथ फैक्टरी ऐक्ट लागू करने पर है और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट भी इस बात का विश्वास दिलावेगी कि वह जो रूल्स बनायेगी उनमें इस चीज को और भी विस्तार से कह देगी।

श्री कैलाशप्रकाश—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन आया है उसके स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं। पहली बात तो यह है कि जो आशंका माननीय सदस्य ने उठायी वह, मैं आभारी हूं माननीय अवस्थी जी ने स्पष्ट कर दी। दूसरी बात यह है, जैसा कि मैंने कल भी निवेदन किया था कि ये जो मकान बनाये जा रहे हैं इनके लिये केन्द्रीय सरकार से रुपया मिला है और उन्होंने जो पाबंदियां और शर्तें लगायी हैं उन्हीं के अनुसार हम काम कर सकते हैं। यदि आप आज्ञा दें तो जो केन्द्रीय सरकार की एक शर्त है वह मैं पढ़ दूं :

Contemplate the following categories of workers; Those who are workers within the meaning of Section 2 (1) of the Factories Act, 1948 as amended from time to time and those employed in mines other than the coal and mica mines within the meaning of Section 2 (8) of the Act as amended from time to time."

केवल इन दो के लिये ये मकान बनवाये गये हैं। इसलिये इस व्यवस्था में जो संशोधन दिया गया है उसकी आवश्यकता नहीं है।

एक कठिनाई स्वयं हम भी महसूस करते हैं कि यदि कोई काम करने वाला श्रमिक मिल से निकाल दिया जाता है किन्तु वह उस बात की कहीं अपील करता है किसी को प्रार्थना पत्र देता है कि उसको निकाला नहीं जाना चाहिये तो उस दौरान में जब तक कि उस प्रार्थना-

पत्र के ऊपर विचार करके निर्णय न दे दिया जाय तब तक यदि उसको पहले निकाल दिया जाता है तो वास्तव में उसके साथ कठिनाई होगी। यह प्रश्न हमारे सामने है और पूरी सहानुभूति से हम उसको देखेंगे और आशा करते हैं कि नियमों में इस तरीके की कोई सुविधा रखी जाय कि जो ऐसे श्रमिक हों उनको यह कठिनाई न हो।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैंने माननीय उपमंत्री जी के उस आश्वासन को ध्यानपूर्वक सुना जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे नियमों में इस बात की व्यवस्था करेंगे कि माननीय जगन्नाथ मल्ल जी का पर्याय नियमों में आ जाय। श्रीमन्, आप जानते हैं कि अगर हम विधेयक में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जिनके विरुद्ध हम नियमों में नहीं जा सकते तो फिर नियमों को लागू करने में अत्यन्त कठिनाई होगी। आप जानते हैं श्रीमन् कि मजदूरों के सम्बन्ध में जितने भी विधान हैं वे लगातार किसी न किसी कोर्ट के सामने आते रहते हैं तो जब तक यह कठिनाई रहेगी तब तक सैकड़ों ऐसे उदाहरण आयेंगे जबकि ये परिभाषायें कानून की कसौटी में न्यायालयों में कसी जायंगी। अब मिसाल के लिये केवल खंड ९ का उपखंड (ग) माननीय मंत्री जी देखने की कृपा करें, इसमें इस प्रकार से लिखा गया है---"इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त, जब तक इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी गृह के लिये अपने अनधिकृत अध्यासन में समझा जायगा :---

(ग) यदि वह अधिनियम में पारिभाषित औद्योगिक श्रमिक न रहे।" तो इस अधिनियम में साफ लिखा हुआ है कि वह अधिनियम में पारिभाषित औद्योगिक श्रमिक न रहे, तो इस परिभाषा को स्पष्ट किया गया है कि अन्यथा वह अनधिकृत हो जायगा तो नियमों में माननीय मंत्री जी इसको कैसे रख सकते हैं। आखिर इस विधेयक के अनुसार ही तो वह नियम बना सकते हैं। इसलिये इसको कहीं न कहीं स्थान देना होगा और चाहे वह परिभाषा में परिवर्तन न करें लेकिन आगे चलकर वह कोई संशोधन इस किस्म का ले आयेंगे, इसका आश्वासन दें। जब तक वह नहीं लाते हैं तब तक वह ऐसी व्यवस्था नहीं कर पायेंगे और अदालत मानेगी ऐसा मुझे विश्वास नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, मुझे अवस्थी जी के भाषण को सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि वह पुराने मजदूर कार्यकर्ता हैं और जो दिक्कतें पड़ती हैं उनको वह अच्छी तरह से, मैं समझता हूं कि वह समझते होंगे। लेकिन आपने यह बतलाया कि फैक्टरी ऐक्ट में सब मजदूर आ गये हैं। अगरचे सब मजदूर आ गये हैं फैक्टरी ऐक्ट में तो फिर वह मेरे संशोधन का विरोध क्यों करते हैं क्योंकि मेरे संशोधन से तो यह और भी साफ हो जाता है। इस में जो मैंने दिया है वह यह है कि जो श्रमिक किसी औद्योगिक कारखाने में काम करता हो तो वह मजदूर समझा जाय तो इसमें तो और भी साफ हो जाता है।

श्रीमन्, तो मुझे उनके भाषण को सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि इसके पहले जब कि आम बहस हो रही थी तो उस समय बहुगुणा जी ने भी इस चीज को कहा था कि ऐसा होना चाहिये कि मिलों में जितने भी श्रमिक काम करते हैं, उन सबको यह सहूलियत मिलनी चाहिये और मैं समझता था कि आप और बहुगुणा जी को वर्कर हैं तो आप भी उसी ख्याल के होंगे और मुझे पता नहीं था कि आपका और उनका क्या झगड़ा है कि आप कुछ सोचते हैं और वह कुछ सोचते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इसको साफ कर दे और इसका हर मजदूर को फायदा मिल सके।

दूसरी चीज श्री राजनारायण जी ने बतलायी कि इसमें यह लिखा हुआ है कि जैसा कि इसके खंड ९ में लिखा हुआ है कि यदि वह अधिनियम में पारिभाषित औद्योगिक श्रमिक नहीं है तो इस अधिनियम की परिभाषा में नहीं आता है। अगर वह निकाल दिया जाय और मुकद्दमा चलता हो तब भी वह औद्योगिक श्रमिक रहे, पता नहीं मंत्री जी कैसे रूल्स बना देंगे और अवस्थी जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

ने जो उनको सुझाव दिया तो शायद उन्होंने विधेयक को पढ़ने की कृपा नहीं की। अगर किये होते तो ऐसा सुझाव न दिये होते और मंत्री जी भी यदि समझे होते तो कतई इसको मंजूर नहीं करते। इसलिये श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि यह जो मेरा संशोधन है इसका मंत्री जी ख्याल करें और मान लें ताकि जो गड़बड़ी रह जाती है वह हल हो सके और इसका फायदा सभी मजदूरों को मिल सके और उनको भी मिल सके जिनके मिल मालिक नोटिस देकर निकाल दिया करते हैं और उनके साथ घर के सम्बन्ध में अन्याय न हो सके। मैं इन शब्दों के साथ नम्र निवेदन करूंगा कि वह इस पर विचार करें और इसको स्वीकार कर लें।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, जहां तक पहली बात का ताल्लुक है उसका जवाब तो उपमंत्री महोदय ने दे दिया है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जिस शर्त से हमको वह रुपया दिया है उसी हिसाब से हमने यह ऐक्ट बनाया है। अगर केन्द्रीय सरकार इस बात के लिये तैयार हो जाय कि इसको बढ़ा दें कि वे वर्कर्स भी उस में रखे जा सकें तो हमको बढ़ाने में कोई एतराज नहीं होगा और हम उसको बढ़ा देंगे। बहरहाल यह मामला इस वक्त तरमीम का नहीं है। यह मामला ऐसा है कि प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच की बात है और बातचीत होने पर जो चीज तय होगी वही अख्तयार की जा सकती है।

जहां तक दूसरी बात का ताल्लुक है किस वक्त वह इंडस्ट्रियल वर्कर रहेगा और किस वक्त नहीं रहेगा इस की तारीफ इस बिल के अन्दर की गयी है। मेरा ख्याल यह है कि जब उसको हुक्म दे दिया गया कि वह इंडस्ट्रियल वर्कर न रहे तो दफा ९ के मुताबिक वह निकाल दिया जायगा। यह चीज रूल्स में प्रोवाइड करने की है बावजूद इसके कि उस दफा २ (ई) में उसकी तारीफ यह दी हुई है कि "कोई भी इंडस्ट्रियल वर्कर जब बाक़ी न रहे" जिस चीज में आप तरमीम करना चाहते हैं यह चीज रूल्स में तय करने की होगी कि किस वक्त तक वह इंडस्ट्रियल वर्कर बाक़ी रहेगा। यह बात नहीं है कि उस को नोटिस दे दिया जायगा तो वह वर्कर बाक़ी नहीं रहेगा। लेकिन रूल्स में यह बात लिखी जा सकती है कि अगर कोई ऐसा इंडस्ट्रियल वर्कर है जिसको नोटिस दी गयी है लेकिन उस नोटिस को उस ने चेलेन्ज किया है उसके लिये दरख्वास्त दी है या अपील की है तो तावक्ते वह इंडस्ट्रियल वर्कर है समझा जायगा जब तक कि उसका फैसला न हो जाय। यह चीज नियम से ताल्लुक़ रखती है। नियम में इस चीज को साफ किया जा सकता है। लिहाजा यह कहना कि इसमें लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल वर्कर नहीं रहेगा वह निकाल दिया जायगा और इसके खिलाफ रूल्स नहीं बन सकते हैं यह बिलकुल वाक़ये के खिलाफ बात है। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि उनका मक़सद रूल्स से पूरा किया जा सकता है और यह तरमीम बेकार है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरा निवेदन यह है कि फैक्टरीज ऐक्ट में जो रूल्स हैं उसमें हमने निश्चय किया है कि किस समय वह सीज करेगा। तो उसी तरह से यहां पर भी होगा।

श्री सैयद अली जहीर—इस वक्त तो यह बहस नहीं है कि फ़ैक्टरीज ऐक्ट में क्या है और क्या नहीं है। इस कानून के खिलाफ रूल्स नहीं बन सकते हैं यह बात कही गयी। कानून में सिर्फ इतना है कि वह फैक्टरी वर्कर नहीं रहेगा। तो वह उसी समय निकाला जायगा जिस वक्त वह फैक्टरी वर्कर नहीं रहेगा। इसका नियम के अन्दर चर्चा किया जा सकता है। उन रूल्स में इस चीज का खुलासा कर दिया जायगा कि कब से उसको वर्कर न माना जाय। इस कानून के खिलाफ रूल्स की बात होगी यह बेकार सी बात है। हर चीज जो बनेगी वह इन चीजों को देखकर बनायी जायगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल—जरा गलतफहमी हो रही है। ९ (ग) में यह है कि "यदि वह अधिनियम में पारिभाषित औद्योगिक न रहा हो" तो मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जरा इसकी सफाई कर दें।

श्री अध्यक्ष—वह तो जवाब उन्होंने दे दिया।

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ङ) को इस प्रकार से रख दिया जाय :—औद्योगिक श्रमिक का तात्पर्य निम्नलिखित होगा :—

"(१) वह श्रमिक जो किसी भी औद्योगिक कारखाने में काम करता हो, अथवा

(२) वह श्रमिक जो नियोजक द्वारा काम से अलग कर दिया गया हो और उक्त विषय को ले कर किसी न्यायालय में औद्योगिक विवाद चलता हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ङ) के बाद एक नया उपखंड (ङङ) निम्नरूप में रख दिया जाय :—

"(ङङ) शिकमी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसको औद्योगिक श्रमिक किसी गृह के सम्पूर्ण अथवा किसी अंश में किसी किराये के बदले अथवा बिला किराये अपने साथ अथवा अलग रखे हो, जो वहां रहने का अधिकारी न हो।"

यह संशोधन मैं किसलिये लाया हूं इसका कारण मैं संक्षेप में बताना उचित समझता हूं। 'शिकमी' शब्द खंड २१ के (१) (क) उपखंड (२) में आया है जिसमें लिखा है कि "पूर्णतः अथवा अंशतः गृह को शिकमी पर उठाया है" परन्तु आगे या पीछे कहीं भी इस विधेयक में "शिकमी" की परिभाषा नहीं दी गयी है। अगर भविष्य में कोई ऐसा प्रश्न आयेगा कि शिकमी के कारण बेदखली की जायगी और अगर इसकी परिभाषा नहीं होगी तो यह प्रश्न वादविवाद का प्रश्न हो जायगा। इसलिये आवश्यक है कि यहां शिकमी की परिभाषा कर दी जाय और इसी कारण से मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री कैलाशप्रकाश—अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन आया है इसको मैंने ध्यान से देखा, धारा २१ (१) (क) की उपधारा (२) में लिखा हुआ है कि पूर्णतः अथवा अंशत गृह को शिकमी पर उठाते हैं। इस में शिकमी कोई "व्यक्ति" नहीं है, शिकमी एक चीज है कि जो कोई किरायेदार है और वह सब-लेट कर दे तो उसी से इसका मतलब है। इसमें "शिकमी को" नहीं है" "शिकमी पर" है। इसलिये जो आशंका माननीय सदस्य को है कि कोई वाद-विवाद हो सकता है, मेरे ख्याल से वह आशंका ठीक नहीं है। शिकमी की व्यक्ति के रूप में बिल में कोई चर्चा नहीं है और इसलिये उसकी परिभाषा की कोई जरूरत नहीं मालूम होती और इस कारण से मैं इस संशोधन को अनावश्यक समझता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मिश्र जी इसको वापस ले लेंगे।

श्री व्रजविहारी मिश्र—अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय मंत्री जी को यह संशोधन स्वीकार नहीं है तो मैं इसको वापस लिए लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (छ) की पंक्ति २ में से शब्द "अथवा अन्य किसी व्यक्ति" निकाल दिये जायं।

यह (छ) इस प्रकार है कि "किराये" का तात्पर्य गृह के उपभोग और अध्यासन के लिये प्रदेशनागृहीता अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा देय धनराशि से है।

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

यह जो प्रदेशनागृहीता है वही किराये के लिये लायबिल है, यह "अन्य व्यक्ति" कौन हो सकता है, यह तो आप उसके वारिश से या उससे ले सकते हैं या कोई श्योरिटी हो तो उससे ले सकते हैं लेकिन श्योरिटी का प्राविजन कहीं बिल में नहीं है। जब इसकी प्रदेशना की जायगी तो उस से कोई श्योरिटी ली जायगी और कोई दूसरा आदमी जिम्मेदार होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह शब्द बिलकुल निरर्थक है और मैं नहीं समझता कि यह शब्द क्यों लाये गये हैं। इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं वह निकाल दिये जाने चाहिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, जो संशोधन मौर्य जी ने उपस्थित किया है मैं उसका विरोध करता हूं। मैंने आगे एक संशोधन दे रखा है कि यह किराया जो श्रमिकों पर होता है वह मिल मालिकों द्वारा लिया जाय। अगर यह संशोधन मंजूर हो जाता है तो वह चीज हमारी आ नहीं पायेगी। मौर्य जी चाहते हैं कि वह किराया श्रमिक ही दें और अगर सदन यह तय करना भी चाहे कि मिल मालिक उस किराये को दें तो वह न हो। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस संशोधन वापस ले लें ताकि हम आगे चल कर ऐसा कानून बना सकें जिसके मातहत मिल मालिकों से किराया ले सकें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मुझे दुख है कि मैं माननीय मौर्य जी के संशोधन से सहमत नहीं हूं। उन कारणों के अलावा जो माननीय मल्ल जी ने बताये हैं यदि इस विधेयक के खंड २० की ओर ध्यान दें.....

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मैं वापस लेता हूं। ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

इस अधिनियम की प्रवृत्ति।

३—(१) यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार से राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-व्यवस्था योजना (Industrial Housing Scheme) [जिसे यहां पर आगे चल कर राजसहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-व्यवस्था योजना (Subsidised Industrial Housing Scheme)] कहा गया है अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को अन्य किसी योजना के अधीन जो गजट में इस प्रयोजन से विज्ञापित की जाय, औद्योगिक श्रमिकों के अध्यासन के निमित्त राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्मित गृहों पर प्रवृत्त होगा।

(२) राज्य सरकार समय-समय पर सरकारी गजट में प्रख्यापन प्रकाशित कर के उन नगरों के नाम सहित जहां वह गृह स्थित हों, उन गृहों को निर्दिष्ट करेगी और ऐसा प्रख्यापन इस बात का निर्णायक साक्ष्य (Conclusiv evidence) होगा कि ऐसे गृह राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, जैसी भी दशा हो, औद्योगिक श्रमिकों के अध्यासन के हेतु राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-व्यवस्था योजना के अधीन बनाये गये थे।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति ७ के शब्द "राज्य सरकार" के बाद कामा लगा कर शब्द "अथवा" के पहले शब्द "उद्योगपति" रख दिया जाय। मेरे संशोधन के बाद यह उपखंड इस प्रकार हो जायगा :—

"३—(१) यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार से राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-व्यवस्था योजना अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को अन्य

किसी योजना के अधीन जो गजट में इस प्रयोजन से विज्ञापित की जाय, औद्योगिक श्रमिकों के अध्यासन के निमित्त राज्य सरकार, उद्योगपति अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्मित गृहों पर प्रवृत्त होगा।"

श्रीमन्, हमारी मंशा यह है कि जो मकान मजदूरों के निवास हेतु राज्य सरकार सब्सीडाइज्ड इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम या इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के द्वारा बनाये उनके अलावा उद्योगपति जो अपने क्षेत्र में अपने मजदूरों के रहने के लिये बनावें वे भी इस विधेयक के द्वारा गवर्न हों जैसा राज्य सरकार के मकान गवर्न होंगे। हम देखते हैं कि चीनी उद्योग के जो उद्योगपति हैं उन्होंने अपने मजदूरों के लिये मकान बनवाये हैं और सरकार ने उसमें सहायता दी है। इसको देखते हुये मैं यह चाहता हूं कि "उद्योगपति" भी यहां रख दिया जाय यह बहुत छोटा सा संशोधन है और मैं समझता हूं कि इस पर बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय रामेश्वर लाल जी ने रक्खा है मैं उसका विरोध करता हूं और विरोध इस कारण करता हूं कि अभी तक जो मकान उद्योगपतियों ने बनवाये हैं उनको, जितनी पावर्स इस बिल में आयुक्त को दी गई हैं उस का दशांश भी नहीं हैं। अध्यासी को वह जबरदस्ती नहीं निकाल सकते, मालगुजारी की तरह किराया वसूल नहीं कर सकते, किसी को एलाटमेंट की शर्तों की अवहेलना पर जेलखाने नहीं भेज सकते, उद्योगपतियों द्वारा बनवाये मकानों को इस बिल के अन्तर्गत लाकर माननीय रामेश्वर लाल जी श्रमिकों की कोई सेवा नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि उन्होंने उसका तात्पर्य समझा नहीं है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि वह इसको वापस ले लेंगे।

* श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं माननीय रामेश्वर लाल जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जो एतराज अभी संशोधन पर हुआ है उसका केवल एक ही उद्देश्य यह मालूम होता है चूंकि उद्योगपतियों द्वारा जो क्वार्टर्स निर्मित होंगे उनके लिए दूसरा कानून होगा और उनके किराये की वसूली का तरीका दूसरा होगा, इसलिये उनका इस विधेयक में स्थान नहीं हो सकता। मेरा विचार है कि उद्योगपतियों द्वारा बनाये गये क्वार्टर्स को इस विधेयक में स्थान देना इसलिये आवश्यक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सीडी स्कीम जो हैं वे कई प्रकार की हैं। अगर आप दूसरे प्रान्तों की ओर दृष्टिपात करें तो आप देखेंगे कि वहां कहीं पर सीधे उद्योगपतियों को ही राज्य और केन्द्रीय सरकार ने सब्सीडी दी है और उद्योगपतियों से एक समझौता हो गया है कि ३० प्रतिशत वे खर्च करेंगे, ३० प्रतिशत राज्य सरकार करेगी और बाक़ी खर्चा केन्द्रीय सरकार करेगी लेकिन उसका नियंत्रण उद्योगपतियों के हाथ में रहेगा। एलाटमेंट वगैरह उद्योगपति ही करेंगे। यू० पी० में स्थिति यह रही है कि राज्य सरकार द्वारा सब्सीडी दी गई है और डेवलपमेंट बोर्ड कानपुर या जो वहां के स्थानीय प्राधिकारी हैं उनके द्वारा क्वार्टर्स बनाये गये हैं लेकिन ऐसी स्थिति आ सकती है इस वर्ष, अगले वर्ष या अगली पंचवर्षीय योजना के किसी अध्याय के अवसर पर केन्द्रीय सरकार उद्योगपतियों से इस प्रकार का समझौता कर सकती है जिसके मातहत उद्योगपति हमारी इस योजना में सम्मिलित हो जायं और वे क्वार्टर्स उद्योगपति द्वारा ही बनाये गये माने जायं। इस स्कीम में स्पष्ट कहा गया है "केन्द्रीय सरकार से राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह व्यवस्था योजना"। जिन शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है उनके मातहत योजना परिमार्जित हो सकती है, योजना में वृद्धि हो सकती है, योजना में उद्योगपति सम्मिलित हो सकते हैं। आप देखेंगे कि बम्बई में ऐसी स्कीम है, बंगाल में ऐसी स्कीम हैं और दूसरे प्रान्तों में ऐसी स्कीम है और कल को उत्तर प्रदेश में भी ऐसी स्कीम हो सकती है। इस कल्पना के आधार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

पर माननीय रामेश्वर लाल जी का संशोधन आवश्यक है। अगर कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है तो हम नियमों में इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि उद्योगपतियों द्वारा इस राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत जो क्वार्टर्स बनाये जायंगे उनकी व्यवस्था कैसे होगी। इसके लिये हम नियमों में कुछ प्रबन्ध कर सकते हैं।

*श्री कैलाशप्रकाश—अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन रखा गया है वह स्वीकार करने में असमर्थ हूं। मैंने बहुत ध्यान से माननीय सदस्यों का मंशा सुना। पहली बात तो यह है कि यह जो विधेयक इस समय सदन के सामने है वह कुछ उन मकानों के लिये है जो सरकार अपनी तरफ से केन्द्रीय सरकार की उस योजना के अनुसार बनाती है जिसमें पचास फीसदी अनुदान और पचास फीसदी ऋण दिया जाता है। दूसरी योजना वह है जिसमें उद्योगपति भी मकान अपने श्रमिकों के लिये बनवाते हैं। उस में २५ फीसदी का अनुदान दिया जाता है। जैसा माननीय सदस्यों को स्वयं ज्ञात है और जैसा कई बार माननीय सदस्यों ने कहा भी, यह मजदूरों के मकान बनवाने का उत्तरदायित्व तो मिलमालिकों का होना चाहिये, मिल मालिकों को जब इतनी सुविधा दी जा रही है कि २५ फीसदी उनको अनुदान दिया जाय। फिर भी मैं देखता हूं कि मिलमालिक अधिक मकान नहीं बनाने जा रहे हैं। वह अधिक मकान नहीं बना पा रहे हैं। इसलिये इस विधेयक में यदि ये शब्द आ जायंगे, एक तो मुझको उस की आवश्यकता नहीं महसूस होती और जिस सीमा के अन्तर्गत यह विधेयक बनाया जा रहा है वह उसके अन्दर भी नहीं। दूसरे यह भी आशंका हो सकती है, बिना उस पर अच्छी तरह से विचार किये अगर उस सारी स्कीम को भी इसके अन्तर्गत ले लिया जाय तो सम्भव हो सकता है, और आशंका इस बात की है कि कुछ मकान केन्द्रीय सरकार से २५ फीसदी अनुदान ले कर बनवायें भी, उस के बाद फिर कुछ न बना सकें। इसलिये इस समय यह संशोधन आवश्यक नहीं है। माननीय तिवारी जी ने एक बात कही कि समय समय पर यह योजना बदलती रहेगी और इसके अन्तर्गत कुछ बातें आती रहेंगी। यदि इसके अन्दर कोई ऐसी बातें आयीं उस समय तो फिर हम सदन के सामने उपस्थित होंगे और जैसी उस समय में परिस्थिति होगी उस परिस्थिति के अनुसार जो व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी वह व्यवस्था करेंगे। आज तो जो उसके इंतजाम करने की जरूरत है उसके यह अनुकूल है। इन शब्दों का रखना श्रमिकों के आवास के हित में भी नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसको वापस ले लें।

श्री रामेश्वरलाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने संशोधन पर हुए भाषणों को बड़े गौर से सुना और विशेषतया माननीय शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी का भाषण। आपने मुझे कुछ नेक सलाह दी है और वह यह कि अगर उद्योगपति रख दिया जायगा तो उद्योगपति द्वारा निर्मित मकान जो होगा उस पर यह सारा पंजा, जेल जाने के और सजा पाने के अधिकार उसको प्राप्त हो जायेंगे। इसलिए उसको न रखा जाय। मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम माननीय चतुर्वेदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यह समझा कि यह विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसके द्वारा मजदूरों का भला नहीं होने जा रहा है, बुरा होने जा रहा है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। परन्तु मेरा रखने का जो प्रयोजन था मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करना चाहता हूं वह यह था कि विशेषतया जो चीनी उद्योग के मिल हैं उनमें मजदूरों के लिये जो मकान बनाये गये हैं वह आज मजदूरों के निवास स्थान के लिए उपयोग न होकर और बहुत से कामों में उपयुक्त हो रहे हैं जैसे गोदाम बना लेना, खाद रख देना, कोम डेवलपमेंट यूनियन को देना। मजदूरों के नाम पर बने हुए क्वार्टर फैक्टरी अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल करती है। हम यह चाहते थे कि उद्योगपति वाला संशोधन आ जाय तो कम से कम वह मजदूर जो वहां मकान प्राप्त नहीं कर पाते इस अधिनियम पर दस हजार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर मकान तो प्राप्त कर ले। इसके साथ ही साथ और भी मेरी मंशा थी कि जो उद्योगपति हैं वह अधिकतर मजदूरों के लिये बनाये गये क्वार्टरों को १० रुपये से अधिक किराये पर चला रहे हैं। तो इस हालत में उन मजदूरों को थोड़ी सी राहत हो जायगी यह और सब सोच-समझ कर मैंने उद्योगपति शब्द यहां रखा था। अगर माननीय मंत्री जी इसको मानने को तैयार नहीं हैं तो यह गिर तो जायेगा ही, बहुमत उनके साथ है, मैं तो अपना सुझाव भर पेश कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति ७ के शब्द "राज्य सरकार" के बाद कामा लगा कर शब्द "अथवा" के पहले शब्द "उद्योगपति" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति ७ में से शब्द 'अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी' निकाल दिये जायं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें अपनी अनभिज्ञता प्रकट करना चाहता हूं कि यह स्थानीय प्राधिकारी का तात्पर्य मेरी समझ में बिलकुल नहीं आया। इसकी कोई परिभाषा इस विधेयक में नहीं दी गई है। जो इंजीनियर होगा वह स्थानीय प्राधिकारी होगा या कोई ओवरसियर होगा या कोई डिप्टी कमिश्नर होगा या लेबर कमिश्नर होगा? यह कौन होगा?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा हो कि माननीय मंत्री जी प्राधिकारी का अर्थ पहले बतला दें। क्योंकि वह अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य से) आप कृपा करके बैठ जायं। अर्थ सुनने के बाद आप अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री सैयद अली जहीर--लोकल अथारिटी के माने जो कानून में समझे जाते हैं वही हैं। कोई लोकल अथारिटी हो, म्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या कोई भी हो। लोकल अथारिटी से मतलब है।

श्री अध्यक्ष--वह समझ रहे हैं कि कोई अफसर है। अब आप लोकल बाडी समझ कर....

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--मैं तो समझता था कि यह योजना राज्य सरकार द्वारा निर्मित चीजों के संबंध में है। राज्य सरकार द्वारा बनाये गये जितने मकान हैं उन्हीं के लिये लागू होगी। अगर यह कोई म्युनिसिपल बोर्ड वगैरा के बनाने की बात है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष--तो आप अपना संशोधन वापस लेते हैं?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री बसंतलाल शर्मा (जिला बहराइच)--श्रीमन्, मैं बलवन्त सिंह जी के संशोधन के बारे में निवेदन करना चाहता था इसलिये कि वे उस समय यहां उपस्थित नहीं थे। वह संशोधन यह है कि यहां "को" छप गया है और उसके स्थान पर शब्द "की" होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह शाब्दिक संशोधन है...

श्री अध्यक्ष--यह तो मैं भी दुरुस्त कर सकता हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में से शब्द "उन नगरों के नाम सहित जहां गृह स्थित हों" निकाल दिये जायं।

यह बिलकुल अनावश्यक है। इसमें यह लिखा है कि "राज्य सरकार समय समय पर सरकारी गजट में प्रख्यापन प्रकाशित करके उन नगरों के नाम सहित जहां वह गृह स्थित हों" तो मैं समझता हूं कि वह नगर जहां यह गृह होंगे वह तो उसमें आ ही जायंगे और इसलिये यह बिलकुल अनावश्यक है। यह बिला जरूरत के शब्द यहां रखे गये हैं, अनावश्यक हैं। जब गवर्नमेंट प्रख्यापित करेगी तो निर्दिष्ट कर देगी नगर वगैरह।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब मैं मौर्य जी के संशोधन को देखता हूं। आप कहते हैं कि नगरों का नाम न रखा जाय। तो नगर का नाम नहीं रहेगा तो खाली मकानों का ही नाम रहेगा? और अगर्चे मकानों का नाम रहेगा, कौन सा नाम रहेगा या सूबे भर में जितने मकान हैं सब पर नम्बर लगवाये जायेंगे, किस तरह होगा, मेरी समझ में नहीं आया। मुझे तो ताज्जुब होता है कि माननीय मौर्य जी इतने दिनों तक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष—कृपया वैयक्तिक टीका न कीजिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल—बड़ा ताज्जुब होता है कम से कम आपको इतना तो जानना चाहिये कि कौन सा संशोधन ठीक है, कौन सा नहीं ठीक है। ऐसा मालूम होता है कि आप बिल को पढ़ते जाते हैं और संशोधन लाते जाते हैं। अब हम क्या करें कहना ही पड़ता है तो मैं उनसे कहूंगा कि इस किस्म का संशोधन पेश कर सदन का समय बर्बाद न करें क्योंकि बहुत से महत्वपूर्ण संशोधन आने हैं। और यह कि नगरों का नाम निकाल दिया जाय, प्राधिकारी निकाल दिया जाय, ये अनावश्यक संशोधन हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसको वापस ले लें।

श्री कैलाशप्रकाश—अध्यक्ष महोदय, इस पर काफी कहा जा चुका है। उनकी दृष्टि से यह अनावश्यक मालूम होता है और हमारी दृष्टि से यह ठीक है। और माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने भी कह दिया है इस विषय में। तो मैं समझता हूं कि मौर्य जी इसको वापस ले लेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, गजट में जब प्राख्यापन होता है तो सब चीजें होती हैं। लेकिन अगर वह समझते हैं कि जरूरी है, तो विधेयक की मंशा के प्रतिकूल तो है नहीं, मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

गृह आयुक्त ४—(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके गृह-आयुक्त की नियुक्ति करेगी।

(२) गृह-आयुक्त (Housing Commissioner) एकल निगम (Corporation Sole) होगा जो गृह आयुक्त, उत्तर प्रदेश कहलायेगा; उसका सतत अनुक्रम (perpetual Succession) होगा, उसकी अधिकारिक मुद्रा (Official Seal) होगी, वह अपने निगमित नाम (Corporate name) से वाद प्रस्तुत कर सकेगा, और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष—खंड ४ में माननीय नारायणदत्त जी का कोई संशोधन आया है।

†श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के स्थान पर निम्नलिखित नया खंड ४ रख दिया जाय:

"४—(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके एक गृह-व्यवस्था बोर्ड (Industrial Housing Board) की स्थापना करेगी जो उत्तर प्रदेशीय गृह-व्यवस्था बोर्ड (U. P. Industrial Housing Board) कहलायेगा।

(२) उपर्युक्त बोर्ड सम्बद्ध निगम (Corporation aggregate) होगा जिसका अनुक्रम सतत (perpetual Succesion) होगा, उसकी अधिकारिक मुद्रा (Official Seal) होगी, वह अपने निगमित नाम (Corporate name) से वाद प्रस्तुत कर सकेगा, और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत हो सकेगा।"

श्रीमन्, इस संशोधन के द्वारा मैं इस विधेयक की बहुत बड़ी कमी को दूर करने का प्रस्ताव रख रहा हूं। वास्तव में जो औद्योगिक गृह व्यवस्था हमारे प्रदेश में होने जा रही है वह तब तक उचित रूप से नहीं हो पायेगा जब तक कि हम एक इंडस्ट्रियल हाउसिंग बोर्ड इस कार्य के लिए संगठित न करें। इस सम्बन्ध में जितनी भी आधिकारिक घोषणायें आज तक हुई हैं उन सब में इसी बात की सिफारिश की गई है कि इस प्रकार के मकानों पर नियंत्रण, उनका निर्माण, उनका रख रखाव, उनकी व्यवस्था, उनकी आमदनी, उनका खर्च इस सब का नियंत्रण एक बोर्ड के द्वारा हो। जब पहले इंडस्ट्रियल प्लानिंग कमेटी माननीय जवाहरलाल जी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने बनायी थी तो उस समय उसकी मुख्य सिफारिश हाउसिंग के मामले में यही थी और यह कहा गया था कि एक हाउसिंग बोर्ड के अलावा औद्योगिक गृह निर्माण के लिए अलग बोर्ड या रीजनल बोर्ड बनाये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्लानिंग कमीशन की सिफारिश भी इस संबंध में है। उसका लम्बा उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री जी अच्छी तरह जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन ने भी अपनी सिफारिश में यही निश्चित किया था कि इस प्रकार के सारे कार्य आटोनामस एथारिटी के द्वारा होने चाहिए और सरकार का अधिकारी इस कार्य को नहीं कर सकता और न उसे करना चाहिए। हाउसिंग कमिश्नर हो जरूर, लेकिन हाउसिंग कमिश्नर का स्थान एक बोर्ड के सेक्रेटरी के रूप में होना चाहिए या एक बोर्ड के अधिकारी के रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाउसिंग कमिश्नर जो कि बिलकुल राज्य सरकार के नियंत्रण में हो और उसका कोई अपना स्वतंत्र अधिकार न हो, उसको हम एक कारपोरेशन सोल के रूप में खड़ा कर दें और राज्य सरकार के पूर्ण वेतन भोगी व्यक्ति को हम एक कारपोरेशन बना कर कोई इन्तजाम करना हम शुरू करें। यह किसी हालत में उचित नहीं है। आप यह देखें कि आखीर और प्रदेशों ने भी इस सम्बन्ध में क्या किया है। बम्बई में हाउसिंग कमिश्नर नियुक्त किया गया है। लेकिन वह हाउसिंग कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड का एक अधिकारी मात्र है। सन् १९४७ से वहां पर हाउसिंग बोर्ड कार्य कर रहा है और आज बम्बई प्रदेश इस इंडस्ट्रियल हाउसिंग के मामले में सबसे आगे है और वहां करीब.....

श्री कैलाशप्रकाश—कल मैंने फिगर्स दिये थे। आप थे नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आपने फीगर्स दी होंगी। मैं एक सभा के काम की वजह से अनुपस्थित था। लेकिन "इंडस्ट्रियल हाउसिंग इन इंडिया" नाम की पुस्तक माननीय मन्त्री जी ने देखी होगी। उसमें अगर माननीय

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मन्त्री जी देखेंगे तो पायेंगे कि बम्बई के हाउसिंग बोर्ड ने सबसे सुन्दर कार्य किया है, यह उसमें दिया हुआ है। इसके अलावा आखीर अगर हम किसी कारपोरेशन की स्थापना करने जा रहे हैं तो यह आशा करना कि एक व्यक्ति अकेले एक कारपोरेशन का सारा काम कर सकेगा, सारे प्रदेश के काम को चला सकेगा, नियंत्रित रख सकेगा, यह अपेक्षा करना इस संबंध में सराहनीय नहीं है। आखीर अभी हाल ही में अगर माननीय मन्त्री जी ने रिपोर्ट देखी हो तो उन्हें मालूम हुआ होगा कि यू० पी० गवर्नमेंट ने भी इस संबंध में एक कमेटी बनायी थी जिसके अध्यक्ष श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब थे। उसकी भी सिफारिश यही थी कि हाउसिंग के सारे मामले का नियंत्रण एक बोर्ड करे। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री जी वह कौन सा कारण उपयुक्त समझते हैं जिसके आधार पर कि वह हाउसिंग बोर्ड बनाने के लिए तत्पर नहीं है। मैं तो उनसे इतना ही कहूंगा कि मुझे तो पूरी आशा है कि वह मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष--अब समय होगया। आप अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचन राम गुप्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

कोरम पूरा होने में देर लगने पर श्री राजनारायण द्वारा सभा-त्याग

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि तीसरे पहर से जब-जब बैठक होती है तो कोरम की समस्या प्रति दिन हो जाती है। ट्रेजरी बेंचेज के लोग इतने उदासीन हैं इसी से आप समझते हैं कि कितना अनावश्यक विधेयक है। तो मैं इसके लिये प्रोटेस्ट में आगे की कार्यवाही में, जो चलेगी, भाग नहीं लूंगा, ताकि आइंदा के लिये उनको एक सबक हो। इसलिये मैं जाना चाहता हूं आपकी इजाजत से।

कुछ सदस्य--आपकी पार्टी के आदमी भी नहीं हैं।

अधिष्ठाता--उनको भाग लेना नहीं है, अपने काम से जाना है। उन्होंने एक खामख्वाह के लिए एक बात कह दी और चल दिये।

श्री राजनारायण--यदि आपने ऐसी बात कह दी तो आपका भ्रम दूर हो जाय तो अच्छा है। यदि आप कहें तो मैं घंटे, दो घंटे, चार घंटे, बैठा रहूं ?

अधिष्ठाता--मैं तो चाहता हूं कि आप ५ बजे तक बैठें।

श्री राजनारायण--मैं इधर-उधर बैठ कर सुन सकता हूं, क्योंकि सरकारी पक्ष के लोग कुछ तो समझें। तीन वर्ष हो गये उनको आये, मन माने तरीके से आना और जाना। इसलिये मैं जाना चाहता हूं। आप से प्रार्थना है कि आप अपना भ्रम दूर कर लें।

(इसके उपरान्त श्री राजनारायण सदन से चले गये।)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह व्यवस्था विधेयक, १९५४--(क्रमागत)

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं अपने संशोधन के संबंध में यह निवेदन कर रहा था कि हाउसिंग बोर्ड का होना इस विधेयक के मंशा को पूरा करने के लिए कितना आवश्यक है। आखिर और जितने भी प्रांतों ने इस संबंध में औद्योगिक गृह व्यवस्था के संबंध में जो विधेयक पास

किये हैं उन सब में इस प्रकार के बोर्डस् की, या लारपोरेशनों की व्यवस्था की गयी है। मैंने बंबई का जिक्र किया इसके अलावा मध्य प्रदेश में देखिये कि वहां सन् १९५० में ही एक हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट बना। उन्होंने बोर्ड के रूप में तो नहीं लेकिन उसे एक कारपोरेशन की संज्ञा दी और एक स्वायत्त शासन संस्था, एक आटोनोमस अथारिटी जो अपने माने में स्वतंत्र हो जिसका कार्य-क्षेत्र अपनी समितियों के अंदर स्वतंत्र हो, ऐसी संस्था का निर्माण किया। मैसूर ने भी इस संबंध में दो बोर्ड्स बनाये, दो प्रकार के हाउसिंग बोर्ड्स बनाये। बिहार में भी इसी प्रकार एक हाउसिंग बोर्ड का निर्माण किया गया। पंजाब में भी एक हाउसिंग कारपोरेशन का निर्माण हो गया, केन्द्र ने जो हाउसिंग ऐक्ट पास किया है उसकी भी मंशा यह है कि जहां कहीं भी हाउसिंग ऐडमिनिस्ट्रेशन हो वहां बोर्डों के ही द्वारा उनका नियंत्रण किया जाय। जो मेरे इस हाउसिंग बोर्ड की मंशा है उसका स्पष्ट प्रयोजन यह है कि इस विधेयक के अन्दर जितने भी कार्य हों, वे सब इस बोर्ड के अधीन हों। एक अपनी उस बोर्ड की सील हो। जो भीमकान बने या बनाये जायं या जो बनाये जा चुके हैं, उन सब भवनों का पूर्णरूपेण दायित्व, उनकी पूरी अथारिटी, उनका पूरा प्रबन्ध, उनकी मिलकियत, उनकी प्रोप्राइटरशिप सब वेस्ट हो जायगी इसी बोर्ड के अधीन। तभी बोर्ड इस असेट को लेकर कुछ लायबिलिटीज भी कर सकेगा। और यह बोर्ड अपने फंड्स का ऐडमिनिस्ट्रेशन स्वयं करेगा, अपने फिनेन्सेज को स्वयं जुटायेगा। जो केन्द्रीय सरकार से आदमनी होगी चाहे वह कर्ज के रूप में हो, चाहे ग्रांट के रूप में हो, चाहे सबसिडी के रूप में हो वह भी इस बोर्ड के हाथ में निहित होगी। जो प्रान्तीय सरकार की कोई ग्रांट कर्जा या सबसिडी होगी वह भी इसी बोर्ड के हाथ में आयेगी, जो किराये की धनराशि होगी वह भी बोर्ड के पास जायगी, जो मिल मालिक लोग मजदूरों के मकान बनाने में रुपया कंट्रीब्यूट करेंगे, वह भी उसकी धनराशि होगी। और भी एक स्वायत्त शासकीय संस्था की तरह जो भी मान्यता इस बोर्ड को देनी चाहिये, वह हम देंगे। अगर माननीय मंत्री जी इस धारा को स्वीकार कर लेंगे तो दूसरे संशोधन भी मेरा देने का विचार है जो कि मैं इस बोर्ड के कर्त्तव्यों को स्पष्ट करने के सम्बन्ध में दूंगा।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी सिद्धान्ततः मेरे इस प्रस्ताव से सहमत होंगे क्योंकि इस सरकार की जितनी भी कमेटियां पहले बनी हैं उन सब ने इस प्रस्ताव को अंगीकार किया है। यू० पी० हाउसिंग कमेटी सन् ४७ में जो बनी थी; उसने भी इसको स्वीकार किया है। हाफिज जी वाली कमेटी ने भी इसको स्वीकार किया है। और खुद कांग्रेस की नेशनल प्लानिंग कमेटी ने इसको स्वीकार किया है, तो कोई कारण नजर नहीं आता कि माननीय मंत्री जी सिद्धान्ततः मेरे संशोधन से सहमत न हों। हाउसिंग कमिश्नर को आप एक कारपोरेशन बनाने जा रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या लेबर कमिश्नर इस कार्य को नहीं कर सकता? मैं कल उस समय दुर्भाग्य से उपस्थित नहीं था लेकिन जैसा कि आज मैंने समाचार-पत्रों में देखा, माननीय मंत्री जी का विचार यह था कि लेबर कमिश्नर अपने दूसरे दायित्वों के कारण इतने व्यस्त रहेंगे कि उनके पास समय नहीं रहेगा और इसीलिये हाउसिंग कमिश्नर की व्यवस्था की गई है। माननीय मंत्री जी की मंशा अगर यह है कि लेबर कमिश्नर का कार्य भार ज्यादा होने के कारण एक नये हाउसिंग कमिश्नर की सृष्टि कर रहे हैं और यह आशा करते हैं कि हाउसिंग कमिश्नर, असिस्टेंट हाउसिंग कमिश्नर, डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर या ऐडिशनल हाउसिंग कमिश्नर के जरिये इन मकानों का नियंत्रण करें, तो एक पूर्णरूपेण सरकारी अफसर को एक कारपोरेशन बनाना और उसे सरकार के नियंत्रण में रखना यह किसी भी हालत में उचित नहीं होगा। आखिर जिस काम को आज आप विधेयक के द्वारा कराने जा रहे हैं उस कार्य को डेवलपमेंट बोर्ड, कानपुर भी कर सकता था, म्युनिसिपल बोर्ड, कानपुर भी कर सकता था। हम ऐसा भी कर सकते थे कि जिस प्रकार रेफ्यूजियों के मकानों का प्रबन्ध म्युनिसिपल बोर्डस् ने किया उसी प्रकार कानपुर में बनाये गये मकानों का प्रबन्ध कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड करता, आगरा में आगरा म्युनिसिपल बोर्ड करता, लखनऊ में लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड करता और आपको इस विधेयक की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि सरकार इस बात की

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

आवश्यकता समझती है कि इस प्रकार के औद्योगिक गृहों का प्रबंध एक अलग संस्था द्वारा होना चाहिये। एक अलग कारपोरेशन द्वारा होना चाहिये क्योंकि उसकी समस्या अलग है, प्रबंध अलग है, खर्चे की मद अलग है, इन सब बातों को देखते हुये सरकार ने कारपोरेशन की व्यवस्था की है। अगर आप इसको उचित समझते हैं तो फिर इसको एक शेप दीजिये, अधिकार दीजिये, किसी एक व्यक्ति के अधिकार में इसे न रखिये जो होल टाइम सरकार का नौकर हो जो पेड हो, इसको औटोनोमस बनाइये जिसमें कम से कम ४/५ मेम्बर्स हों, इसमें मिल मालिकों के प्रतिनिधि हों, मजदूरों के प्रतिनिधि हों इत्यादि। इस तरह का जो बोर्ड बनेगा तो उसमें सभी का सहयोग प्राप्त होगा, सरकार का भी होगा, मिल मालिकों का भी होगा और मजदूरों का भी होगा और कानून के द्वारा बोर्ड बनेगा और स्वायत्त शासन के प्राधिकारी के रूप में वह कार्य कर सकेगा। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी अवश्य इसे स्वीकार करेंगे।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)--अधिष्ठाता महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं कि क्या कोई माननीय सदस्य इस सदन के स्पीकर्स गैलरी में दर्शकों की जगह जा कर बैठ सकते हैं, या यहां बैठना चाहिये या जाकर लौबी या गैलरी में जाकर बैठें। माननीय राज नारायण जी स्पीकर्स गैलरी में बैठे हैं।

अधिष्ठाता--यह तो माननीय सदस्य की इच्छा पर है कि जो भी सदस्य चाहे स्पीकर्स गैलरी में बैठे या यहां सदन में बैठे। शायद उनके पास पास होगा।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा--अधिष्ठाता महोदय, मेरा कहना यह है कि वह दर्शकों के लिये है और माननीय सदस्यों को तो यहां सदन में बैठना चाहिये।

अधिष्ठाता--कोई जरूरी बात नहीं है। अगर कोई माननीय सदस्य चाहें तो स्पीकर्स गैलरी में बैठ सकते हैं।

*श्री कैलाश प्रकाश--अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन मेरे मित्र तिवारी जी ने उपस्थित किया है, उसके विषय में कुछ बातें उन्होंने पहले भी अपने भाषण में कही हैं, और इसी विषय में कुछ बातें मैं पहले कह चुका हूं। हाउसिंग बोर्ड का उन्होंने और प्रदेशों का उदाहरण दिया, जहां तक हाउसिंग बोर्ड के बनाने का संबंध है, मैं समझता हूं कि उसका आशय केवल यह नहीं है कि हाउसिंग बोर्ड किराया वसूल करने के लिये या अलाट करने के लिये बनाया जाय। हाउसिंग बोर्ड का तो एक बहुत बड़ा काम है, जैसा कि स्वयं उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में हाउसिंग की कठिनाइयों को हल करने के लिये, जांच-पड़ताल करने के लिये, सुझाव देने के लिये एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है और वह सरकार के विचाराधीन है। मैं सदन का समय नहीं लूंगा, किन्तु उस कमेटी का भी सुझाव था कि हाउसिंग बोर्ड भी हो और हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन भी हो। उस सुझाव के साथ-साथ उन्होंने जो हाउसिंग बोर्ड के लिये कार्य नियत किये थे उसमें बड़ा महत्वपूर्ण कार्य यह था कि हमारे प्रदेश में किस तरीके से हाउसेज को बनाने के लिये सुविधा दी जा सकती है, जमीन जहां मकान बनाये जायं वह किस तरह से ठीक की जाय, किस आधार पर मकान बनाये जायं, और मकानों के लिये जो सामग्री की आवश्यकता है वह किस तरह से उपलब्ध की जाय, मकानों के लिये जो आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है उसको कैसे हल किया जाय। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का भी इन्हीं सब कार्यों से हाउसिंग बोर्ड के होने का आशय मालूम होता है।

जहां तक मेरी जानकारी है, बम्बई प्रदेश के हाउसिंग बोर्ड के सिलसिले में मेरे मित्र ने कहा, वहां का हाउसिंग बोर्ड केवल किराया वसूल करना या अलाट करने का काम नहीं करता। वह किस तरीके से वहां मकानों की संख्या बढ़ायी जाय या बढ़ायी जा सकती है इन चीजों की व्यवस्था

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करता है। जहां तक हमारे इस प्रदेश में और लोगों के लिये मकान बने हैं उनके मकानों की कठिनाई कहां तक हल हुई है और किस तरीके से हल की जाय, जब यह प्रश्न सामने उपस्थित होगा तब जो कुछ सुझाव तिवारी जी ने रखा है उन पर विचार किया जा सकता है। जैसा कि मैंने निवेदन किया, हाउसिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसके ऊपर विचार किया जा रहा है। अधिष्ठाता महोदय, मैं इस सदन के सामने यह उपस्थित करना चाहता हूं कि यह विधेयक जो आज है इसका बहुत सीमित क्षेत्र है। इसका केवल इतना क्षेत्र है कि जो इंडस्ट्रियल लोगों के लिये मकान बन चुके हैं उन मकानों का किस तरीके से प्रबन्ध किया जाय, और प्रबन्ध भी क्या? उनका किराया किस तरीके से वसूल किया जाय? उनका अलाटमेंट किस तरीके से किया जाय? अधिकांश में इन चीजों की व्यवस्था है। श्रीमन्, यहां जो मकान बनाये गये हैं ... ...

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, इस समय हाउस में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कैलाश प्रकाश—अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह जो विधेयक आज सदन के सामने उपस्थित है, इसका क्षेत्र बहुत सीमित है। यह जो मकान बनाये गये हैं इन मकानों के विषय में कठिनाई के लिये यह विधेयक बनाया जा रहा है। किस तरीके से वह मकान बनाये जायेंगे, लगभग कितना उनका किराया होना चाहिये। यह सब चीजें केंद्रीय सरकार ने निर्धारित की हैं। यहां पर जो मकान बनाने से रह गये हैं उन मकानों के बनाने के लिये भी इस बात की व्यवस्था की गयी कि हम जल्दी से जल्दी उन मकानों को बना दें, जहां कहीं भी हमको स्थानीय ऐसी सुविधा मिली है, हमने किया है। मान लीजिये कि कानपुर है वहां कानपुर में डेवलपमेंट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड जिनके पास ऐसे इंजीनियर थे जो कि मकानों का निर्माण करा सकें तो हमने इसको किया और उनके जरिये से निर्माण कराया है और उनके द्वारा जितने भी मकान बनाये जा सकते हैं वह मकान बनाये गये हैं। अपने सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भी हम जितने मकान बनवा सकते हैं, वह मकान बनवा रहे हैं क्योंकि इन मकानों की जो योजना है वह प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत है जो शीघ्र ही ३१ मार्च सन् १९५६ को समाप्त होने जा रही है। जितने भी मकान बन सकें वह मकान बनाने की चेष्टा की जा रही है जिससे यहां के जो श्रमिकों की कठिनाई है उसको हम दूर कर सकें। इसलिये मैं समझता हूं कि जो प्रश्न माननीय तिवारी जी ने संशोधन में उठाया है उसका यह समय नहीं है क्योंकि यह सब चीजें इसके अन्तर्गत नहीं आती हैं कि प्रदेश में हम किस तरह से मकानों की व्यवस्था करें, किस तरह की सहूलियतें मकान बनाने के लिये दी जायं आदि। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय तिवारी जी अपने इस संशोधन को वापस लेंगे।

श्री रामेश्वर लाल—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय नारायणदत्त तिवारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उनके संशोधन का आशय केवल यह है कि इस बिल में जो पावर या अधिकार आयुक्त को दिये गये हैं वह उसे न देकर एक कारपोरेशन बनाये और उस में यह अधिकार निहित करे। जैसे कि मैंने कल भी माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के हेतु निवेदन किया था कि हम प्रजातंत्र के हिमायती हैं और प्रजातांत्रिक पद्धति के अनुसार ही हमारी सरकार बनी है। इसलिये हमारे लिये यह आवश्यक है कि हमारा कोई भी कदम हो वह प्रजातांत्रिक पद्धति पर ही आधारित होना चाहिये। हम देखते हैं कि यदि माननीय तिवारी जी का संशोधन सरकार स्वीकार नहीं करती तो फिर एक व्यक्ति जो आयुक्त नियुक्त होगा सब अधिकार उसी के हाथ में चले जायेंगे, वही किराया वसूल करेगा, वही बेदखली करे या जेल भेजे या जुरमाना करना चाहे तो वह करे।

मैं समझता हूं कि यह संशोधन बहुत ही महत्व का है परन्तु उस के जवाब में माननीय मंत्री ने शुरू से आखिर तक केवल एक वाक्य का ही प्रयोग किया कि इस बिल का क्षेत्र बड़ा

[श्री रामेश्वरलाल]

सीमित है और एक सीमित दायरे के लिये ही यह बिल लाया गया है। यह हो सकता है कि इसका सीमित क्षेत्र हो लेकिन इसके अर्थ बड़े व्यापक हैं, हमारे प्रदेश में जो २ लाख की संख्या में मजदूर रहते हैं उनके रहने की व्यवस्था के संबंध में यह बिल है। यदि हम इसमें ठीक से हर बात की व्यवस्था नहीं करते हैं तो हो सकता है कि उनके अधिकारों का अपहरण हो और उनकी मान-मर्यादा का भी अपहरण हो सकता है। यदि हम प्रजातांत्रिक पद्धति का अनुसरण करते हैं तो यह आवश्यक है कि हम एक बोर्ड की स्थापना करें, जैसा संशोधन में है। हमारे सामने अपने प्रदेश की उन्नति और विकास की समस्या है और उनके विकास के लिये यह आवश्यक है कि हमारे देश के जो मेहनतकश हैं, जो पैदा करने वाले हैं, जो उत्पादक हैं उनके दिमाग पर किसी तरह से भी यह भार डालने का साहस न किया जाय कि राज्य हमारे लिये कुछ नहीं कर रहा है या जो कुछ कर रहे हैं वह दूसरों को उन्नति देकर मजदूरों को सताने के लिये कर रहे हैं। अगली पंचवर्षीय योजना की सफलता केवल इसी पर निर्भर करेगी कि हमारा उत्पादक-वर्ग खुशहाल रहे और वह यह न सोचे कि राज्य जो कुछ भी हमारे लिये करता है वह अच्छा काम नहीं करता। यह निश्चय है कि एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी ताकत देने की जो पद्धति है वह मजदूरों के लिये हानिकारक सिद्ध होगी। इसलिये अगली पंचवर्षीय योजना की तरफ भी, जो आने वाली है और जिसकी हम अभी से डींग हांकते हैं, उसके लिये आवश्यक है कि हमारा उत्पादकवर्ग खुशहाल और संतुष्ट रहे। इसलिये मजदूरों की खुशहाली को ध्यान में रखते हुये यह जरूरी है कि हम माननीय तिवारी जी के संशोधन को स्वीकार करें और इसी कारण से मैंने भी इसका समर्थन किया है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, यह जो माननीय तिवारी जी ने हाउसिंग बोर्ड का संशोधन पेश किया है मुझे दुख है कि मैं भी उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। जहां तक उसूल का सवाल है, मैं भी हाउसिंग बोर्ड बनाने के पक्ष में हूं। मगर इस विधेयक में उसको लाने से मुझे कुछ कठिनाइयां प्रतीत होती हैं। एक तो यह कि खंड दो हम पास कर चुके हैं और जितनी परिभाषायें थीं वे सब उसके अन्दर आ चुकी हैं। उसमें हाउसिंग बोर्ड की कोई परिभाषा नहीं दी गई। अब यदि इसको मान लिया जाय तो उस बिल को फिर से तरमीम करना पड़ेगा तभी क्लाज दो में ऐडीशन कर पायेंगे। दूसरी बात यह भी है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह बहुत ही सीमित विधेयक है और सीमित क्षेत्र के लिये बनाया जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड की जो सिफारिश है वह जितनी भी हाउसिंग प्राब्लम्स इस प्रदेश की हैं उन सब के लिये था। जो २१ हजार मकानों के बनने की बात है और जो भिन्न-भिन्न तरीकों पर अन्य मकान बन रहे हैं उन सब के बनने के बाद संभव है कि सरकार की तरफ से ही ऐसे बोर्ड को बनाने की बात हो। हमारे दूसरे साथी ने जो प्रजातंत्र आदि की बात कही और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात कही है तो वह सब बातें तो इससे संबंधित दिखलाई नहीं देतीं। जहां तक मजदूरों की खुशहाली की बात है उसमें तो सभी इधर के भी और उधर के भी माननीय सदस्य एक मत हैं कि हमारा उत्पादक खुशहाल हो और यह विधेयक इसीलिये है भी कि उसके लिये जो मकान बन गये हैं वह आसानी से उनका उपभोग कर सके और उनके लिये ऐसे नियम बन जायं इसके लिये ही यह विधेयक है। मैं समझता हूं कि तिवारी जी का आइडिया बहुत सुन्दर है मगर उसके लिये यह स्थान नहीं है। यदि वह थोड़ी देर और ठहर जायं और इस बात का इंतजार करें कि जब काफी मकान बन जायं, चाहे मजदूरों के हों, चाहे मध्यम श्रेणी के हों, उसके बाद इसको पेश करें तो बहुत उचित होगा।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता यदि हमारे मित्र माननीय तिवारी जी उस बोर्ड में न होते जो कि शुगर के लिये बना है। आप नहीं हैं यह मुझे बड़ा दुख है। इसीलिये आपको उसका अनुभव नहीं है। जहां पर शुगर फैक्टरी के मजदूरों के लिये मोलैसेज फंड से मकान बनाने के लिये एक बोर्ड, एक परामर्शदात्री

समिति और एक फाइनेंस कमेटी, इस तरह की कई कमेटियां बनी, जिसमें यह कार्य शुरू हुआ। मुझे यह आशा थी और आशा ही नहीं थी उस समय के श्रम मंत्री, माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने यहां के श्रमायुक्त से यह कहा कि यह मकान ६ महीने के अन्दर बन जाने चाहिये और कहा ही नहीं उन्होंने आज्ञा-पत्र भी जारी किया, कार्य शुरू हुआ। जो बोर्ड की मीटिंग होती है, उसकी प्रोसीडिंग्ज ऐडवाइजरी कमेटी में जाती है, उसकी फाइनेंस कमेटी में और उसकी फिर बोर्ड में जायगी और फिर दूसरी कमेटी में जायगी, नतीजा यह हुआ कि केवल १५ सौ मकान बनने थे लेकिन वह ७ सौ की सीमा पर ५० से ५५ के अन्दर पहुंच सके। तो मेरी मंशा यह तो नहीं है कि यह कहकर मैं बोर्ड की महत्ता को खत्म करता हूं। लेकिन मेरी यह मंशा जरूर है कि मैं इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर विचार करूं। सन् ४८ में दिल्ली में मालिक, मजदूर और सरकार के प्रतिनिधियों की एक कान्फ्रेंस हुई और उसमें एक संधि का प्रस्ताव आया। जहां उसमें और बातें हुईं वहां मजदूरों के मकानों के संबंध में भी सवाल उठाया गया था। आपको यह जानकर और सदन को यह जानकर दुख होगा कि हमारे प्रांत की सरकार उस कार्य को सन् ५२ तक न कर सकी और बोर्ड बने, कमेटी बनी और कितना रुपया खर्च किया जाय और क्या न किया जाय यह सब चलता रहा। अन्त में मैं तो धन्यवाद दूंगा उस समय के मुख्य मंत्री, पंडित गोविन्द बल्लभ पंत को जिन्होंने पं० जवाहरलाल नेहरू को मेरे जैसे आदमी के साथ उन मकानों को देखने के लिये भेजा जिसके उत्तर में उन्होंने कहा कि इन मकानों में आग लगा दो और अभी लगा दो, जिसका फल यह हुआ कि इतनी जल्दी मकान बने। अगर आप इन मकानों के बारे में बोर्ड और कमेटियों के चक्कर में फंसेंगे तो वही हाल होगा कि १,५०० मकान बनाने थे लेकिन ७०० ही मकान बने। मैं तो इससे आगे जाने के लिये तैयार हूं कि यह कार्य श्रम विभाग कर रहा था लेकिन हमारे मंत्रि मंडल ने एक अलग विभाग बना कर सब काम एक साथ कर दिया। मुझे शंका है और मेरी शंका सही होगी, मेरा विश्वास है इन मकानों की प्रगति में अब कमी होगी इसलिये कि अब उनको सभी के मकान बनाने होंगे। इस तरह की चीजों में अगर हमें डाला गया तो मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि यह धन जो केंद्रीय सरकार से आपको मिल रहा है वह लैप्स हो जायगा और जैसा कि आप देखा करते हैं कि वर्ष के अन्त में इतना धन वापस किया गया, वही दशा इस धन की भी होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन मजदूरों के मकानों को बन जाने दीजिये। बन जाने के बाद हम देखेंगे कि अब बोर्ड बनाने की जरूरत है। दूसरे मौके पर इस प्रस्ताव को वह लावें। जब हाउसिंग कंडीशन ठीक हो चुकी हो, स्लम्प क्लीयरेंस के बाद इस बोर्ड के प्रस्ताव को वे लावें तब हम इसका समर्थन करेंगे। मैं तो उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस कार्य को हो जाने दें, तो उनकी बड़ी कृपा होगी।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैंने बहुत ध्यानपूर्वक उन सभी माननीय सदस्यों के विचार सुने जिन्होंने मेरे संशोधन के विरोध में मुझे कुछ सलाह देने की कृपा की। माननीय उप-मंत्री के विचार से मेरा यह संशोधन साधारणतया तो उचित ही होता लेकिन इस विधेयक के सीमित उद्देश्य की पूर्तिहेतु वे इस बोर्ड की आवश्यकता को नहीं मानते। श्रीमन्, इस विधेयक का उद्देश्य सीमित है अथवा नहीं यह तो केवल इससे ही विदित होता है कि अगर इस विधेयक का उद्देश्य केवल इतना ही होता कुछ मकान जिनको राज्य सरकार ने बनाया है उनका किराया वसूल करना और उनको एलाट करना तब तो जैसा मैंने कहा था इस आशय की पूर्ति तो सरकारी भूगृहादि बेदखली और किराये की वसूली का विधेयक, १९५२ से हो जानी चाहिये थी। अगर इसमें बोर्ड की आवश्यकता नहीं समझते और यह समझते हैं कि इतना बड़ा उद्देश्य नहीं है जिसके लिये बोर्ड या कमेटी बनाई जाय तो फिर इसमें परामर्शदात्री समिति बनाने की क्या आवश्यकता थी, माननीय मंत्री जी अगर देखेंगे इस विधेयक को उठा कर इस विधेयक के खंड ८ में परामर्शदात्री समिति के गठन करने की बात कही गई है जिसमें ७ सदस्य होंगे। अगर केवल किराये की वसूली की बात थी, तो परामर्शदात्री समिति यह परामर्श देगी कि नहीं आप १० दिन का नोटिस न दे कर १५ दिन का नोटिस दें, केवल इस परामर्श के लिये परामर्शदात्री समिति के निर्माण की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

आवश्यकता समझी गई है, मैं नहीं समझता कि सरकार इतनी विचारशून्य होगी। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी की मंशा यह है कि जैसे उन्होंने कहा कि अन्ततोगत्वा हमको एक हाउसिंग बोर्ड बनाना ही होगा.....

श्री कैलाशप्रकाश—मैंने नहीं कहा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—नहीं बनायेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—मैं यह भी नहीं कह सकता। विचार होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—विचार तो चिरन्तन काल से हो रहा है।

अधिष्ठाता—मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य आपस में इस तरह से बातचीत न करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा बातचीत करने की धृष्टता कर रहा हूं।

अधिष्ठाता—मैं आपको ही दोष नहीं दे रहा हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मंत्री जी को सलाह दीजिये तो अच्छा होगा यह विचार कोई नया नहीं है। आखिर यू० पी० हाउसिंग कमेटी, १९४७ में मिली थी। उसने भी यही सिफारिश की थी। प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल हाउसिंग कमेटी बैठी, क्या यह सिफारिश करने की बात थी कि हाउसिंग का मामला हाउसिंग बोर्ड के द्वारा हो। दस-बारह साल पहले जब कि कांग्रेस सरकार नहीं थी, उस समय कांग्रेस नेशनल प्लानिंग कमेटी ने यह सिफारिश की थी। पर माननीय मंत्री जी का कहना यह है कि सारे जितने मकानों का प्रबन्ध हो सबको हाउसिंग बोर्ड में देंगे। उनका उत्तर माननीय अवस्थी जी ने दिया। चीनी मिल के मजदूरों के मकान बने नहीं, बनने का प्रस्ताव हुआ और प्रस्ताव होने से पहले बोर्ड कायम हो गया।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, फिर कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो यह एडवाइजरी कमेटी और हाउसिंग बोर्ड और तमाम कमेटियां तो चीनी मिल मजदूरों के मकानों के बनने से पहले ही आपने बना दिये। अगर सरकार का विचार यह था कि हाउसिंग बोर्ड का निर्माण केवल एक उद्योग के लिये नहीं होगा, केवल मजदूरों के मकानों के बारे में नहीं होगा तो चीनी मिल के मजदूरों के बारे में हाउसिंग बोर्ड क्यों बनाया गया ? आखिर हमने अलकोहल पावर डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जिसके आधार पर हाउसिंग बोर्ड चल रहा है। तीन-चार साल से लगातार काम हो रहा है। तो यह सिद्धांत सरकार ने स्वयं नहीं माना। हाउसिंग बोर्ड चीनी मिल मजदूरों के हेतु चल रहा है और माननीय मंत्री जी आज कहते हैं कि हम सारे मकानों की परिभाषा को लेकर हाउसिंग बोर्ड बनायेंगे। यह उनका तर्क तर्कसंगत नहीं है। श्रीमन्, इस विधेयक के अन्दर लिखा हुआ है कि मकानों की मरम्मत का इन्तजाम हाउसिंग कमिश्नर साहब करेंगे। आखिर उनके लिये कौन-सा फंड होगा ? जब पैसा नहीं होगा, उनको अधिकार नहीं होगा फंड रखने का, जितना किराया होगा सरकार के खजाने में जायगा, तो कहां से मरम्मत करेंगे ? एडवाइजरी कमेटी क्या सलाह देगी ? तो ऐसी बातें हैं जिनके संबंध में इस विधेयक की प्रस्तावना के अन्दर भी हाउसिंग बोर्ड का निर्माण हो सकता है और आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में उनके अधिकारों में वृद्धि हो सकती है। विधेयक में संशोधन हो सकता है और जिस प्रकार मैंने बतलाया कि बम्बई में या मैसूर में या मध्य प्रदेश में या बिहार में जो बोर्ड हैं वे सारा कार्य करते हैं, यह हमारा बोर्ड भी कर सकता है।

माननीय मंत्री जी को यह गलतफहमी न हो कि बम्बई का बोर्ड हाउस अलाटमेंट नहीं करता। बम्बई के अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (जी) में लिखा हुआ है—"दि सेल लेटिंग, आर एक्सचेंज आफ प्रापर्टी कम्प्राइज्ड आफ इन दि स्कीम।" यानी हाउसिंग बोर्ड जो भी स्कीम चलायेगा उसमें बिक्री भी कर सकता है, किराये पर भी उठा सकता है या अदल बदल भी कर सकता है। यह अधिकार बम्बई बोर्ड को भी है। तो यह सोचना कि बम्बई बोर्ड या जो दूसरे बोर्ड बने हुये हैं उनको इस प्रकार के अधिकार नहीं है, मैं समझता हूं कि न्यायोचित नहीं और माननीय नवल किशोर जी ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि मैं समर्थन तो अवश्य करता लेकिन चूंकि परिभाषा में खंड २ में वह मंजूर हो चुका है, बोर्ड की परिभाषा नहीं है इसलिये यह विधेयक में नहीं आ सकता। उनका जो तर्क है वह तर्कसंगत अवश्य होता लेकिन माननीय नवल किशोर जी अगर इस विधेयक को देखेंगे तो मालूम होगा कि परामर्शदात्री समिति, जिसका जिक्र खंड ८ में है, उसकी परिभाषा इसमें कहीं नहीं है। अगर माननीय नवल किशोर जी के तर्क को लिया जाय तो एडवाइजरी कमेटी भी अब नहीं रह सकती है। उसको भी आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि परिभाषा में उसका जिक्र नहीं है। इसके अलावा यही सवाल पहले भी सदन में उठाया गया था कि क्या जिन संज्ञाओं का प्रयोग विधेयक के मूलांश में किया गया है क्या उनको अनिवार्यतः परिभाषा वाले परिच्छेद में आना चाहिये। तो इस सवाल पर आपने स्वयं रूलिंग दी थी कि अनिवार्य नहीं है कि जिन शब्दों का औपचारिक रूप से विधेयक में प्रयोग किया गया हो उन सब की परिभाषा, परिभाषा वाले परिच्छेद में हो। यह आवश्यक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अब तो नवल किशोर जी मेरे इस संशोधन का समर्थन करेंगे ही।

माननीय अवस्थी जी ने मुझे सलाह दी कि अगर मैं बोर्ड में होता चीनी वाले में, तो मैं इस संशोधन को पेश न करता। मुझे बड़ा दुख है कि उन्होंने जो विचार यहां व्यक्त किये उन से मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि वह ६ महीने के अन्दर मकान बन जाते अगर वह हाउसिंग बोर्ड न होता। १,५०० क्वार्टर्स में कुल ७०० बने हैं। अगर यह जिम्मेदारी प्रजातांत्रिक पद्धति की है कि काम नहीं होता है, अगर प्रजातंत्र में यह दोष निहित है तो मैं नहीं समझता कि क्या कहा जाय। आप जानते हैं कि हम असेम्बली में इतना बड़ा बजट पास करते हैं। पहले वह फाइनेंस कमेटी में जाता है, वहां से कैबिनेट में और फिर सदन में पेश होता है और यहां वह एक लम्बे-चौड़े तरीके से पास होता है। उसके बाद पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी के पास और फिर आडिट रिपोर्ट की शकल में हमारे सामने आता है। तो यह एक प्रजातांत्रिक पद्धति है जिसको कि आपने माना है। अगर बजट फाइनेंस कमेटी के सामने न जाय तो यहां दिसम्बर में ही पेश किया जा सकता है। तो जिस तरह से प्रजातांत्रिक पद्धति में, सदन में बजट का रखा जाना आवश्यक है उसी तरह से किसी भी कार्य को संगठित रूप में करने के लिये, व्यावहारिक रूप में करने के लिये, व्यवस्थित रूप में करने के लिये यह भी आवश्यक है कि उसका जो प्रजातांत्रिक क्रम है, उसकी जो प्रजातांत्रिक पद्धति है उसके संगठन को देखते हुये, वह चाहे बोर्ड के रूप में हो या एडवाइजरी कमेटी के रूप में हो उसके सामने आना चाहिये। आखिर इतना रुपया लैप्स होता है राज्य में, क्या उसकी जिम्मेदारी सदन के ऊपर है? राज्य सरकार सप्लीमेंटरी बजट लाती है तो क्या उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है? जहां तक यह देखा जाय कि मिलों के क्वार्टर न बनने का क्या कारण है तो मैं कुछ दिनों उस बोर्ड में रहा था, अपनी जानकारी से कह सकता हूं कि अगर कुल १,५०० क्वार्टरों में ७०० बने हैं तो उसकी जिम्मेदारी हाउसिंग बोर्ड, एडवाइजरी कमेटी या एडवाइजरी फाइनेंस कमेटी की नहीं है बल्कि जिम्मेदारी उन मिल मालिकों की है कि जिन्होंने हाउसिंग बोर्ड की सिपारिश के विरुद्ध मकान बनाने में देरी की, ढील की और लगातार जो सरकार के आदेश थे, उनका पालन करने में उन्होंने देरी लगाई। इसके लिये हाउसिंग बोर्ड को दोष नहीं दिया जा सकता। तो मैं माननीय अवस्थी जी से कहूंगा कि वे तो मजदूरों के प्रतिनिधि हैं, उन्हें इस संबंध में अपने विचार बदलने की अत्यन्त आवश्यकता है। अगर उनका ऐसा विचार है कि बोर्ड के काम में इतनी ढील होती है, तो कम से कम मैं तो यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि जिस

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

बोर्ड में या कमेटी में अवस्थी जी मेम्बर हों उस के काम में इतनी ढील हो सकती हो। यह मैं नहीं मानता। वह स्वयं ऐसा कह सकते हैं किन्तु मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं। इसलिये मैं चाहूंगा कि वे सीमित और असीमित की परिभाषा के झगड़े में न पड़ें, यह सरकार कितनी सीमित है और कितनी असीमित है, उसके विचार और विधेयक सीमित हैं या असीमित हैं, सीमाओं में भी असीमित सीमायें सरकार को निकालनी आती हैं, तो इस गरीब विधेयक की सीमा निकालना कि वह है या यह है, मैं समझता हूं कि झमेले की बात है।

सीमा तो हम बदल सकते हैं, माननीय मंत्री जी आज भी चाहे तो अब भी बदल सकते हैं। इस विधेयक की जो प्रस्तावना है उसके अन्दर बदल सकते हैं। नहीं तो अगर आप देखें उस प्रस्तावना में साफ-साफ लिखा है अंतरिम रूप से, तो प्रबन्ध कर दिया गया, नियम बने हुये हैं। अगर आप इसके उद्देश्य और कारणों को पढ़ें उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अन्तरिम काल के लिये जब तक पूरी व्यवस्था न हो। बहुत से गृह बन भी चुके हैं और इस संबंध में समुचित व्यवस्था होने तक अन्तर्कालीन प्रबन्ध कर दिया गया है। प्रबन्ध मौजूद है तो विधेयक की क्या आवश्यकता है। तो इसलिये सीमित और असीमित के प्रश्न को छोड़कर हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु अग्रसर हों और इस संशोधन को स्वीकार करें।

*श्री कैलाश प्रकाश--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस बात से संकोच होता है कि माननीय सदस्य फिर यह कहेंगे कि मैं शुरू से ही एक चीज कहता चला आया हूं, ठीक है, मैं तो सदन के समय को बहुत मूल्यवान समझता हूं और जिस उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसी उद्देश्य के अन्तर्गत मैं बात करता रहता हूं और जब कोई माननीय सदस्य मेरे विचार में उद्देश्य से कुछ बाहर जाते हैं तो मुझे उसको दोहराना भी पड़ जाता है। इसलिये शायद माननीय सदस्य मुझे उसका दोषी समझते हों। मैंने फिर अपने माननीय मित्र तिवारी जी की बात को सुना और मैं दोहराना नहीं चाहता उस बात को कि सन् १९५२ में किराया वसूल करने के लिये एक विधेयक पेश किया गया था और अधिनियम बना हुआ है। उसके अन्तर्गत क्यों यह काम नहीं हो सकता। वह इस सदन के सामने मैं कल कह चुका हूं। श्रीमन्, सीमा जरूर बढ़ायी जा सकती है, यदि आवश्यक हो। किसी कार्य के हेतु अभी तक तिवारी जी ने मुझे यह बात नहीं बतायी कि वह इसकी सीमा बढ़ाना चाहते हैं। यदि उनकी यह आशंका हो कि कोई हाउसिंग कमिश्नर या डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा तो उस आशंका में मैं सम्मिलित नहीं हो सकता। उस आशंका के कारण तो इसमें कोई परिवर्तन किया नहीं जा सकता। लेकिन सीमा बढ़ाने के लिये तैयार हैं अगर केवल एक नाम बदल देने से हाउसिंग बोर्ड बदल देने से जो हम मजदूरों के लिये मकान बनाने जा रहे हैं उनकी संख्या बढ़ायी जा सकती हो या कोई और विशेष बात की जा सकती हो, वह तो माननीय तिवारी जी ने कोई सुझाव इस किस्म का तो रखा नहीं वह तो सिर्फ इस वजह से चाहते हैं कि एक बोर्ड बनाया जाय और वह इस सबका काम करें। श्रीमन्, अगर आज्ञा हो, यह काम एलाटमेंट का काम एक व्यक्ति ही करेगा। इस प्रदेश में एलाटमेंट का काम इन गृहों को छोड़कर और गृहों का भी करता है। आज भी जनसाधारण की सुविधा के लिये एलाटमेंट का काम किस दूसरे अधिनियम के द्वारा होता है वह भी एक व्यक्ति ही करता है। उसके परामर्श के लिये एक समिति है, किन्तु एलाटमेंट का जो काम है, प्रशासन का जो काम है वह एक व्यक्ति के द्वारा होता है। किराया वसूल करने का अधिकार, श्रीमन्, चाहे हम किसी स्थानीय अथारिटी को दें, किन्तु जो प्रशासन है वह एक व्यक्ति के ही द्वारा होगा, जैसा मैंने कहा। इसमें एक एतराज मेरे मित्र को यह भी हुआ कि परामर्शदात्री समिति की क्या आवश्यकता थी अगर एलाटमेंट का ही काम है। तो जिस तरह आज भी एलाटमेंट के काम के लिये परामर्शदात्री समिति नियुक्त की गई है और मकानों के लिये और मेरी समझ में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनका उपयोग रहा है और आज तक भी माननीय सदस्य ने कभी इस बात को कहा नहीं कि साहब एलाटमेंट तो रेंट कन्ट्रोल ऐंड एविक्शन आफिस के द्वारा होता है लेकिन यह परामर्शदात्री समिति उसके साथ क्यों है? इसलिये उस परामर्शदात्री समिति से भी उस सीमा के अन्दर भी उसका एक उपयोग है, उससे कुछ लाभ हुआ है। इसी तरीके से इस अधिनियम के द्वारा भी उसी सीमा के होते हुये जो परामर्शदात्री समिति हमने बनायी है बनाने का विचार रखा है उसका भी एक उपयोग हो सकता है। श्रीमन्, मैं सदन का समय नहीं लूंगा कि बम्बई के हाउसिंग बोर्ड ने क्या किया? मैंने नहीं कहा इस सदन में, कि बम्बई का हाउसिंग बोर्ड एलाटमेंट का काम नहीं करता है। मैंने केवल यह निवेदन किया कि जो हाउसिंग बोर्ड बम्बई में बना है वह एलाटमेंट का भी किराया वसूल करने का काम करता है किन्तु उसके बड़े-बड़े काम जो हैं, उनके बड़े-बड़े उत्तरदायित्व जो हैं, वह यह हैं कि किस तरीके से उनके प्रदेश में मकान बन सकें, किस तरीके से मकान बनाने की सुविधा दी जा सके, किस तरीके से और जो कठिनाइयां उपस्थित होती हैं उनको हल किया जा सके और श्रीमन्, वह जो बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड बना है उस हाउसिंग बोर्ड में बम्बई की प्रदेशीय सरकार ने भी रुपया दिया है, बम्बई की प्रदेशीय सरकार भी रुपया लगाती है। मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कल, दोहराना नहीं चाहता कि जहां तक और मकान बनाने का इस प्रदेश में संबंध है उन मकानों के लिये प्रदेशीय सरकार ने कुछ व्यवस्था की है इन श्रमिकों के मकानों के अतिरिक्त और भी मकानों की योजना है और उन योजनाओं पर काम हो रहा है और कुछ मकान बनाने के लिये प्रदेशीय सरकार ने भी रुपया खर्चा है, रुपया खर्चती है। वह सब चीज इसके अन्तर्गत नहीं है। बम्बई बोर्ड उन सब चीजों को अपने अन्तर्गत करता है। अधिष्ठाता महोदय, मैं नहीं जानता, मेरे इन शब्दों से माननीय तिवारी जी को भ्रम कैसे हो जाता है। मैंने भवन में यह नहीं कहा कि हम हाउसिंग बोर्ड बनायेंगे। मैं यह भी नहीं कहा कि उनका यह संशोधन उचित है। मैंने केवल यह कहा कि जब हम उस सब समस्या पर विचार करेंगे, जब सदन के सामने वह सब समस्या किस तरहसे हम अपने मकान बनायें उपस्थित होगी, उस समय इन सब बातों पर विचार किया जा सकता है। उस समय में विचार किया जायगा कि हाउसिंग कमेटी ने क्या सिफारिश की और, अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो, मेरे पास हाउसिंग कमेटी की रिपोर्ट मौजूद है अंग्रेजी में, आदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सिर्फ एक, परिच्छेद उसमें से पढ़ देना चाहता हूं . . . .

The Housing Board will after assessing the needs and the resources fix suitable targets for the development of house sites, acquisition of new sites and construction of houses of various categories. The coard will also divise ways and means to bring about reduction in housing cost; to remove impediments and to provide other facilities and amenities for construction of houses including appointment of approved agencies for construction of private houses."

Further on, without affecting the schemes already in progress or other future schemes sanctioned by the Government of India the Board may also examine other housing schemes."

अधिष्ठाता—जो आपने पढ़ा है उसका अनुवाद हिन्दी में कर दीजिये।

श्री कैलाश प्रकाश—इसका अनुवाद यह है कि जो हाउसिंग बोर्ड का एक सुझाव हाउसिंग कमेटीने दिया, उसमें हाउसिंग बोर्ड के लिये जो उन्होंने आगे बताया है वह यह कि हमारे प्रदेश में कितने मकानों की जरूरत है, कितने मकान बनाये जा सकते हैं, यह वह देखें और इस बात की नियुक्ति करें कि किस अवधि के अन्दर कितने मकान इस प्रदेश को बना लेने चाहिये, किस तरीके से उन मकानों को बनाने के लिये भूमि उपलब्ध की जाय, किस तरीके से और किस आकार के, किस डिजाइन के वह मकान बनाये जायं। बोर्ड इस बात का भी विचार करेगा कि जो मकान बनाये जाते हैं, ऐसे कम मूल्य वाले मकान किस तरीके से बनाये जासकते हैं और जो मकान बनाने में आज बाधायें उपस्थित होती हैं, कठिनाइयां पड़ती हैं, सामान नहीं मिल पाता है, उनकी उन कठिनाइयों को दूर करने के भी वह कुछ सुझाव देगा। श्रीमन्, यह भी कहा कि जो मकानों की योजना केंद्रीय सरकार की योजनाओं के द्वारा इस प्रदेश में चल रही है उन पर किसी तरीके

[श्री कैलाश प्रकाश]

से भी असर न पड़ने पाये, वह योजनायें चलती रहें। यह स्वयं हाउसिंग कमेटी की सिफारिश है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं तो फिर से यही समझाता हूं कि यह संशोधन उपयुक्त नहीं है और जो विधेयक में व्यवस्था की गयी है वही उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये, जो उद्देश्य उसका है, समुचित है और पूरी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, यह जो हाउसिंग कमेटी की रिपोर्ट माननीय मंत्री जी ने इस सदन के सामने पढ़ी, चूंकि उन्होंने उसे टेबिल पर, मेज पर एक प्रकार से रख दिया है इसलिये मैं चाहूंगा कि उसकी एक कापी हमको दे दी जाय।

अधिष्ठाता—मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि एक कापी उनको दी जाय।

श्री कैलाशप्रकाश—जितनी कि मैंने पढ़ी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, यह तो एक रूलिंग का प्रश्न है, क्योंकि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अनुसार जब कोई मेम्बर किसी पेपर को हाउस के सामने प्रस्तुत करता है, या पढ़ देता है, तो फिर वह डाक्युमेंट सदन की मेज पर आ जाता है। इसलिये उस अंश को ही नहीं, बल्कि सारी रिपोर्ट को पार्लियामेंटरी प्रोसीजर के अनुसार हाउस के सामने रखना चाहिये।

अधिष्ठाता—मेरी समझ में माननीय मंत्री जी ने थोड़ा-सा रेफरेंस दिया है। तो जितना पढ़ा है वह उतना हिस्सा नकल करके आपको देंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह रूलिंग है श्रीमन्, आपकी ?

अधिष्ठाता—जी हां, रूलिंग है।

अब मैं माननीय नारायण दत्त जी के संशोधन को आपके सामने रखता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ४ के स्थान पर निम्नलिखित नया खंड ४ रख दिया जाय—

"४—(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके एक गृह-व्यवस्था बोर्ड (Industrial Housing Board) की स्थापना करेगी, जो उत्तर प्रदेशीय-गृह व्यवस्था बोर्ड (U. P. Industrial Housing Board) कहलायेगा।

(२) उपर्युक्त बोर्ड सम्बद्ध निगम (corporation aggregate) होगा जिसका अनुक्रम सतत (perpetual succession) होगा, उसकी आधिकारिक मुद्रा (official seal) होगी, वह अपने निगमित नाम (corporate name) से वाद प्रस्तुत कर सकेगा और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत हो सकेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ४ के अन्त में एक नया उपखंड (३) निम्नरूप में रख दिया जाय—

३—"राज्य सरकार धारा ३ में अभिविष्ट गृहों को सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किसी भी समय गृह-आयुक्त उत्तर प्रदेश में समस्त स्वत्वों सहित निहित (vest) कर सकती है।"

श्रीमन्, क्योंकि मेरे पुराने संशोधन को मंत्री जी ने नहीं माना और उन्होंने हाउसिंग बोर्ड की व्यवस्था नहीं की, तो मैं चाहता हूं कि जैसा कि विधेयक है और जो हाउसिंग कमिश्नर के रूप में कारपोरेशन बना रहे हैं तो उसको एक वास्तविक कारपोरेशन की शक्ल में देना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप ही सोचें, श्रीमन्, कि जिस सामान या जिस मकान की प्रोप्राइटरशिप हाउसिंग कमिश्नर की नहीं है उसकी मरम्मत का वह क्या प्रबन्ध कर सकता है ? यानी अगर हाउसिंग कमिश्नर कोई नियम न बनायें तो उनका काम रह जाता है कि वह राज्य सरकार के पास भेज दें कि मरम्मत ऐसी हो जाय। वह स्वयं क्या मरम्मत करा सकता है ? जब तक यह निश्चित न हो कि जितने मकान बन गये हैं वह एक हाउसिंग कारपोरेशन सोल में वह वेस्ट है, हाउसिंग कमिश्नर यू० पी० में वेस्ट हैं तब तक वह कानूनी रूप से मुकदमा नहीं हो सकता। अगर हाउसिंग कमिश्नर पर कोई डिग्री हो गयी कभी, तो कैसे वे करेगा ? फंड्स उसके पास कोई नहीं है। जितना खजाना है, इंपीरियल बैंक में जमा हो जायगा, अगर दावेदार ने दावा कर दिया, १०-१५ हजार की डिग्री हो गई तो वह कारपोरेशन सोल कहां से देगा, कहां से पेमेंट करेगा। उसको पेमेंट के लिये राज्य सरकार पर मुनहसिर करना पड़ेगा। तो यह कानूनी अड़चनें आने वाली हैं, विधेयक में। इसको दूर करने के लिये, जिस तरह से इंगलैण्ड में कंसालिडेटेड हाउसिंग ऐक्ट, १९३८ में प्रावीजन है कि उन्होंने कारपोरेशन सोल बनाया भी है तो जहां ऐसी मैनेजमेंट कमेटी बनायी है तो पहले प्रापर्टी उनमें वेस्ट की है इसलिये यह जरा कठिनाइयों को दूर करने के संबंध में संशोधन है। मैं कोई ज्यादा लम्बा विवाद इसमें प्रस्तुत नहीं करना चाहता। शायद माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे। वह तो मैं समझता हूं और मेरी जानकारी भी है कि एक अनुभवी बैरिस्टर रह चुके हैं। अगर वह अपनी परम्परा को निबाहेंगे तो अवश्य इसको स्वीकार करेंगे और अगर माननीय उप-मंत्री जी स्वीकार न करने के मूड में भी हों तो उनको भी इसे स्वीकार करने के लिये राजी कर लेंगे।

श्री कैलाशप्रकाश—अधिष्ठाता महोदय, मुझे फिर दुख ही है कि यह भी संशोधन अपने मित्र तिवारी जी का मैं स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि वही बात है कि जिस उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उस उद्देश्य के यह अनुकूल नहीं है। इसलिये इसे मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं और माननीय मंत्री जी की यही इच्छा भी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से केवल दो ही सवाल माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं। एक तो जो खंड २८ के नियम हैं उनमें लिखा हुआ है कि गृहों की देखरेख और मरम्मत। और दूसरे इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति अनधिकृत घुस गया हो गृह के अन्दर, तो वह दावा कर सकता है हाउसिंग कमिश्नर के विरुद्ध। अगर हाउसिंग कमिश्नर को किसी मकान की देखरेख या मरम्मत करनी हो तो वह धन कहां से लायेगा क्योंकि वह तो केवल एलाटमेंट करने और किराया वसूल करने का अधिकारी है और किराया जमा होगा इम्पीरियल बैंक या ट्रेजरी में और कमिश्नर के नाम जमा नहीं होगा। तो जब आप हाउसिंग कमिश्नर को सरकारी विभाग से अलग करके एक कारपोरेशन बना रहे हैं तो या तो आप कारपोरेशन न बनाते और कहते कि राज्य सरकार पर दावा होगा तब तो दूसरी बात थी। लेकिन यहां स्थिति तो यह है कि डिग्री होगी कारपोरेशन के ऊपर जिसके फंड्स कुछ नहीं, जिसके एसेट्स कुछ नहीं तो यह तो एक बुनियादी बात है, एक कामनसेंस की बात है, यह एक सीधी सादी बात है जो विधेयक की सीमा के अन्दर है, उससे बाहर नहीं है तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी स्वयं उठकर कुछ कानूनी संतोष हमको दें अन्यथा वह भ्रम में डालने वाली बात होगी और अब तो माननीय मिश्र जी भी इस भ्रम में पड़ गये हैं।

श्री सैयदअली जहीर—जनाब चेयरमैन साहब, मैं तो यह समझता था कि जिस दिन इस बिल पर आम बहस हुई थी उस दिन उन्होंने हैल्सबरी के लाज आफ इंग्लैंड ऐज कारपोरेट सोल के मुताल्लिक कुछ थोड़े से जुमले पढ़े थे। उसी में यह लिखा हुआ है कि कारपोरेट सोल के लिये यह कोई जरूरी नहीं है कि वह कोई जमात हो, एक आदमी भी अगर कानून चाहे तो उसको भी कारपोरेट सोल बना सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हाउसिंग कमिश्नर को कारपोरेट सोल बना दिया गया। इसके बाद सवाल यही होता है कि कारपोरेट सोल बनाने के बाद क्या हाउसिंग कमिश्नर गवर्नमेंट का मुलाजिम रह जाता है या नहीं। उसमें

[श्री सैयद अली जहीर]

भी कोई दुश्वारी नहीं है। वह गवर्नमेंट का एक बड़ा अधिकारी और मुलाजिम भी रह सकता है और उसी के साथ बाज जरूरतों के लिये वह कारपोरेट सोल होगा। ऐसी सूरत में मेरी समझ में नहीं आता कि क्या दिक्कत पड़ेगी अगर उसके नाम से होगा, अगर उसको रुपये की जरूरत होगी तो उसको रुपया जो मुनासिब मद होगी उससे मिलेगा और अगर उसकी जरूरियात के लिये खर्चे की जरूरत होगी तो वह खर्चा करेगा और जो रुपया जमा होगा वह ट्रेजरी में जमा होगा और क्योंकि यह स्टेट प्रापर्टी होगी तो उसका एक मुलाजिम उसका इंतजाम करेगा, किराया वसूल करेगा और उसकी जरूरत के मुताबिक खर्चा भी करेगा। इसलिये मेरे खयाल में तो इसमें कोई भी कानूनी दिक्कत नजर नहीं आती है। मैं जहां तक समझता हूं वह यह है कि नारायणदत्त जी को महज वहम है कि इस तरह का कानून बना है कि इसमें आगे चल कर दिक्कतें होंगी, बाधायें होंगी। उसूली बातों को पेशेनजर रखते हुये जरूरत पड़े तो उसके लिये उनको कारपोरेट सोल बना दिया जाय ताकि दिक्कत न हो। अब सवाल यह था कि प्रापर्टी किसमें वेस्ट हो, कौन एलाटमेंट करेगा, कौन किराया वसूल करेगा और कौन इजेक्टमेंट करायेगा, इन सब बातों को पेशेनजर रखते हुये उनको कारपोरेट सोल बना दिया गया है ताकि वह यह सब काम कर सकें। इसमें न तो रुपये की दिक्कत होगी और न किसी भी चीज की कोई दिक्कत होगी और सब काम आसानी से हो सकेंगे।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ४ के अन्त में एक नया उपखंड (३) इस प्रकार रख दिया जाय—

"(३) राज्य सरकार धारा ३ में अभिदिष्ट गृहों को सरकारी गजट में प्रकाशित करके किसी भी समय गृह-आयुक्त उत्तर प्रदेश में समस्त स्वत्वों सहित निहित (vest) कर सकती है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

५—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के कार्य के प्रशासन, पर्यवेक्षण और सम्पादन के हेतु एक या एक से अधिक उपगृह-आयुक्त, सहायक गृह-आयुक्त तथा अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी, जैसा वह आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकती है।

(२) उपगृह-आयुक्त तथा सहायक गृह-आयुक्त राज्य सरकार के सामान्य नियंत्रण में तथा गृह-आयुक्त के आदेशों के अधीन गृह-आयुक्त के किसी भी कर्त्तव्य को कर सकेंगे तथा अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे और ऐसे कर्त्तव्य करते समय अथवा अधिकार प्रयोग करते समय उन्हें वही विशेषाधिकार प्राप्त होंगे तथा वह उन्हीं दायित्वों से आबद्ध होगा जो गृह-आयुक्त के हैं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय बलवन्त सिंह जी का संशोधन मैं पेश करना चाहता हूं।

अधिष्ठाता—क्या आपके पास अथारिटी है?

श्री ब्रजभूषण मिश्र—अधिष्ठाता महोदय, यह संशोधन शाब्दिक है।

अधिष्ठाता—अच्छा।

श्री व्रजभूषण मिश्र—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (२) की पंक्ति में ५ शब्द "होगा" के स्थान पर शब्द "होंगे" रख दिया जाय।

श्री कैलाश प्रकाश—अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह स्वीकार है।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (२) की पंक्ति ५ में शब्द "होगा" के स्थान पर शब्द "होंगे" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

६—गृह-आयुक्त तथा धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त अन्य अधिकारी अथवा सेवक इंडियन पीनल कोड की धारा २१ के अर्थ में पब्लिक सर्वेन्ट (जन-सेवक) समझे जायेंगे।

इंडियन पीनल कोड की धारा २१ के अधीन गृह-आयुक्त तथा अन्य अधिकारी पब्लिक सर्वेन्ट (जन-सेवक) होंगे।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

७—राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन गृह-आयुक्त गृहों की प्रदेशना, उनके किराये की वसूली, ऐसे गृहों में अध्यासीन व्यक्तियों की बेदखली तथा इस अधिनियम के प्रशासन से सम्बद्ध अन्य मामलों के लिए उत्तरदायी होगा।

गृह-आयुक्त के कर्त्तव्य।

श्री रामेश्वर लाल—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ७ की पंक्ति १ के शब्द "आयुक्त" के बाद शब्द "गृहों के रख-रखाव" रख दिये जांय।

श्रीमन्, यदि हमारा यह संशोधन मान लिया जाय तो इस तरह से हो जायगा कि "राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन, गृह-आयुक्त गृहों के रख-रखाव, गृहों की प्रदेशना, उनके किराये की वसूली, ऐसे गृहों में अध्यासीन व्यक्तियों की बेदखली तथा इस अधिनियम के प्रशासन से सम्बद्ध अन्य मामलों के लिए उत्तरदायी होगा"। अगर खंड ७ को आप देखें तो इसके द्वारा गृह-आयुक्त को अधिकार दिया गया है अध्यासन, प्रशासन और बेदखली का। वह किसी भी आदमी को गृह अलाट कर सकता है और एलाटमैंट में गड़बड़ होने पर कानून के द्वारा बेदखल भी कर सकता है और जो अधिकार इस विधेयक में दिये गये हैं, सजा वगैरह वह सब कर सकता है लेकिन सबके अन्दर अध्यासन, प्रशासन और बेदखली की बात कही गयी है। वह सब जिम्मेदारी काम को बिगाड़ने के लिये दी गयी है, सुधारने के लिये कोई जिम्मेदारी उसको

[श्री रामेश्वर लाल]

नहीं दी गयी है। तो मेरे मत के अनुसार उसको सुधार का भी अख्तियार होना चाहिये। इसलिये इन चीजों के साथ रख-रखाव को भी मैं जोड़ देना चाहता हूं। यह मेरी इच्छा है कि यह भी अधिकार उसको दिया जाय। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, सरकार की यह आदत सी पड़ गयी है कि जो विधेयक बनाने के लिये उद्देश्य लिखा जाता है उसके उलटे ही वह विधेयक बनाती है। आप अगर उद्देश्य को पढ़ेंगे तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि किन्तु उनके प्रशासन, नियन्त्रण, प्रबेशना, मरम्मत, किराया-वसूली और अन्य सम्बद्ध मामलों के लिए अधिनियम बनाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसके अन्दर मरम्मत शब्द रखा गया है और अंग्रेजी में उसके लिये अप-कीप रखा गया है। इसके मायने रख रखाव के लगाये जा सकते हैं लेकिन सरकार ने इसके लिये मरम्मत शब्द रखा है। आप इस विधेयक को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ जाइये कहीं पर भी मकान की रख-रखाव का जिकर नहीं आया है। जिस प्रकार से सरकार इस प्रकार का अधिकार उस गृह-आयुक्त को दे रही है तो उसके साथ साथ गृह के रख-रखाव की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर होनी चाहिये और यह अधिकार भी उसको देना चाहिये। जहां आप ऐक्ट के मुताबिक नियम बनायेंगे तो उसमें यह चीज भी आना जरूरी है। जो इस विधेयक का उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिये यह जरूरी है कि इस प्रकार का अधिकार भी उस अधिकारी को दिया जाय कि गृहों के रखरखाव के लिये वह नियम बनावे। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे नहीं तो इस बिल का उद्देश्य ही नष्ट हो जायगा।

श्री सैयद अली जहीर—चेयरमैन साहब, मालूम यह होता है कि माननीय सदस्य ने इस बात का लिहाज नहीं किया कि यह जो कानून है यहां दो तरह के मकान कम से कम ऐसे हैं जो इसकी हद में आते हैं। पहला तो यह है कि "हाउसेज कंस्ट्रक्टेड बाइ दि स्टेट गवर्नमेंट" और दूसरे वह है जो कि लोकल अथारिटी के जरिये से इंडस्ट्रियल वर्कर के लिये बनाये गये हैं। तो यह हो सकता है कि जहां तक कि स्टेट गवर्नमेंट का ताल्लुक है उस की जिम्मेदारी हाउसिंग कमिश्नर पर हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि जो लोकल बाडीज के बनाये हुए मकान हैं, उनकी जिम्मेदारी किसी और पर कर दी जाय, इस तरह से इन मकानों की मरम्मत की जिम्मेदारी पी० डब्ल्यू० डी० या किसी और डिपार्टमेंट को दी जाय। इस तरह से अप-कीप या मेनटेनेन्स का लफज लाने में यह अन्देशा था और इसी वजह से जैसा कि एक के आब्जेक्टस् एन्ड रीजन्स में लिखा है वह चीज दफा २८ में दी रख गई है और जिस वक्त उसके अनुसार नियम बनाये जायेंगे तो उसके अप-कीप या मेंन्टेनेस के बारे में तय किया जायगा और जैसे-जैसे जरूरत होगी इसके लिये नए रूल्स बन सकेंगे। इसलिये जहां तक और बातों की जिम्मेदारी हाउसिंग कमिश्नर को दी गई है जैसे एलाटमेंट वेकेशन या और दूसरे मामलों की वह सब साफ तौर से बता दी गई है लेकिन जो मकसूस मरम्मत की बात है उस के लिए रूल्स में इंतजाम किया जायगा। इस तरह से मेरे दोस्त को इस तरह की कोई दिक्कत न होनी चाहिए और उम्मीद है कि वह अपने संशोधन को वापस लेंगे।

श्री रामेश्वर लाल—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे निहायत दुख है कि माननीय मंत्री जी ने हमारे इस संशोधन को अस्वीकार कर दिया। खंड ७ को यदि आप देखें तो उसके द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि गृह-आयुक्त के कर्त्तव्य क्या हैं। इसकी आवश्यकता इस बिल में यह है कि साफ हो जाय कि गृह-आयुक्त क्या करेगा, वह एलाटमेंट करेगा, बेदखली करायेगा, सजा देगा, यह सब खंड ७ में दिया गया है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं यह मुनासिब नहीं समझता कि जब हम गृह आयुक्त के कर्त्तव्य का निर्धारण करने चलें तो हम यह भूल जायं कि जो मकान हम बना रहे हैं और जिनका जिम्मेदार हम आयुक्त को बनाना चाहते हैं, उसकी जिम्मेदारी उन मकानों के रख-रखाव के प्रति

भी है। मंत्री जी ने जो सलाह दी और उन्होंने जो समझा कि मैंने इसको समझा नहीं इस वास्ते संशोधन रखा है, ऐसी बात नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि जिन नियमों की सीख उन्होंने मुझे दी क्या यह नहीं हो सकता कि जिन मकानों की व्यवस्था को पी० डब्ल्यू० डी० या अन्य संस्थाओं को वह देने की बात करते हैं तो क्या हम यहां जब आयुक्त के कर्त्तव्यों का निर्धारण कर रहे हैं उस वक्त ही हम साफ-साफ नहीं कह सकते कि उनकी जिम्मेदारी रख रखाव की है या नहीं है ? मैं मानता हूं कि प्रदेश में हजारों की संख्या में मकान बन चुके हैं, चाहे वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पैसे से बने हों या स्टेट गवर्नमेंट ने बनाये हों, लेकिन अगर आप उनके रखर-खाव की व्यवस्था नहीं करते तो कैसे पता चलेगा कि किस संस्था के अधिकार क्षेत्र में आप यह चीज दे रहे हैं। यहां यह भी निश्चित है कि इन घरों के बहुत बड़े हिस्से को आप आयुक्त के अधिकार में रखना चाहते हैं और जब मकान आयुक्त के अधिकार में रहे तो हम यह चाहते हैं कि उनके रख-रखाव के लिये भी उत्तरदायी रहे। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी अब इसपर पुनः विचार करें और यदि इसे अब भी नहीं मानते तो सम्भव है कि आने वाले सालों में कोई बाधा उपस्थित हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी पुनः विचार करके संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री कैलाश प्रकाश—माननीय मंत्री जी बातों को स्पष्ट कर चुके हैं और इन बातों को सुनने के पश्चात् भी मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं मालूम होती।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ७ की पंक्ति १ के शब्द "आयुक्त" के बाद शब्द "गृहों के रख-रखाव" रख दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

८—(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के प्रशासन से सम्बद्ध उन मामलों में परामर्श के हेतु, जिन्हें राज्य सरकार अथवा गृह-आयुक्त उसके परामर्श के लिये अभिदिष्ट करें, परामर्श समिति संगठित कर सकती है। परामर्श समिति

(२) समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होंगे सभापति सहित उनकी संख्या ७ से अधिक न होगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि परामर्श समिति में कम से कम एक सदस्य औद्योगिक श्रमिकों का तथा एक उनके नियोजकों (Employers) का प्रतिनिधि अवश्य होगा।

(३) परामर्श समिति के सभापति की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी।

* श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने अपने इस संशोधन को भी संशोधित रूप में रखने की आज्ञा चाही है और उसकी प्रतिलिपि आपको भेज दी है। मेरा संशोधित रूप में संशोधन निम्नरूप से होगा :—

खंड ८ के उपखंड (१) को निम्न रूप में रख दिया जाय—

"(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के प्रशासन से सम्बद्ध मामलों में परामर्श के लिये परामर्शदात्री समिति संगठित करेगी।"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिष्ठाता---यह आप अपना संशोधित संशोधन रख रहे हैं ?

श्री जोरावर वर्मा---जी हां। अधिष्ठाता महोदय, कल माननीय सदस्यों ने जनरल बहस के समय इस बात पर प्रकाश डाला था कि खंड ८ के अनुसार राज्य सरकार को परामर्शदात्री समिति संगठित करनी चाहिये। लेकिन इस विधेयक में इस बात की ओर कोई संकेत तक नहीं है। इस समिति के कर्तव्य क्या होंगे ? यह भी संकेत नहीं है। इसमें था कि जिन बातों को राज्य सरकार इस परामर्शदात्री समिति को संकेत करे उन्हीं पर यह समिति अपने विचार प्रकट कर सकती है। मेरा संशोधन अब जो है, वह यही है कि गवर्नमेंट के लिये यह आवश्यक होगा कि एक परामर्शदात्री समिति संगठित करे। इसमें यह था कि गवर्नमेंट कर सकती है लेकिन इस संशोधन के अनुसार तो गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। अभी हमारे माननीय तिवारी जी ने कई संशोधन करने चाहे कि इस तरह की एक ऐडवाइजरी बाडी की स्थापना हो जिसकी सलाह से यह जो स्कीम है और जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है उन सबकी पूर्ति के लिये सारे मसलों पर वह विचार करे। यह जो खंड ८ (१) में है वह इस प्रकार है---"राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर के इस अधिनियम के प्रशासन से सम्बद्ध उन मामलों में परामर्श के हेतु, जिन्हें राज्य सरकार अथवा गृह-आयुक्त उसके परामर्श के लिये अभिदिष्ट करे, परामर्श समिति संगठित कर सकती है।" तो अधिष्ठाता महोदय, इसमें राज्य सरकार और गृह-आयुक्त को यह आप्शन है कि वे जिन विषयों को चाहें इस समिति को अभिदिष्ट कर सकते हैं और अभिदिष्ट करने पर कोई बन्धन नहीं है कि वे, परामर्शदात्री समिति जो सुझाव दे, उसको मानें ही। अगर उसी तरह से यह समिति रहती है तो मैं समझता हूं कि यह फालतू अंग है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसे अगर न रक्खा जाय तो भी अच्छा ही है और इस अधिनियम में इस प्रकार की व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट के कई काम ऐसे होते हैं जिनमें अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो गवर्नमेंट उन पर कमेटी मुकर्रर कर देती है अगर व्यवस्था करनी ही है तो ऐसी होनी चाहिये जिसका सचमुच में कुछ अर्थ हो। तो मैं चाहूंगा कि मैंने जो संशोधन रक्खा है उसको माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे क्योंकि यह एक ऐसा अंग है जिसमें मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी बहुत कुछ हट जाती है। इस समय कई सालों से हमारे प्रदेश में मिल मालिकों और मजदूरों में झगड़े बढ़ रहे हैं। सरकार अगर कोई हस्तक्षेप करती है तो दूसरी पार्टियों के लोगों को यह कहने का अवसर मिलता है कि गवर्नमेंट अपनी पार्टी पालिटिक्स के कारण जस्टिस नहीं कर पा रही है और अपना पोलिटिकल मतलब हल कर रही है। इसलिये अगर सरकार को इस लांछन से बचना है और सचमुच में उसे मजदूरों से हमदर्दी है तो उसके लिये आवश्यक है कि वह इस प्रकार की एक स्वतन्त्र बाडी स्थापित करे और उसकी सलाह पर सरकार कार्य करेगी। मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन को रखता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

*श्री कैलाश प्रकाश---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन माननीय वर्मा जी ने दिया है उसको स्वीकार करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। इस समय जो धारा है उसमें कहा यह गया है कि एक परामर्शदात्री समिति होगी और वह परामर्श देगी उन विषयों पर जो राज्य सरकार या गृह-आयुक्त निर्धारित कर दें। माननीय सदस्यों ने जो संशोधन भेजा है और जो छपा है उसके अनुसार उन्होंने गृह-आयुक्त को उसमें से निकाल दिया था। उसका आशय यह था कि जो विषय राज्य सरकार परामर्श के लिये निर्धारित कर दे उन पर यह परामर्शदात्री

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समिति परामर्श दे और जो नया आया है उसमें इन दोनों को निकाल दिया गया है। श्रीमन्, एक तो बात यह कही गई है कि ये शब्द रखने से सरकार पर लांछन आयेंगे। श्रीमन्, जहां तक लांछन का प्रश्न है जिनको लांछन देने ही हैं वे तो देंगे ही, ये शब्द रहें या न रहें और सरकार को जिस उद्देश्य से जो काम करना है उसमें उसको लांछन की परवा भी क्या करनी। सरकार को तो यह देखना है कि जो अधिनियम हम बनाने जा रहे हैं उससे हमारा काम पूरा होता है या नहीं। जिस रूप में अब यह संशोधन दिया गया है कि एक परामर्शदात्री समिति रक्खी जाय और उसमें ऐसी व्यवस्था न हो कि किन विषयों पर वह परामर्श दे तो अधिष्ठाता महोदय, मुझे उसमें कठिनाई मालूम देती है क्योंकि परामर्श बहुत सी बातों पर हो सकता है। यह आवश्यक है कि उन विषयों को, उन बातों को निर्धारित कर दिया जाय जिन पर परामर्श देना है। श्रीमन्, जहां तक पहले संशोधन का सम्बन्ध था राज्य सरकार उन विषयों को निर्धारित कर सके, गृह-आयुक्त न कर सके, राज्य सरकार को तो अधिकार जो इस सम्बन्ध में धारा है उसमें है ही। लेकिन बहुत सी दफा यह बात हो सकती है कि कुछ ऐसे मसले हों गृह आयुक्त के सामने जिसमें वह परामर्श लेना चाहे, तो वह भी उसको अधिकार रहना चाहिए। यदि हाउसिंग कमिश्नर इस बात को उचित समझता है कि इस बात पर भी मैं परामर्श लेकर काम करूं तो उसको उस परामर्श लेने से वंचित क्यों किया जाय। कोई इस बात की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं होती। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री जोरावर वर्मा—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गयी है जिससे मुझे कुछ संतोष होता कि मैं इस संशोधन को वापस कर लूं। हां, उन्होंने लांछन की बात जरूर कही है। तो ठीक है। चूंकि गवर्नमेंट को वह चला ही रहे हैं तो देहात में एक कहावत है, "जब ओखली में सिर दिये हैं, तो मूसर का क्या डर।" जब उस बात के लिए बेंट अपान ही है तो चाहे जो कुछ लांछन लगते जायं उन्हें करना ही है या चाहे जिस प्रकार के संशोधन आयें उन्हें मानना ही नहीं है तो इसके लिये कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन मैं यह समझता हूं कि अगर इस संशोधन को वह देखेंगे, उस समिति को मैं नहीं बना रहा हूं, उसे गवर्नमेंट ही बनायेगी। लेकिन उसमें मैंने एक प्रकार की व्यवस्था की थी कि वह बाडी हमेशा रहेगी और जितने इस सम्बन्ध में काम होंगे उसकी राय से ही होंगे। लेकिन आज कल जैसा है, हमारी गवर्नमेंट कहलाती तो डेमोक्रेटिक है, लेकिन उसके कार्यकलाप उसके विरुद्ध होते हैं। इसमें भी यह दिया है कि गृह-आयुक्त को ही सब कुछ कर दिया गया है। उसमें गवर्नमेंट की बात कहीं-कहीं आ गयी है ताकि यह न कोई समझ जाय कि कोई स्वतन्त्र व्यक्ति ऐसा कर दिया गया है जिसको कोई यह कह सके कि यह प्रजातन्त्र प्रणाली के विरुद्ध है इसीलिये उसमें कहीं-कहीं राज्य सरकार जोड़ दिया गया है। मैं तो यह समझता हूं कि यह संशोधन जो है वह प्रजातन्त्र प्रणाली के बहुत ही अनुकूल है। और इसमें गवर्नमेंट का भी जो काम है बहुत हल्का हो जायगा। मानना न मानना उसका काम है। मैं फिर भी इसी बात पर जोर दूंगा कि मेरे इस संशोधन को वह स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री कैलाश प्रकाश—अधिष्ठाता महोदय, मुझे कोई और अधिक कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं होती।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) को निम्न रूप में रख दिया जाय—

"(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के प्रशासन से सम्बद्ध मामलों में परामर्श के लिए परामर्शदात्री समिति संगठित करेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में से शब्द "अथवा गृह आयुक्त" निकाल दिये जांय।

यह संशोधन मैंने केवल इस विचार से रखा है कि राज्य सरकार एक परामर्शदात्री समिति नियुक्त करेगी। तो उस समिति को परामर्श देने का काम राज्य सरकार के लिये ही होना चाहिये। यह नहीं कि गृह आयुक्त कोई परामर्श के लिये मामला भेजें जैसा कि खंड ८ (१) में है कि :

> "राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के प्रशासन से सम्बद्ध उन मामलों में परामर्श के हेतु, जिन्हें राज्य सरकार अथवा गृह-आयुक्त उसके परामर्श के लिए अभिदिष्ट करें, परामर्श समिति संगठित कर सकती है।"

गृह-आयुक्त अभिदिष्ट करें परामर्श के लिये, यह मैं उचित नहीं समझता। तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगा कि परामर्शदात्री समिति एक बड़ी प्रतिष्ठित बाडी होगी और परामर्श के लिये तो यह सही है कि राज्य सरकार माने या न माने। अगर गृह-आयुक्त परामर्श के लिये अभिदिष्ट करेगा समिति को, तो उसको तो अधिकार है कि वह उसका परामर्श माने या न माने और परामर्शदात्री जैसी संस्था के लिये यह कुछ अनुचित सा प्रतीत होता है। वह राज्य सरकार की परामर्शदात्री समिति होनी चाहिये। राज्य सरकार को वह परामर्श दे। राज्य सरकार उसको चाहे माने या न माने यह तो शोभाजनक है लेकिन गृह-आयुक्त किसी परामर्श के लिये परामर्शदात्री समिति को अभिदिष्ट करें और फिर उसके परामर्श को न मानें, यह उचित नहीं। तो इसलिये मैंने यह संशोधन दिया है कि राज्य सरकार जिन मामलों को अभिदिष्ट करें उन्हीं मामलों पर वह परामर्श दे न कि गृह-आयुक्त।

(इस समय ३ बज कर ५२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सीरियल ९ पर जो मेरा संशोधन है उसे उपस्थित किया है और इससे मेरा स्पष्ट सा आशय केवल यह है कि जो परामर्शदात्री समिति होगी उसके पास परामर्श के लिये जो मामले अभिदिष्ट किये जायंगे उस पर वह परामर्श देगी। तो राज्य सरकार ही उसका परामर्श ले, न कि गृह-आयुक्त। उसका अधिकार होगा कि वह परामर्श माने या न माने। परामर्शदात्री समिति तो एक आदरणीय संस्था होगी तो राज्य सरकार का कोई नीचे का कर्मचारी उससे परामर्श के लिये मामले अभिदिष्ट करे यह उसकी मर्यादा के प्रतिकूल पड़ता है। इसलिये राज्य सरकार केवल रहे, गृह-आयुक्त कोई मामला अभिदिष्ट न करें और इसीलिये मैंने यह संशोधन किया है।

***श्री रामनरेश शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ताज्जुब में हुआ माननीय मौर्य जी की बात को सुनकर। वह इसलिये कि जिस भावना से उन्होंने यह संशोधन रखा है वह कुछ ऐसी जान पड़ती है कि उन विचारों की उत्पत्ति है जिसमें छोटे-बड़े का विचार दिमाग में बहुत आया करता है। वह गृह-आयुक्त समाज या समाज की सेवा करने के लिये किसी के परामर्श की सहायता चाहता है तो वह सहायता देने वाले का अपमान हो जाय, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी ही बात मैं समझ पाया हूं। पहली बात तो मैं आपके द्वारा उनसे यह कहूंगा कि इस विचार को हमेशा के लिये छोड़ दें। राज्य के अन्दर या समाज के अन्दर कोई व्यक्ति किसी स्थान पर हो, वह चाहे जो हो अपने हिसाब से समाज और राज्य की सेवा कर रहा है और किसी के साथ कर्तव्य करके किसी के मान की हानि नहीं हो सकती। यह मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। अगर इस राज्य में एक चौकीदार को भी सहायता की जरूरत है और मेरे और मौर्य जी के परामर्श की उसे आवश्यकता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिससे उसका कार्य चल सकता है तो मैं समझता हूं कि मेरा और मौर्य जी का कोई अपमान नहीं है, उसको सहायता देने में। फिर आपके द्वारा मैं उनसे एक बात और पूछूं जब इस ख्याल को वह छोड़ दें तब, कि गृह-आयुक्त जो है जो प्रतिदिन उस कार्य को देख रहा है, वह ज्यादा उचित समझ सकता है कि किस बात पर आवश्यकता है कि उन एक्सपर्टों की राय ली जाय जो कि उस समिति में होंगे? राज्य सरकार एक बहुत बड़ी चीज हुआ करती है, बहुत से उसके कार्य हैं, बहुत से कार्यों पर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। इसलिये गृह-आयुक्त की मांग पर किसी समिति को संगठित न किया जाय यह मेरी समझ में बात नहीं आती। तो मैं आपके द्वारा उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि वह अपने इस छोटे बड़े के ख्याल को छोड़ दें और लेबर की प्राबलम को जरा ध्यान से देखें, तब उन्हें पता चलेगा कि जो आदमी मौके पर होता है वह ज्यादा जरूरत महसूस कर सकता है कि किस बात की कब आवश्यकता है। इन दोनों बातों के होते हुए मैं इस संशोधन को बिल्कुल व्यर्थ समझता हूं और उनसे कहता हूं कि वे उसे वापस ले लें। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मैं मौर्य जी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं यह समझता हूं कि शायद मौर्य जी को कुछ भ्रम हो गया है कि यह जो गृह-आयुक्त है इस धारा द्वारा उसको कुछ अधिकार दिया जा रहा है। उसको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है बल्कि अगरचे उसको काम करने में कहीं दिक्कत पैदा हो तो वह परामर्शदात्री समिति के सामने उसको भेज दे ताकि वह अपनी राय उस पर दे दे। रहा यह कि माने या न माने जब वह परामर्शदात्री समिति ही है तो वह परामर्श ही दे सकती है चाहे मानी जाय या न मानी जाय। तो चाहिये तो यह था कि मौर्य जी उस परामर्शदात्री समिति का ही विरोध करते कि वह न बनायी जाय बल्कि जैसा नारायणदत्त जी ने कहा था वह बोर्ड बनाया जाय, यह कहते तो ठीक था। कोई भी कोई सलाह मांगे किसी से तो उसको सलाह मिलनी चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि वे इसको वापस ले लेंगे। इससे कोई फ़ायदा नहीं है।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं वह ऐडवाइजरी कमेटी जो होगी इससे जो ज्यादातर राय मांगेंगे वह हाउसिंग कमिश्नर मांगेंगे। स्टेट गवर्नमेंट तो कभी-कभी कोई पालिसी का मैटर हो या कोई खास बात हो तब उसको भेज देगी कि हां इस पर भी ऐडवाइजरी कमेटी की राय ले ली जाय। लेकिन जिस शख्स को सारे वक्त इन मकानों का इन्तजाम करना है और भी इससे ताल्लुक रखने वाले जितने काम हैं, उसी को जरूरत पड़ा करेगी कि वह ऐडवाइजरी कमेटी से वक्तनफ़वक्तन मश्विरा लेता रहे और उसकी सलाह जहां तक हो सके मानें। तो ऐसी सूरत में स्टेट गवर्नमेंट को रख करके और हाउसिंग कमिश्नर को निकाल दिया जाय कि वह ऐडवाइजरी कमेटी से सलाह न ले, तो माने यह हुए कि ऐडवाइजरी कमेटी बिल्कुल बेकार हो जायगी। तो मेरे ख्याल में मौर्य जी ने जो तरमीम पेश की है वह किसी गलतफहमी की बुनियाद पर की है और वह इसको वापस ले लेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी विचार से यह संशोधन किया कि ७ व्यक्तियों की यह परामर्शदात्री समिति होगी जिसमें मजदूरों के प्रतिनिधि होंगे, एम्प्लायर्स के प्रतिनिधि होंगे, और गृह-आयुक्त अगर उससे कोई परामर्श ले तो उस परामर्श की वैल्यू क्या होनी चाहिए और गृह-आयुक्त फिर एक सुपीरियर एथारिटी होता है परामर्शदात्री समिति के मुकाबिले में इसी विचार से मैंने संशोधन रखा था लेकिन माननीय रामनरेश जी ने इसका विरोध करते हुए जाने क्या समाज में छोटे-बड़े और क्या-क्या कहा? उन्होंने कहा कि इनके दिमाग में

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

छोटे-बड़े की बात रहती है, मैं तो नम्रतापूर्वक यह कहूंगा कि छोटे-बड़े की बात उन्हीं के यहां से यह निकली है और उन्हीं के द्वारा समाज में छोटे-बड़े की भावना प्रसारित हुई है, न जाने कितने वर्षों से छोटे बड़े की भावना वह लाते रहे हैं और आज मौर्य जी के सिर पर...

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं यह बहुत ज्यादा वैयक्तिक बात हो रही है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---मैं उसका बहुत कटु शब्दों में विरोध करता हूं और उनकी इस भावना का विरोध करता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने आक्षेप किया है। मैं यह समझता हूं कि ऐसा किसी माननीय सदस्य के लिये उचित न था। एक संशोधन के रूप में जो मैंने बात रखी और वह समझ करके रखी कि जो परामर्शदात्री समिति होगी वह एक काफी ऊंची समिति होगी, और गृह-आयुक्त अगर उससे परामर्श लेता है तो उसको अस्वीकार भी कर सकता है, ऐसा शायद उचित न हो, इसी विचार से मैंने यह रखा। राज्य सरकार द्वारा उससे परामर्श लेने की बात रखी, वैसे व्यवहार में कठिनाई इसमें है और गृह-आयुक्त ही उससे परामर्श लेता रहेगा, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा। लेकिन मैंने किसी ऐसी भावना से यह संशोधन नहीं रखा था जिसका उन्होंने इस प्रकार अर्थ लगाया और मैं समझता हूं कि जो उनके दिल के अन्दर जहर है उसे उन्होंने अपने शब्दों में प्रगट किया है। मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जोरावर वर्मा---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ व ४ में शब्द "परामर्श" और शब्द "समिति" के बीच में शब्द "दात्री" रख दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी में शब्द ऐडवाइजरी कमेटी होगा, मैंने उसको पढ़ा तो नहीं है लेकिन वैसे हिन्दी में उसका यही अनुवाद है। मैं समझता हूं, इसे माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लेंगे।

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, मैं इस फैसले को आप पर छोड़ता हूं। अगर आप समझते हैं कि परामर्श समिति से वह असली मकसद जो इसका है वह हल हो जाता है तो वैसा ही रहने दें और अगर आप समझते हों कि उससे उसमें कमी रह जाती है और यह बढ़ाना जरूरी है तो बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष---वैसे यहां इस सदन की जो ऐसी समिति होती है, उसे हम परामर्शदात्री समिति कहते हैं विधेयक में केवल परामर्श समिति कहने से कोई अर्थ बिगड़ता नहीं है क्योंकि इन शब्दों से जो अर्थ आप लगाना चाहें वही लगाया जा सकता है। दूसरा अर्थ नहीं लग सकता है। तो परामर्शदात्री शब्द चूंकि यहां प्रयुक्त होता है और ज्यादा अच्छा वही होगा जो हम लोग इस सदन में लिखते हैं इसलिये परामर्शदात्री समिति विधेयक में भी रखा जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं प्रश्न रखे देता हूं:

"प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ व ४ में शब्द "परामर्श" और शब्द "समिति" के बीच में शब्द "दात्री" रख दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ में शब्द "कर सकती है" के स्थान पर शब्द "करेगी" रख दिया जाय।

श्रीमन्, यह तो जब पिछला हमारा संशोधन आया था तो माननीय मंत्री जी को इस पर आपत्ति नहीं थी कि कर सकती है या करेगी, इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। तो मैं समझता हू कि माननीय मंत्री जी इसको मंजूर करेंगे हालांकि उन्होंने तो एक आदत सी बना रखी है कि कोई संशोधन मानने को तैयार नहीं हैं। अभी-अभी एक संशोधन जो मानने लायक था उसे भी माननीय मंत्री जी ने नहीं माना बल्कि उसे आपके ऊपर छोड़ दिया। तो मैं कहता हूं कि एक-आध संशोधन तो वह मानें। यह तो बहुत सीधा-सादा संशोधन है। हंस रहे हैं माननीय मंत्री जी, मैं समझता हूं वह इसको मंजूर करेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अगर जगन्नाथ मल्ल जी को कानून से वाकफियत होती कि कानून के शब्द कैसे होते हैं तो शायद यह संशोधन उपस्थित न करते। हमेशा कानून में "मे अप्वाइंट", "मे" शब्द आता है और उसका हमेशा यह अर्थ निकलता है कि यह काम किया जायगा। यह नहीं कि "शैल" "करेगी" यह रखा जाय। "मे" से काम चल जाता है, उसका हमेशा वही अर्थ निकलता है जो वह चाहते हैं। इसलिये "कर सकती है" इसका यही मतलब है कि गवर्नमेंट ऐसा करगी। लकिन यह नहीं कि "गवर्नमेंट करेगी" "शैल अप्वाइन्ट"। यह नहीं हुआ करता। इसलिये कानून के शब्दों में जो उचित है, वह वैसे रहना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि संशोधन अस्वीकार किया जाय।

श्री नवल किशोर—अध्यक्ष महोदय, यह जो मल्ल जी ने संशोधन पेश किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। मौर्य जी ने इसमें कानून की बात बतायी इसको मानते हुये भी कि कानून में "मे" और शैल" का इन्टरप्रिटेशन एक होता है। मैं यह जानता हूं कि जहां कानून में "मे" आता है वहां "शैल" भी आता है। कोई ऐसी पाबन्दी नहीं है। मैं इसलिये इसके पक्ष में हूं कि एक आशंका बहुत से साथियों को यह थी कि हम हाउसिंग कमिश्नर को बहुत सी पावर्स दे रहे हैं। तो मेरा यह ख्याल है कि ऐडवाइजरी कमेटी की नियुक्ति का इसके अन्दर जो प्रावीजन है वह इस वजह से भी है कि यह ऐडवाइजरी कमेटी एक महत्वपूर्ण कमेटी होगी। इसके पास शक्ति भी काफी होगी और इसके द्वारा कुछ गृह-आयुक्त शक्ति के ऊपर चेक भी हो सकता है। तो यदि "मे" के मानी "शैल" के होते भी हों, तब भी मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट के ऊपर आब्लीगेटरी होना चाहिये। मुझे आशंका है कि कोई स्थिति ऐसी गवर्नमेंट के सामने आ जाय कि उसमें "कर सकती है" के अर्थ में ऐडवाइजरी कमेटी की नियुक्ति न करे, तो अगर सरकार की यह इच्छा और नीति है कि ऐडवाइजरी कमेटी बननी चाहिये तो मैं समझता हूं कि "कर सकती है" के स्थान पर "करेगी" शब्द अधिक उपयुक्त है और मुझे आशा है कि इसको माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जगन्नाथ मल्ल और नवल किशोर जी ने जो संशोधन रखा है, समर्थन किया है, मैं इन दोनों सज्जनों का विरोध करता हूं। पहले तो हमें यह देखना है कि हमारा संविधान किस प्रकार का है। वहां भी "मे" शब्द का प्रयोग किया गया है तो हमारे जनतंत्र राज्य में कोई विधान ऐसा नहीं होना चाहिये कि उसको ऐसा बना दिया जाय कि यह अवश्य ही करना होगा और यदि ऐसा ही कर दिया जाता है तो हमारे दूसरे नियमों के विरुद्ध होता है। जितने भी हमारे विधान और कानून हैं, आप किसी को भी उठा कर देखिये, उसमें किसी बात की यह पाबन्दी नहीं कि यह लाजमी होगा। स्थिति अलग-अलग हुआ करती है। समिति बनायी जा सकती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जहां आवश्यकता न हो, वहां भी बना दी जाय। लेकिन जिस प्रकार से मेरे मित्र ने कहा कि "कर सकती है" का तात्पर्य यह है कि जैसे विधान और कानून हमको इजाजत देता है वैसे करना पड़ता है। परन्तु यह शब्द "कर सकती है" के स्थान पर "करेगी" इसका यह अर्थ हुआ कि यदि उस बात की आवश्यकता न हो, तो भी की जाय। मैं इसको अत्यन्त अनुचित समझता हूं "करेगी" नहीं होना चाहिये और यह "कर सकती है" अपने स्थान पर बहुत ही उत्तम शब्द और ठीक है।

* **श्री जोरावर वर्मा**—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय श्रीचन्द्रजी के भाषण और दलील को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। आपको संभवतः याद होगा कि जिस समय लखनऊ युनिवर्सिटी बिल इस सदन के सामने पेश था तो उसमें भी इसी प्रकार का एक शब्द निरीक्षण के सम्बन्ध में था कि "दि वाइस चांसलर मे डू" लेकिन उस समय मेरा ही संशोधन था जिसे माननीय गुप्त जी ने स्वीकार किया था कि 'may' की जगह 'shall' रख दिया जाय और इसी सदन ने स्वीकार किया था। तो अंग्रेजी में इस शब्द का चाहे जो कुछ अर्थ होता रह लेकिन हिन्दी में जनता उसका क्या अर्थ लगायेगी इसके ऊपर भी विचार करना है। "कर सकती है" का अर्थ यही होगा कि करे या न करे। माननीय श्रीचन्द्र जी ने जो यह कहा कि अगर "करेगी" रख दिया जाय तो सरकार के लिये बन्धन हो जायगा कि वह अवश्य करे, तो यह तो ठीक ही है कि उसे करना पड़ेगा, लेकिन मालूम पड़ता है कि उन्होंने इस धारा को ठीक से पढ़ा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसमें साफ लिखा हुआ है कि उन मामलों में परामर्श के हेतु जिन्हें राज्य सरकार अथवा गृह आयुक्त उसके लिये अभिदिष्ट करें, परामर्श समिति संगठित कर सकती है। तो सिर्फ उन्हीं मामलों में यह कमेटी बनेगी। तो अगर "कर सकती है" रहेगा तो यह तो उसकी इच्छा पर निर्भर रहेगा कि अभिदिष्ट करे या न करे। इसलिये मैं समझता हूं कि हिन्दी के शब्द साफ भाषा में आ जायं तो अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि अब हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है और कम से कम इस सदन ने तो उसे स्वीकार कर ही लिया है। जो मल्ल जी का संशोधन है वह हिन्दी का संशोधन है और अंग्रेजी का वही अर्थ होता है जैसा कि आपने मेरे पहले संशोधन के बारे में कहा कि भले ही उसका मतलब निकल जाता हो, लेकिन कर्णकटु मालूम होता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जो मल्ल जी का संशोधन है उसे स्वीकार करने की कृपा करें।

* **श्री रामेश्वर लाल**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर से माननीय मौर्य जी और माननीय श्रीचन्द्र जी के भाषण को सुना। मौर्य जी ने जो तर्क दिया वह यह था कि कानून में "कर सकती है" ऐसा रहा करता है। और उन्होंने यह भी कहा कि माननीय मल्ल जी को अगर कानून की जानकारी होती तो शायद इस तरह का संशोधन वह नहीं प्रस्तुत करते। मैं श्रीमन्, माननीय मौर्य जी की सेवा में निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस विधेयक के खंड जिसमें माननीय मल्ल जी ने संशोधन प्रस्तुत किया है उसका उपखंड (३) देखें। उसमें है 'परामर्श समिति के सभापति की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी।' अगर माननीय मौर्यजी का यह तर्क मान लिया जाय तो माननीय मंत्री जी को यह उपखंड इस तरह से उपस्थित करना चाहिये था "परामर्श समिति के सभापति की नियुक्ति राज्य सरकार कर सकती है।" मैं सिर्फ माननीय मौर्य जी से यह बताना चाहता हूं कि क्या उनकी सलाह हमारे लिये और माननीय मल्ल जी के लिये है। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी कानून के पंडित हैं और माननीय मौर्य जी भी कानून के पंडित हैं लेकिन वह उस कानून के पंडित हैं जो अंग्रेजों के जमाने के थे। अब जमाना बदल गया है। आज की परिस्थिति को माननीय मौर्य जी को देखना चाहिये और किसी चीज की जानकारी और पांडित्य हासिल करने के बाद ही ऐसा आक्षेप करना चाहिये जैसा कि उन्होंने किया है। मैं और भी बहुत से उदाहरण दे सकता हूं—इसी विधेयक के खंड ३ को, जो पास हो चुका है उसका उपखंड (१) देखें। उसके अन्त में लिखा है "निर्मित गृहों पर प्रवृत्त होगा।" क्यों नहीं है "हो सकता है।" जहां सरकार को अधिकार लेने की बात है वहां 'होगा' है यानी निश्चयात्मक दशा में है और जहां सरकार को कोई काम नहीं करना है, जिसके बारे में प्रांत की जनता को धोखे में डालना है वहां 'कर सकती है' रखा गया है। मैं तो यह समझता हूं कि माननीय मौर्य जी ने माननीय जगन्नाथ मल्ल जी के संशोधन का इसलिये विरोध किया क्योंकि माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने चार ऐसे संशोधनों का, जिन्हें माननीय मौर्य जी ने पेश किया था। विरोध किया था। लेकिन मैं माननीय मौर्यजी से कहना चाहता हूं कि वह यह न समझें कि चूंकि वह पांडित्य हासिल कर चुके हैं इसलिये वह जो लिख देंगे कानून के बारे में वह सही ही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं इन शब्दों के साथ माननीय जगन्नाथ मल्ल जी के संशोधन का समर्थन करते हुये निवेदन करूंगा कि यह एक छोटी सी परामर्शदात्री समिति का सवाल है, जिसमें न कार्यालय की बात है और न अधिकार की ही बात है। जो बात आयुक्त फिर करेगा उसी को वह देखेगी इसके लिये यह निश्चयात्मक होना चाहिये कि सरकार परामर्शदात्री समिति बनायेगी। मैं आप से निवेदन करूंगा कि इस खंड ८ में आदमियों ने इस प्रकार का संशोधन पेश किया है जिनमें दो उनकी ओर के हैं और ५३ हमारी ओर के हैं इसलिये माननीय मंत्री जी इसको ध्यान में रखते हुये इसे स्वीकार करेंगे और अपने पांडित्य का परिचय देंगे और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं।

श्री व्रजबिहारी मिश्र--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विवाद सदन में उपस्थित हो गया है बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मौर्य जी ने बड़े कड़े शब्दों में इसका विरोध किया है और उन्होंने यह कहा कि कानून में "मे" शब्द का ज्यादा प्रयोग किया जाता है और "शैल" का कम। मुझे आश्चर्य हुआ उनकी दलील सुनकर। मा० मल्ल जी को अक्सर शिकायत रहती है कि इस पक्ष के लोग उनकी बात नहीं मानते हैं और उनका समर्थन नहीं करते हैं। मैं उनके इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि "कर सकती है" के स्थान पर "करेगी" ज्यादा उपयुक्त होगा। यह जो परामर्शदात्री समिति बनाई जा रही है। उसके लिये यदि हम विधेयक में "कर सकती है" रख देंगे तो यह बिलकुल "औपशनल" रहेगा राज्य सरकार की इच्छा पर रहेगा वह करे या न करे, यह "औब्लीगेटरी" नहीं होगा। इसलिये जब तक "करेगी" नहीं रखा जायगा तब तक ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, अवश्य इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। इससे मल्ल जी भी प्रसन्न हो जायेंगे और कार्य भी अच्छा हो जायगा।

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, जहां तक अंग्रेजी लफ्ज का ताल्लुक है "मे" और "शैल" का तो इसके मुताल्लिक बहुत से फैसले हैं यहां से लेकर इंग्लिस्तान तक की अदालतों ने फैसले किये हैं कि बाज जगह "मे" "शैल" होता है और बाज जगह परमीसिबिल होता है। जब गवर्नमेंट के लिये लिखा जायगा तो माने यही होंगे कि आम तौर से करेगी जब तक कि कोई खास बात न हो। लेकिन जहां तक इक्वीलेंट का ताल्लुक है कर सकेगी, करेगी, कर सकती है, इनके बारे में नहीं बतला सकता कि अदालत में क्या माने लगाये जायेंगे इस सिलसिले में यह अर्ज करूंगा कि इसी सदन में एक कानून करीब-करीब इसी तरह का पास हो चुका है और उसमें शायद ऐडवाइजरी कमेटी का प्रावीजन है :

The State Government may, by notification in the official *Gazette* constitute an Advisory Committee.

यानी यह कि ऐसी ऐडवाइजरी कमेटी प्रांतीय सरकार बना सकती है या बनाये। यह दो लफ्ज हो सकते हैं। मुझे मालूम नहीं कि इसका जो तर्जुमा किया गया वह किस लफ्ज में किया गया है। उसका नाम है, यू० पी० शुगर एन्ड पावर अलकोहल इंडस्ट्रियल लोवर ऐन्ड डेवलपमेंट फंड ऐक्ट, १९५०। अगर इसका तर्जुमा "करेगी" किया गया है तो यहां पर भी यह हो जाय तो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन अगर इसका तर्जुमा "करेगी" किया गया तो यह भी तर्जुमा वहां पर रहना नहीं चाहिये क्योंकि अंग्रेजी में यहां पर मुनासिब जो लफ्ज है वह "मे" रहता है। और यह उसके लिये मुनासिब लफ्ज है। "शैल" यहां पर मुनासिब नहीं होगा। "शैल" लफ्ज तो यहां पर दफा ४ में कि स्टेट गवर्नमेंट अप्वाइन्ट करेगी यहां पर "शैल अप्वाइन्ट" लफ्ज रख दें तो वह ठीक नहीं माना जायगा। इस तरह की चीजों के लिये तो "मे" शब्द ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके मायने यह हैं कि गवर्नमेंट उस काम को करती है। कमेटी भी बनाती है और उससे वह एडवाइस लेती है। हो सकता है कि यह ख्याल रखा गया हो कि अगर ऐसे हालात हो जायं कि वह किसी वजह से उसको मुल्तवी कर दे और इस तरह की मसलहत न समझे तो इस तरह का अख्तयार गवर्नमेंट को हमेशा रहेगा। लेकिन आमतौर पर इस तरह से गवर्नमेंट को यह अख्तयार नहीं है। इसके मायने यह हैं कि गवर्नमेंट इन अख्तयारात

[श्री सैयद अली जहीर]

को सही तौर पर जिस तरीके से ऐक्ट के अन्दर लिख दिया गया है, उस तरह से ही इस्तेमाल करेगी। ५ वर्ष हुये जब यह कानून पास हुआ है। उसमें लफ्ज "मे" आया है कि वह एडवाइजरी कमेटी बना सकती है। तो वह कमेटी बनी हुई है और उससे सलाह ली जाती है। वही सूरत इस ऐक्ट की भी होगी। लिहाजा इन लफ्जों की ऐसी कोई बात नहीं है।

जहां तक अंदेशे की बात है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी तो यह नहीं होना चाहिये, सरकार तो उसके ऊपर जरूर अमल करेगी। इसमें लफ्ज "मे" के रहने से कोई फर्क उसमें नहीं आता है। मैं तो यह समझता हूं कि "कैन" और "मे" का फर्क जो है वह "कर सकने" में नहीं आता है बल्कि दोनों में उसका इस्तेमाल होता है "कर सकने" और "कर सकेगी"। उसका मतलब "करेगी" से साफ तौर पर जाहिर नहीं होता है। "शैल" का मतलब तो माना गया है कि वह काम जरूर करेगी। लिहाजा मेरे ख्याल से "मे" अंग्रेजी में जो आता है उसके मायने "करेगी" या "कर सकेगी" जो कुछ भी निकले पर रहना "मे" ही चाहिये। इनका डिफरेंस बहुत ही बारीक है। इस हिन्दी के लफ्ज के ऊपर कानूनी बहस तो नहीं हुयी है। इसलिये कोई अथारिटी नहीं है। इसलिये यह कह देना कि हिन्दी में कौन सा लफ्ज ठीक रहेगा और कौन इस ख्याल को जाहिर करेगा यह मुश्किल है। लेकिन मैं इतना अर्ज जरूर करूंगा कि हिन्दी में जो "मे" का ट्रांसलेशन "कर सकता है" यहां इस बिल में होकर आया है उसको उसी तरह से रहने दिया जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मेरे संशोधन का विरोध करते हुये माननीय मौर्य जी ने यह कहा कि मुझे कोई कानून से वास्ता नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि वह वकील हैं। मैं न वकील हूं और न वकालत करता हूं लेकिन एक बात जरूर सदन के सामने कह देना चाहता हूं कि जो ४ संशोधन माननीय मौर्य जी ने अभी पहले किये थे और हमारा यह संशोधन किसी हाईकोर्ट के जज के पास भेज दिया जाय और वहां से यह निर्णय मंगाया जाय कि किस का संशोधन कानून के खिलाफ है। मैं यह चाहूंगा कि माननीय मौर्य जी और हम आपस में निर्णय कर के किसी के पास भेज दें और मालूम करें कि किस का संशोधन कानून के खिलाफ है, मेरा या उनका। इस सदन में भी बहुत से लाग्रेजुएट्स हैं.....

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करता हूं कि इस सदन के किसी भी आनरेबिल मेम्बर की किसी बात को हाईकोर्ट चेलेंज नहीं कर सकता। जगन्नाथ मल्ल जी ने जो कहा है वह अनुचित है।

श्री अध्यक्ष—यह वैधानिक प्रश्न है।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—प्वाइन्ट आफ आर्डर, श्री शिवनारायण जी ने अभी खाली जगन्नाथ बख्श कह दिया, कम से कम वह यहां नाम तो ठीक से लिया करें।

श्री शिवनारायण—मैंने जगन्नाथ बख्श नहीं कहा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—अध्यक्ष महोदय, इन बातों के बारे में क्या कहूं। मैं यह कह रहा था कि हम और मौर्य जी किसी जज के यहां चलें और उससे निर्णय करावें कि उनका संशोधन कानून के विरुद्ध था या मेरा। मंत्री जी "मे" और "शैल" के हिसाब में इंगलैन्ड तक की बात बता गये लेकिन जहां तक हमारी छोटी बुद्धि में आता है "कर सकती है" का मतलब है कि सरकार चाहे तो करे और चाहे न करे। हमारी मन्शा संशोधन से यह है कि सरकार अवश्य करे। श्री चन्द्र जी ने कहा कि सिद्धांततः यह सही है और "कर सकती है" ही ठीक है, उनको इसी में सिद्धांत दिखाई देता है कि पावर को एक जगह सेंट्रलाइज कर दिया जाय, सरकार चाहे तो करे सरकार चाहे तो न करे। इस तरह के सिद्धांत उन्हीं को मुबारक रहें और इस प्रकार के सिद्धांत को न तो मैं और न बहुत से कांग्रेसी सदस्य ही मानते हैं जैसे कि बहुत से

उधर वालों ने भी इसका समर्थन किया है। रहा यह कि सरकार कहती है कि इसको मानने का सवाल नहीं है तो मैं चाहता हूं अगर हमारी यह शंका है तो वह शंका हमारी दूर होनी चाहिये, हम यह न समझें कि शायद कभी गवर्नमेंट न बनावे। इसी वजह से हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ में शब्द "कर सकती है" के स्थान पर शब्द "करेगी" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--९
विपक्ष में--८०)

श्री नवल किशोर--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव पेश करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द "संख्या" के बाद अंक व शब्द "७ से अधिक न" के स्थान पर अंक "११" रख दिया जाय।

मान्यवर, मेरी मंशा यह है कि इसमें यह दिया गया है कि इस परामर्शदात्री समिति के सदस्यों की संख्या ७ से अधिक नहीं होगी, मैं समझता हूं कि जब इतना महत्वपूर्ण बिल बनने जा रहा है तो यदि उसमें मजदूरों के रिप्रेजेंटेटिव अधिक रहें तो उचित होगा। हमारे प्रदेश में ५ कबाल टाउनस् हैं और यह जो मजदूरों के मकानों का इंतजाम है यह उन पांचों में होगा ही तो मैं चाहता हूं कि यदि इन कबाल टाउन्स से एक एक प्रतिनिधि भी मजदूरों के लिये जायं तो पांच नुमाइन्दे मजदूरों के हो जाते हैं और जब पांच इस तरह से वे हो जायंगे तो यह संख्या बजाय ७ के ११ होनी ही चाहिये। मैं समझता हूं कि यह बहुत छोटा सा और इन्नोसेंट अमेंडमेन्ट है और मन्त्री जी इसको अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री कैलाश प्रकाश--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को भी स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं। यह जो परामर्शदात्री समिति बन रही है उसकी सदस्य संख्या ७ रखी गयी है वह उपयुक्त है क्योंकि विधेयक के अन्तर्गत जो कार्य समिति को करने हैं उनके लिये ७ की संख्या काफी है। यों तो बढ़ा देने के लिये चाहें संख्या कितनी भी कर दी जाय किन्तु उसके निश्चित करते समय यह भी देखने की आवश्यकता होती है कि वह ऐसी हो कि कार्य ठीक से पूरे हो सकें। यही कारण है कि यह ७ की संख्या नियत की गई है और यही कारण है कि मैं समझता हूं कि ११ की संख्या अधिक है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, जो प्रस्तावित संशोधन है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब कोई परामर्शदात्री समिति बन रही है तो यह जरूरी है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा राय मिल सके। ज्यादा से ज्यादा जब लोग रहेंगे तो ज्यादा अच्छी राय आ सकेगी। मैं नहीं समझता हूं कि अपने मेम्बरों के संशोधनों को यह सरकार क्यों नहीं मानती। हम लोगों का तो विरोध करती ही रहती है। यदि हम अच्छी बात भी कहें तो उसको बुरी लगती है। लेकिन माननीय नवल किशोर जी ने जो संशोधन रक्खा है बहुत अच्छा संशोधन है। मैं समझता था कि माननीय मंत्री जी इसे मान लेंगे लेकिन. दुख है कि उन्होंने उसे भी नहीं माना। मैं तो नवल किशोर जी से कहूंगा--हालांकि डर है कि कहीं वे अपने संशोधन को वापस न लें लें--कि वे इसे वापस न लें और कोशिश इस बात की करें कि यह जो संशोधन है सदन इसको मान ले।

श्री शिवनारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो ११ सदस्यों का संशोधन मेरे भाई नवल किशोर जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। क्योंकि ५ कबाल

[श्री शिवनारायण]

टाउन्स हैं। एक-एक रिप्रेजेंटेटिव अगर हर टाउन से मजदूरों का हुआ तो ५ प्रतिनिधि मजदूरों के ही हो जायेंगे जो कि अपनी दिक्कत व मुसीबतों को कमेटी में रख सकेंगे। फिर कुछ मेम्बर सरकार के और कुछ मिल मालिकों के भी होंगे। ७ मेम्बर रखने पर यह चीज नहीं हो सकती। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि ७ के बजाय ११ मेम्बर रक्खे जायं ताकि कम से कम ५ मेम्बर मजदूरों के हो जायं। इसके बाद सरकार जिसे चाहे रक्खे। हर टाउन का सदस्य अपने यहां की मुसीबत को ठीक ढंग से तो रख सकेगा। लिहाजा सरकार इस संशोधन को मान ले।

श्री व्रजविहारी मिश्र--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक संशोधन दे रक्खा है जो श्रीमान् को मिल गया होगा। इसी उद्देश्य से वह संशोधन भी प्रस्तुत किया गया है। मैं इस संशोधन का जो श्री नवल किशोर जी ने प्रस्तुत किया है समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और उसका कारण वही है जो माननीय नवल किशोर जी ने दिया है। इस विधेयक के खंड ८ के उपखंड (२) के प्रतिबन्ध में यह लिखा है "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि परामर्श समिति में कम से कम एक सदस्य औद्योगिक श्रमिकों का तथा एक नियोजकों का प्रतिनिधि अवश्य होगा।" मैं इस सिद्धान्त से सहमत नहीं हूं कि श्रमिकों का एक ही प्रतिनिधि हो और एक ही एम्पलायर का भी। मैं तो यह चाहता हूं कि श्रमिकों के जिनके लिये यह विधेयक बनाया जा रहा है प्रतिनिधि परामर्शदात्री समिति में अवश्य अधिक होने चाहिये। मेरा सुझाव है कि एक के स्थान पर ३ अवश्य कर दिये जायें। एम्प्लायर्स से उनके प्रतिनिधि अधिक अवश्य होने चाहिये। यह तभी सम्भव हो सकता है जब उस संख्या को बढ़ाया जाय। ७ ही अगर संख्या रही तो यह प्रतिबन्ध लागू हो जायगा। इस संख्या को बढ़ा कर ११ कर दी जाय और श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संख्या अवश्य बढ़ायी जावे। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)--अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय नवल किशोर जी ने रक्खा है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं और सदन का समय ज्यादा न लेकर केवल इतना कहना चाहता हूं जिन-जिन नगरों में ये क्वार्टर्स बनेंगे मजदूरों के लिये, वहां के मजदूरों और एम्प्लायर्स का पूरा प्रतिनिधित्व हो सके इसलिये आवश्यक है कि परामर्शदात्री समिति में संख्या ११ ही रहे।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो संशोधन नवल किशोर जी ने रक्खा है उसका समर्थन हमारे जगन्नाथ मल्ल जी ने किया लेकिन इसके नीचे आप देखें जगन्नाथ मल्ल जी कहते हैं कि ७ से अधिक न हो। तो मैं यह देख रहा हूं कि कुछ विरोध के लिए विरोध, और कुछ इससे मतलब नहीं है कि क्या इससे मजदूरों का हित है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि वह अभी पेश नहीं हुआ है। उसके ऊपर आप टीका नहीं कर सकते।

श्री जगन्नाथ मल्ल--मैंने जो.....

श्री अध्यक्ष--मैंने तो निर्णय दे दिया।

श्री जगन्नाथ मल्ल--जरा गलतफहमी उनको रही है। मेरे संशोधन में तो यह है कि "अधिक" निकाल दिया जाय।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी--"अधिक" निकाल दिया जाय तो सात ही रह जायंगे। तो वैसे यह कार्य बड़े महत्व का है। उन्होंने केवल कबाल टाउन्स ही बताये हैं लेकिन मैं याद दिलाऊंगा कबाल टाउन्स ही नहीं इससे अधिक जगहों में और जहां तक मेरा ख्याल है दस या ग्यारह शहरों में इस तरह के मकान बनाये जा रहे हैं। तो अगर आप यह कहें कि पांच आदमी रखे जायं या ग्यारह आदमी रखे जायं या सात आदमी रखे जायं, यह सवाल नहीं है।

सवाल तो सिर्फ यह है कि उस कमेटी में किसी तरीके का प्रतिनिधित्व हो। मिल मालिकों का काम उस कमेटी में केवल किराया वसूल करके देना है और कोई सम्बन्ध उनका उस कमेटी से नहीं होगा। उनको गृह-आयुक्त जो लिखेंगे कि इस मजदूर के वेतन से इतना काट करके भेज दो, वह काट कर भेज देंगे। इसलिए उनका एक-आध रिप्रेजेंटेटिव रहे, वह देखता रहे। हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन वास्तव में अधिक संख्या इसमें मजदूरों की होनी चाहिए। मैं तो यह समझ रहा था कि अगर यह संशोधन इस ख्याल से रखा जाता कि जिस शहर में मकान बनाये जा रहे हों वहां का कम से कम एक प्रतिनिधि मजदूरों का हो तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर यह नहीं है तो फिर मैं चाहूंगा कि यदि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लें, तो वह सात को इसमें रख लें, क्योंकि उप-मंत्री जी ने कह दिया है और वह वापस कर लें तो हर शहर में वहीं के स्थानीय परामर्शदात्री समिति बना दें ताकि वह सलाह देती रहे गृह-आयुक्त को। उससे लाभ यह होगा कि अभी थोड़ी देर में बातें होगी कि किस संस्था का हो या कौन संस्था का आये और यह डर है कि आई० एन० टी० यू० सी० को गाली सुनने को न मिले। इस वजह से इससे बचने के लिए यदि इस तरह की बात स्वीकार कर ली जाय एक स्थानीय समिति हो और एक केन्द्रीय हो, केन्द्रीय समिति में सात सदस्य हो जायं। पर सात में एक बात का ध्यान रहे। एक तो आपने गृह-आयुक्त को दे दिया। फिर ६ आदमी जो रह जाते हैं उनमें कम से कम दो सरकार के हों, दो मिल मालिकों के हों और दो मजदूरों के हों। उसमें यह न हो कि एक ही दे दें और दूसरे लोगों को बिठा दें। तो इस संशोधन का समर्थन करते हुए मैं जो सुझाव दे रहा हूं मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन का, जो नवल किशोर जी ने प्रस्तुत किया है, समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इसमें कहा गया है कि सात की संख्या जो परामर्शदात्री समिति की है उसकी जगह ग्यारह कर दी जाय। श्रीमन्, माननीय उप-मंत्री जी ने इसके विरोध में जो दलील दी है इस सदन में वह तो ऐसी दलील है जो अमान्य है। उन्होंने कहा है कि अधिक आदमी जहां रहते हैं वहां फैसला जल्दी नहीं होता। मैं बड़ा अचंम्भित हुआ। शब्द चाहे दूसरे रहे हों लेकिन तर्क यही था। यह हाउस कम सदस्यों का था और अब ४३१ हो गये और मंत्रि मंडल श्रीमन्, बढ़ता चला जा रहा है। पता नहीं कब तक कितना बढ़ेगा। केन्द्र में तीन-चार सलाहकार होते थे उनकी जगह पर अब ४८ हो गये। तो यह कहना कि जहां ज्यादा आदमी होते हैं वहां जल्दी फैसला नहीं होता यह कोई दलील नहीं है। मैं तो समझता हूं कि जहां ज्यादा शक्ति लोगों के हाथ में सुपुर्द करने की बात है वहां पर तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए और आयुक्त के हाथ में इतनी शक्ति दी जाय और उसमें इतने थोड़े प्रतिनिधि रहें यह बात ठीक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि आयें। जहां दो-ढाई लाख मजदूर हमारे प्रदेश में बसते हैं, उन मजदूरों का प्रतिनिधि परामर्शदात्री समिति में एक आये और उनकी बात मेरा ख्याल है कि सुनी नहीं जायगी। मैं आपके जरिये से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को वे स्वीकार करें और इसलिये स्वीकार करें कि मजदूरों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके।

श्री नवलकिशोर—अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन मैंने पेश किया है उससे मेरा मंशा सिर्फ यही था कि चूंकि मकान मजदूरों के लिए है और उन्हीं को इस बात का अंदाजा होगा कि क्या कठिनाइयां हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं तो अगर उनका प्रतिनिधित्व उसमें काफी संख्या में हो तभी ऐडवाइजरी कमेटी में उनकी आवाज कुछ एफेक्टिव हो सकेगी। वहां अगर उनका एक ही नुमाइन्दा हुआ तो उनका नुमाइन्दा होना और न होना एकसा है। मुझे खुशी है कि माननीय अवस्थी जी ने मेरे संशोधन का समर्थन किया लेकिन उनके दृष्टिकोण से कि या तो २१ शहरों में २१ आदमी उनके नुमाइन्दे हों, अगर न हों तो दो ही रह जायें,

[श्री नवलकिशोर]

मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैंने पांच की बात इसमें इसलिये कही थी कि चूंकि ५ कबाल टाउन्स हैं और मकानों की जितनी संख्या इन टाउन्स में होगी उतनी और संख्या दूसरे शहरों में नहीं होगी इसलिये मैं यह चाहता था कि कम से कम इन ५ शहरों का तो प्रनितिधित्व हो जाय। माननीय उपमंत्री जी ने जो तर्क दिया, मान्यवर, उसमें मुझे जान दिखाई नहीं पड़ी। वह मेरे बड़े मित्र हैं मगर मुझे बड़ा खेद है और मैं कहना नहीं चाहता था कि मुझे उनके तर्क को सुनकर ऐसा मालूम पड़ा कि यह उनकी जिद की सी बात है कि जो ड्राफ्ट आ गया है उसमें कोई शब्द भी वह परिवर्तन करना नहीं चाहते। कोई सिद्धांत की बात इसमें नहीं है। हम जो एडवाइजरी कमेटी बनाते हैं उसमें काफी तादाद मेम्बरों की होती है, उसमें १४, २१ और २५ तक मेम्बर होते हैं इसके अलावा ७ कोई ऐसा सेक्रेड अंक नहीं है कि उससे कम या बढ़ती नहीं हो सकते। लेकिन अगर उनको कोई कठिनाई थी या है तो मैं नहीं जानता। मेरा तो अब भी यही मत है कि इसकी संख्या ११ उचित है और कम से कम ५ नुमाइन्दे मजदूरों के इसमें अवश्य होने चाहिये।

श्री सैयद अलीजहीर—अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा ७ की तादाद में कोई खास खूबी नहीं है, सेक्रेसेंट जिसे कहते हैं, इसमें वह नहीं है। एक तादाद मुकर्रर कर दी गई और यह सोचा गया कि इसमें सबकी नुमाइन्दगी हो जायगी। कोई भी तादाद रखी जाती उसमें बहस हो सकती थी कि इसमें तादाद ज्यादा होना चाहिये या कम होना चाहियें। बहरहाल मालूम यह होता है कि हाउस यह चाहता है कि कुछ तादाद इसकी बढ़ा दी जाय। वैसे तो उपमंत्री जी कह चुके हैं कि कोई वजह नहीं है लेकिन चूंकि आम तौर से ख्वाहिश है और यह भी एतराज किया गया कि गवर्नमेंट कोई चीज मंजूर नहीं करती इसलिये मैं ९ की तादाद मान लेने को तैयार हूं और अगर आप लोग इस पर राजी हों तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री नवलकिशोर—अध्यक्ष महोदय, यह मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—मैं इसे संशोधित रूप में ही रक्खे देता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द "संख्या" के बाद अंक व शब्द "७ से अधिक न" के स्थान पर अंक "९" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि जिसमें मैंने संशोधन रक्खा है उस खंड में संशोधन हो गया है इसलिये मैं आपकी आज्ञा से इसको इस संशोधन के अनुसार पेश करूंगा। आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (२) के प्रतिबन्ध को निम्नरूप में रख दिया जाय:—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि परामर्शदात्री समिति में कम से कम ५ सदस्य असरकारी होंगे जिनमें से ३ सदस्य श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा १ उनके नियोजकों का (employers) प्रतिनिधि होगा।"

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन जो है वह सरकार के ऊपर यह बंधन लगाता है कि जो ९ सदस्य होंगे उसमें कम से कम ५ सदस्य ऐसे हैं जो असरकारी होंगे। प्रायः देखा गया है कि इस प्रकार की जो समितियां बनती हैं उसमें सरकारी कर्मचारी बहुमत में हो जाते हैं इसलिये जो पब्लिक का प्वाइन्ट आफ व्यू होता है वह उसमें न के बराबर होता है और कभी अगर ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि वोट से निर्णय हो तो उस समय में वह अल्पमत में हो जाते हैं। मैंने जो श्रमिकों के ३ प्रतिनिधि रक्खे हैं और इस संशोधन में केवल एकही प्रतिनिधि के लिये व्यवस्था है तो मैं चाहता हूं कम से कम ३ प्रतिनिधि हों क्योंकि मजदूरों के संगठन के जितने प्रतिनिधि

होंगें तो यह हमारे सूबे में भी और सब जगह बहुत कुछ ऐसा है, पार्टी बन्दियां हैं तो अधिक सदस्य होने से यह हो सकता है कि कई पार्टियों के प्रतिनिधि उसमें आ सकेंगे और अपना-अपना प्वाइन्ट आफ व्यू रख सकेंगे। इसलिये मेरा यह सुझाव बहुत छोटा सा है, इसमें अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री कैलाशप्रकाश—अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया है मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी तक जो प्रतिबन्ध है उसमें यह दिया हुआ है कि इस समिति में कम से कम १ सदस्य श्रमिकों का और १ एम्प्लायर्स का रहेगा। अब यहां ७ की संख्या बढ़ाकर ९ कर दी गयी है। माननीय सदस्य ने जब संशोधन पेश किया था उस समय यह इच्छा प्रकट की थी कि हमारे प्रदेश में ५ बड़े बड़े नगर हैं उनके प्रतिनिधि तो आ ही जायं। एक ओर चाहा जाता है कि प्रतिनिधित्व क्षेत्रों का हो। दूसरी ओर जो यह संशोधन है इसके द्वारा यह चाहा जाता है कि प्रतिनिधित्व वर्गों का हो। अब इस तरीके की इच्छायें हैं, मैं यह समझता हूं कि इस परिस्थिति में यह मुनासिब रहेगा कि जो प्रतिबन्ध दिया हुआ है कि कम से कम १ मजदूर का और १ एम्प्लायर्स का प्रतिनिधि हो, शेष जो और सदस्य हों उनकी नियुक्ति करने की कोई पाबन्दी रखना उचित नहीं होगा। जहां भी जिस तरीके की आवश्यकता होगी उसके अनुसार इस समिति को नियुक्त कर दिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैं जोरावर वर्मा जी के इस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय उपमंत्री जी ने इस संशोधन के स्वीकार कर लेने के बाद कि ९ व्यक्तियों की परामर्शदात्री समिति होगी और उसमें १ ही औद्योगिक श्रमिकों का प्रतिनिधि रहेगा....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप अपना भाषण कल जारी रक्खें।

कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष—मुझे एक सूचना देनी है। आज सवेरे यह सूचना दी गई थी कि पूरक अनुदानों के संबंध में सामान्य विवाद कल होगा। लेकिन फिर से इसके ऊपर विचार किया गया क्योंकि कुछ दलों के कुछ माननीय सदस्य और उनके नेतागण का इस विषय में आक्षेप था कि उन्हें सूचना पहले से नहीं मिली और एक दम से सामान्य विवाद के लिये कल उस पर तैयार होने में उन्हें दिक्कत होगी। तो यह निश्चय हुआ सबकी सलाह से और उसी निश्चय को मैंने भी स्वीकार किया कि कल यही विधेयक जारी रहेगा और यह कल समाप्त हो जायगा, क्योंकि साढ़े तीन दिन इसके लिये समय रक्खा गया था। उस हिसाब से सिर्फ आध घंटा उसमें कम होता है। अभी तक साढ़े ९ घंटे इस पर हो चुके हैं। साढ़े चार घंटे और बाकी हैं। कल चार ही घंटा बहस के लिये मिलता है। तो यह हो सकता है कि सदन अगर चाहे और यह पांच बजे तक खत्म न हुआ तो आधा घंटा और बैठ जाय और इस तरह से कल इसे खत्म करके परसों सामान्य वादविवाद पूरक अनुदानों पर होगा। यह मैं सूचना देना चाहता था।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगलेदिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२० सितम्बर, १९५५

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५ पर)

दोहरी घाट नहर के कार्य में अब तक की गयी प्रगति का विवरण—

१—दोहरी घाट नहर पर Acqueduct का निर्माण—

इस कार्य ऋतु में Arches जो बनने हैं (सितम्बर, १९५५ के अन्त तक)		२५० संख्या
नींव डाली गयी	.. ..	२४७
आर्चेज जो बन गये	.. ..	२३०
सुपरस्ट्रक्चर्स	.. ..	४१७० आर० एफ० टी०
श्रम जो लगी हुयी है	.. ..	लगभग ८०० प्रति दिन

२—मुख्य नहर पर मिट्टी का काम—

मिट्टी का काम जो होना है	.. ..	५०० लाख सी० एफ० टी० पूरे कार्य ऋतु के लिये
मिट्टी का काम जो हो चुका है	.. ..	२००,४३लाख सी० एफ० टी०

३—अन्य पक्के कार्य—

कार्य प्रगति पर है—साईफून	.. ..	१
पुल	.. ..	८

(दूसरे पुलों पर सामान जमा किया जा रहा है)

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३ पर)

देवरिया जिले में ३५ नये नलकूपों के वितरण की सूची

नलकूपों की संख्या--

देवरिया से सलेमपुर जाने वाली सड़क तथा गोरखपुर से भटनी रेलवे लाइन के बीच, भटनी रेलवे स्टेशन के निकट वाले क्षेत्र में।	५
बरहज-सलेमपुर रेलवे लाइन के दोनों तरफ वाले क्षेत्र में	५
कसिया-राम कोला सड़क पर	५
कसिया-तुर्क पट्टी सड़क पर	५
गोरखपुर-कटिहार रेलवे लाइन के दक्षिण और छोटी गंडक नदी के पूर्व वाले क्षेत्र में (अर्थात् मझौली क्षेत्र)।	७
कंचनपुर से पत्थर देवा और उससे आगे जाने वाली सड़क पर छोटी गंडक बिहार की सीमा के बीच वाले क्षेत्र में।	८
योग	३५

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९४ पर)

रोडसाइड लैंड कन्ट्रोल ऐक्ट, १९४५ ई०

१९४५ ई० का ऐक्ट नं० १० की धारा ३ (१) के अधीन विज्ञप्ति

सार्वजनिक निर्माण विभाग

विज्ञप्ति

सं० २६२४ सी/२३ ए०/ १९३ सी/४७ दिनांक लखनऊ, ३० जुलाई, १९५३ ।

इस विभाग की विज्ञप्ति सं० १०३२ सी/२३·१९३सी/४७ तारीख ३१ मई, १९५० का उल्लेख करते हुये जो संयुक्त प्रान्तीय रोडसाइड कंट्रोल ऐक्ट, १९४५ ई० (१९४५ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नम्बर १०), के अन्तर्गत जारी की गयी थी, श्रीमान् गवर्नर महोदय उक्त धारा की उपधारा ४ के अधीन की गयी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् उपधारा ५ (ख) के अधीन घोषणा करते हैं कि संलग्न परिशिष्ट में वर्णित भूमि उक्त ऐक्ट के अभिप्रायों के लिये नियंत्रित क्षेत्र (controlled area) है ।

परिशिष्ट

उन भूमियों का वर्णन जो नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दी गयी हैं निम्नलिखित सड़क की मध्य रेखा के दोनों ओर उससे दो सौ बीस फुट की दूरी पर समानान्तर खींची हुयी सीमा रेखाओं के बीच में स्थित भूमि है ।

क्रम सं०	वर्णन	सड़क की निकटतम लम्बाई	मौजा या रेवेन्यू स्टेट जो पूर्णतः अथवा अंशतः उन क्षेत्रों में सम्मिलित हैं जिन्हें नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया गया	परगना	जिला
१	२	३	४	५	६
१	बलिया बांसडीह सड़क ।	१०.५ मील	१—हारपुर २—परिखा ३—तकारसंद ४—शंकरपुर ५—मझौली ६—तगरौली ७—ग्रामघाट ८—धरौली ९—शाहपुरवा १०—साहोडीह ११—नरायनपुर	बलिया बाँसडीह पी० खरीद	बलिया

क्रम सं०	वर्णन	सड़क की निकटतम लम्बाई	मौजा या रेवेन्यू स्टेट जो पूर्णतः अथवा अंशतः उन क्षेत्रों में सम्मिलित हैं जिन्हें नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया गया	परगना	जिला
१	२	३	४	५	६
			१२—बरसुरा		
			१३—राजपुर		
			१४—सिवरामपुर		
			१५—बागपुजान		
			१६—बांसडीह		
२	बलिया से गाजीपुर को मिलाने वाली सड़क, बलिया जिले में बी० बी० सड़क का हिस्सा और फेंकना तक, जहां यह एल० बी० सड़क को मिलाती है।	१७.५ मील	१—नारायनपुर	गड़हा	
			२—बहोरा		
			३—कोरौताडीह		
			४—भरौली		
			५—कुतुबपुर		
			६—गोविंदपुर		
			७—अमेम		
			८—बिजौरा		
			९—शेरपुर		
			१०—बसन्तपुर		
			११—सुरधी	गड़हा	बलिया
			१२—सरबांपुर		
			१३—लक्ष्मनपुर		
			१४—तातरपुर		
			१५—सिवा		
			१६—बिलरिया		
			१७—बैरिया		
			१८—नरही		
			१९—खमीरपुर		
			२०—रामपुर	कोपाचीत (पूर्व)	
			२१—महरानी		
			२२—मानपुर		
			२३—पिपराखुर्द		
			२४—चिलबारगांव		
			२५—तीखा		
			२६—फेका		
			२७—गरबिन्दपुर		
			२८—पहतीखा		
			२९—एकोनी		
३	एल०बी०रोड (मऊ रसड़ा सेक्शन)	२१ मील ४ फर्लांग	१—रसड़ा	रसड़ा	
			२—सुरुई		
			३—भिखारीपुर		
			४—महतबइया		
			५—कैली पाली		

उत्तर प्रदेश राज्य सभा

क्रम सं०	वर्णन	सड़क की निकटतम लम्बाई	मौजा या रेवेन्यू एस्टेट जो पूर्णतः अथवा अंशतः उन क्षेत्रों में सम्मिलित हैं जिन्हें नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया गया	परगना	जिला
१	२	३	४	५	६
			६—माधोपुर		
			७—नदौली		
			८—गुलौरी		
			९—धरमंगापुर	लखनेसर	
			१०—मुबारकपुर		
			११—रतनपुर		
			१२—डिह तिलोक ठाकुर		
			१३—कोरौत		
			१४—सिकरिया		
			१५—ढोलबान		
			१६—हरहापुर	लखनेसर	बलिया
			१७—मैरस्फीपुर		
			१८—मझौली		
			१९—चकहुसेन		
			२०—दिलशादपुर		
			२१—पहसा		
			२२—मुहिनुद्दीनपुर		
			२३—सरायभरत	शिकारपुर	
			२४—भरसारी	(पश्चिम)	
			२५—मेउरी कलां		
			२६—रसूलपुर		
			२७—जमीलपुर		
			२८—गोधना	मऊनाथ	
			२९—मिसपुर	भंजन	
			३०—कुन्हापुर		
			३१—मेहरी डीह		
			३२—खालिस्तपुर		
			३३—अलीनगर		
			३४—नियामतपुर		
			३५—हसनपुर		
			३६—चन्द्रभानपुर		
			३७—जदुरामपुर		
			३८—खिवजाठनपुर		
			३९—ममीपुर		
			४०—खालसा		
			४१—करियां		
४	एल०बी०रोड (बलिया रसड़ा)	२० मील ४ फर्लांग	१—रसड़ा	पूर्वी रसड़ा	
			२—अमहापाली दखिन		
			३—माधोपुर		

क्रम सं०	वर्णन	सड़क की निकटतम लम्बाई	मौजा या रेवेन्यू स्टेट जो पूर्णतः अथवा अंशतः उन क्षेत्रों में सम्मिलित हैं जिन्हें नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया गया	परगना	जिला
१	२	३	४	५	६
			४—बुधान ५—रेकारा ६—रामनगर ७—गुरगुजपुर ८—नाथपुर ९—रेतीपुर १०—सौरा ११—पंडितपुर १२—बहारपुर १३—चिलकाहर १४—चमरौटी १५—सम्बारोपुर १६—अन्धौती १७—पिजरिया १८—सुखपुर १९—श्याचोर २०—धुनकाहीपुर २१—रामगढ़ २२—एकौनी २३—पुर एकौनी २४—गोविंद पुर मोहल २५—फैफला २६—पहिया २७—कपुरि बलुई २८—घिघलामन २९—बैना ३०—सागरपाली ३१—नसीराबाद ३२—मालदारपुर ३३—जलालपुर ३४—नहैसी ३५—रामपुर ३६—जगदीशपुर ३७—हबतपुर	पूर्वी रसड़ा (फरीदपुर)	बलिया

दामोदरदास अग्रवाल,
सहायक सचिव।

(ह०) एल० डी० भार्गव,
सेक्रेटरी।

उत्तर प्रदेश सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२ पर)

विवरण-पत्र

वर्ष	ऋण	उद्देश्य	अनुदान	उद्देश्य
१९५२–५३	६०,०००रु०	अध्यापकों को वेतन वृद्धि देने हेतु		
			८,१७,७८४ रु०	शिक्षा अनुदान ।
			२१,५२६ रु०	हरिजन कल्याण।
			१,००१ रु०	शिक्षा प्रसार ।
			४,४४० रु०	हरिजन छात्रों की फीस माफी का अनुदान ।
			४,००० रु०	भूतपूर्व राजकीय स्कूलों के भवन निर्माणार्थ।
			१,२१५ रु०	आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालय के लिये ।
			१५० रु०	आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालय की औषधि के लिये।
			७,०८२ रु०	पाश्चात् प्रणाली चिकित्सालय के हेतु ।
			२,१०० रु०	पाश्चात् प्रणाली चिकित्सालय के औषधि के हेतु ।
			७०,००० रु०	सड़कों की मरम्मत के लिये।
		योग	९,२९,२९८ रु०	
१९५३–५४	कोई ऋण नहीं मिला।		१०,३०,५५७ रु०	शिक्षा अनुदान।
			१०,७६१ रु०	हरिजन कल्याण ।
			१,२२६ रु०	शिक्षा प्रसार ।
			४,४४० रु०	हरिजन छात्रों की फीस माफी का अनुदान ।
			२,००० रु०	भूतपूर्व राजकीय स्कूलों के भवन निर्माणार्थ।
			१,२१५ रु०	आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालय के हेतु ।
			१०० रु०	आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालय की औषधि के लिये।
			३,८६० रु०	पाश्चात् प्रणाली चिकित्सालय के हेतु ।
			१,२१५ रु०	पाश्चात् प्रणाली चिकित्सालय के औषधि के हेतु ।
			१६,२०० रु०	सड़कों की मरम्मत के लिये।
		योग	१०,७२,४७४ रु०	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०७ पर)

सूची "क"

सिंचाई की उन योजनाओं का विवरण जो कुमायूं व गढ़वाल इर्रीगेशन डिवीजन ने सन् १९५४–५५ में कार्यान्वित की व जिनका व्यय ६८/ए/२ कैपिटल वर्क्स से किया गया।

क्रम संख्या	नाम सिंचाई योजना	एस्टीमेट का खर्चा	व्यय मार्च ३१, १९५५ तक	
१	अखोडिया सिंचाई स्कीम	३१,७५१	१४,७८५	इस स्कीम में ५३-५४ सन में १,३४५ रु० व्यय हुआ।
२	पिठौनी सिंचाई स्कीम	११,९६६	७,०४५	
३	चौपड़ा सिंचाई स्कीम	३१,८००	१५,१६१	इस स्कीम में ५३/५४ सन् में ४,५२ रु० खर्च किया गया।
४	चिमखौली सिंचाई स्कीम	३५,१५०	८,६९४	
५	दाड़मी सिंचाई स्कीम	३७,३२०	६,८३४	
६	बाठरी सिंचाई ,,	३६,१३०	१३,९०८	
७	स्याल्दे ,, ,,	९२,०७२	१२,८५२	
८	रिन ,, ,,	१४,८६४	५,०३०	
९	बन्दरान ,, ,,	४३,९००	९,३३९	
१०	मरकटिया ,, ,,	१६,८००	४,९१३	
११	छाना ,, ,,	४४,२००	६,९६१	
१२	मझेड़ा ,, ,,	५८,६२०	५८,४४५	
१३	पाडली ,, ,,	४९,९४५	२५३	
१४	गड़ेला ,, ,,			
१५	अमटोली ,, ,,			
१६	पाटकोट ,, ,,	१,४९,९३०	४६,४०४	
१७	निवार सलोनी फतेहपुर सिंचाई स्कीम	७३,२६४	१२,५१०	
१८	फतेहपुर माइनर			
१९	पनाई माइनर	३२,४००	२३,१८४	
२०	स्वेत माइनर	३५,८६०	२४,३००	
२१	बिलखेत माइनर	४४,४७०	३७,४४५	
२२	बमोठ माइनर	७१,८००	९,८२७	
२३	पीपल कोटी माइनर	७७,९००	७,३२३	
२४	चमेठा माइनर	३४,७७५	८,२१९	
२५	उत्तर काशी माइनर	१,२६,०२६	३७,३६१	
२६	विचपुर माइनर	४२,४१२	७७१	
	योग :	११,९३,३५५	३,७१,५६४	

'क'

उन सिंचाई योजनाओं का विवरण जिन्हें कुमायूं व गढ़वाल इरीगेशन डिवीजन ने कार्यान्वित कराया व जिनका खर्चा कम्युनिटी प्रोजेक्ट व राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र के बजट से किया गया ।

कम्युनिटी प्रोजेक्ट की योजनाएं	एस्टीमेट की लागत	व्यय मार्च ३१,१९५५ तक
(१) गरूड़ ब्लाक, अल्मोड़ा		
१—मैटा सिंचाई स्कीम	३५,८००	२२,८५०
२—अघोरिया सिंचाई स्कीम	१८,९१३	११,५०७
३—ग्वार पजीना सिंचाई स्कीम	३६,०००	१२,६१६
४—बैजनाथ डंगोली मोटर मार्ग	३,००,०००	८,५७०
५—मंयूरन सिंचाई स्कीम	३५,८५२	९,५४०
योग . .	४,२६,५६५	६५,०८३
(२) कम्युनिटी प्रोजेक्ट कपपोट, अल्मोड़ा ब्लाक		
१—भयूं सिंचाई स्कीम	१८,८७३	११,९९०
२—असों ,,	४,२६६	२,३९७
३—जलमानी ,,	१५,३५०	४,७६८
४—पोलस ,,	७२,९१४	१६,९११
५—चिर बगड ,,	५३,८००	१९,८८८
६—कपकोट ,,	८४,०१६	२७,०२६
७—खौली ,,	३०,९९०	९,४४५
८—पन्द्रह पाली ,,	५,२६०	१,७६५
९—बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग	४,१३,३६८	५८,१७३
योग . .	६,६८,८३७	१,५२,३६३
(३) गरूड़ ब्लाक कम्युनिटी प्रोजेक्ट		
१—सोमेश्वर हाई स्कूल मोटर मार्ग	१९,७००	३,८८० ३,८८०
(४) धराली ब्लाक कम्युनिटी प्रोजेक्ट		
१—धराली सिंचाई स्कीम	४३,१५०	२२,३०४
२—चौपरा ,,	२३,४००	११,४५४
३—दायां पानगढ़ ,,	१९,५५०	८,४५३
४—बायां ,, ,,	२३,५००	९,४२१
५—ग्वालदम कुलसारी मोटर मार्ग	२,४२,०००	१०,२३६ ६१,८६८
(५) मिलगना ब्लाक कम्युनिटी प्रोजेक्ट, गढ़वाल		
१—कैमर सिंचाई स्कीम	३,४८,०२३	२३,९८७
२—घूनटी घनसाली मोटर मार्ग	१,९४,३४६	८१९
	५,४२,३६९	२४,८०६
	२०,३९,०७१	३,०८,०००

राष्ट्रीय प्रसार सेवा-क्षेत्र योजना

संख्या	सिंचाई योजना	एस्टीमेट की लागत	व्यय मार्च ३१, १९५५
(१)	**ढागूं ब्लाक, गढ़वाल--**		
	१--जमैली सिंचाई स्कीम ..	२६,०७३	१८,९११
	२--काड़ी ,, ,, ..	२०,२४०	२४,३५६
	३--कुलसी ,, ,, ..	६,८००	५,३७४
	४--डून्डेख ,, ,, ..	७६,४७५	१०,५१०
	५--हेड क्वार्टर बिल्डिंग, ढागूं ब्लाक, गढ़वाल राष्ट्रीय प्रसार क्षेत्र .. की बिल्डिंग ढांगू ..	५९,१००	७,०५० ६६,२०१
(२)	**खटीमा ब्लाक, नैनीताल--**		
	१--राष्ट्रीय प्रसार क्षेत्र की बिल्डिंग	४२,०४९	१९,८७६
	२--गंडाखाली सिंचाई स्कीम ..	८८,५२३	२८,३९४ ४८,२७०
(३)	**सरगाखेत ब्लाक, नैनीताल --**		
	१--रेखाकोट सिंचाई स्कीम ..	२०,४८८	१७,१३०
	२--लैसाल ,, ,, ..	८५,६१७	६,७९२
	३--राष्ट्रीय प्रसार क्षेत्र की बिल्डिंग	५९,१००	१०,००० ३३,९२२
(४)	**ताड़ीखेत, अल्मोड़ा ब्लाक--**		
	१--तारीखेत बन्द ..	३,१५०	१,५०२
	२--मौना सिंचाई स्कीम ..	११,७८६	६,२४४
	३--ज्योली ,, ,, ..	८,२९०	२,८६२
	४--राष्ट्रीय प्रसार क्षेत्र की बिल्डिंग	६०,२६६	२१,९१९ ३२,५२७
	राष्ट्रीय प्रसार क्षेत्र पर खर्चा ..	५,६७,९६७	१,८०,९२०
	६८/ए/२ कैपिटल में १ पेज से ..	११,९८,३३७	३,७१,५६४
	खर्चा कम्युनिटी प्रोजेक्ट .. योजनाओं पर पेज २ से ..	२०,३९,०७१	३,०४,०००
	कुल खर्चा ..	३८,०५,३७५	८,६०,४८४
	१९५३-५४ खर्च ..	५,१६५	
	१९५४-५५ में मंजूरसुदा एस्टीमेट की लागत ..	३७,००,२९०	

नोट:--अखोरिया पिठौनी की योजनाओं पर १९५३-५४ में ५,१६५ रु० खर्च हो चुका था, इसलिये उनमें बकाया काम ३८,५५२ रु० का था। इस तरह कुल योजनाओं के लिये १९५४-५५ में ३८,००,२९० रु० का काम रहा।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०७ पर।)

सूची "ख"

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत विचाराधीन योजनायें जिनका सर्वेक्षण किये जाने के बाद कुमायूं व गढ़वाल इरीगेशन डिवीजन द्वारा कार्यान्वित की जावेगी।

जिला नैनीताल

क्रम संख्या	नाम योजना		पट्टी का नाम
१	बर्धज सिंचाई योजना	..	कोस्यां
२	गवगिरीटी सिंचाई योजना	..	,,
३	भारी खैरनी ,, ,,	..	,,
४	रामगढ़ ,, ,,	..	कोटा
५	सूपी ,, ,,	..	चौभरी
६	सतपुरगा ,, ,,	..	रामगढ़
७	सलवानी सरलाक सूपी गांव में ..	..	इबनिया कोट
८	पीओ गांव से पाडे गांव	..	कोटा
९	स्यूना खेत सिंचाई योजना	..	चखाता
१०	अधारो ,, ,,	..	कोटा
११	स्याम ,, ,,	..	कोटा
१२	बगर ,, ,,	..	कोटा
१३	सौर ,, ,,	..	कोयया
१४	बूसी ,, ,,	..	,,
१५	अमटोलो ,, ,,	..	,,
१६	स्यालखेत ,, ,,	..	कोटा
१७	भुगिला ,, ,,	..	बुशारी
१८	धूली ,, ,,	..	भाबाकोट
१९	चारा ,, ,,	..	,,
२०	नकुचिया ताल ,,	..	भीमताल के नजदीक
२१	भीमताल डाम को ऊंचा करने की योजना	..	भीमताल

"ख"

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत विचाराधीन योजनायें जिसका सर्वेक्षण किये जाने के बाद कुमायूं व गढ़वाल इर्रीगेशन डिवीजन द्वारा कार्यान्वित की जायगी ।

जिला अल्मोड़ा

क्रम संख्या	नाम योजना	पट्टी का नाम
१	बैगानियां बिसौद कोट और धारखोला सिंचाई स्कीम	बिसौद
२	मारकोट सैनजी सिंचाई स्कीम ..	,,
३	चारपा सिंचाई स्कीम	तल्ला तिखून
४	पठार कोट ,, ...	मल्ला तिखून
५	सैलानी ,, ...	,,
६	कफारा ,, ...	,,
७	भौराला ,, ...	,,
८	मनाव ,, ...	,,
९	ज्यूला ,, ...	तल्ला स्यूनरा
१०	बोल ,, ...	मल्ला सालम
११	खुमारा ,, ...	,, दानपुर
१२	नौलान ,, ...	तल्ला ,,
१३	मंलता ,, ...	भल्ला कत्यूर
१४	तली हाट ,, ...	,,
१५	भीटा थून्थ ,, ...	बिचल्ला कत्यूर
१६	ठाटगोली ,, ...	तल्ला ,,
१७	हल्दू ,, ...	,, ,,
१८	क्वीटर ,, ...	बोरंग ,,
१९	अन्तर थाले ,, ...	मल्ला बकून
२०	मछानी ,, ...	तल्ला जोहार
२१	डंडा ,, ...	तल्ला पाल बिलौन
२२	उपरारी ,, ...	चौगांव
२३	सलना हाईड्राम ,, ...	कन्डारखाया
२४	मटेला ,, ...	,,
२५	नवगांव ,, ...	,,
२६	गंगूरा ,, ...	तल्ला सिलोर
२७	उगालियों ,, ...	मल्ला कक्लास्यूं
२८	नौला ,, ...	बाया

विधान सभा सचिवालय

"ख"

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत विचाराधीन योजनायें जिनका सर्वेक्षण किये जाने के बाद कुमायूं व गढ़वाल इरीगेशन डिवीजन द्वारा कार्यान्वित की जायेगी।

जिला गढ़वाल

क्रम संख्या	नाम योजना	पट्टी का नाम
१	सेरी सिंचाई स्कीम	नागपुर
२	गैलगं ,, ,,	,,
३	कथयाल गांव	,,
४	सोनला ,,	डन्डोल
५	नान्ती ,,	चांदपुर
६	कान्डी ,,	,,
७	देवलगढ़ ,,	देआलगढ़
८	अमोठा ,,	चौंद कोट
९	मोंडारी ,,	,,
१०	मलेथी ,,	,,
११	मजियौरी ,,	यम० सैलान
१२	चुरारी ,,	,,
१३	सिरवाना ,,	,,
१४	स्थायी धार ,,	,,
१५	टोबन ,,	,,
१६	ज्यूनीं ,,	,,
१७	मलारी ,,	,,
१८	१० डिग्गीयां सिंचाई के लिये जिले के अन्दर।	

जिला टेहरी गढ़वाल

१	बारकोट सिंचाई स्कीम	खाई जौनपुर
२	गंडियाल गांव ,, ,,	जौनपुर
३	सिनकुर ,, ,,	,,
४	चोट कोट ,, ,,	,,
५	पैथाल ,, ,,	टकनौर
६	पटवारी ,, ,,	,,
७	घोराहाली ,, ,,	,,
८	१० डिग्गीयां सिंचाई के लिये जिले के अन्दर।	

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ८९ एल० ए०—१९५५—७९६।